

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 3 सितम्बर, 2007 / 12 भाद्रपद, 1929

हिमाचल प्रदेश सरकार

कृषि विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 2 अगस्त, 2007

संख्या एग्र-ए (3)-3/2003-लूज.—हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (साधारण) नियम, 2006, का प्रारूप सरकार की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 20 जून, 2006 द्वारा 27 जून, 2006 के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 83 की उप धारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित के अनुसार जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया गया था और इससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव, उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर आमन्त्रित किए गए थे, और विहित अवधि के भीतर कुछ सुझाव प्राप्त हुए जिसमें से केवल तीन औचित्यपूर्ण पाए गए जिन्हें स्वीकृत कर उक्त नियमों में सम्मिलित कर लिया गया, अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम की धारा—83 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं,

अर्थात:-

नियम

अध्याय-1

प्रारम्भिक

- 1. संक्षिप्त नाम.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (साधारण) नियम, 2006 हैं।
 - 2. परिभाषाएं.— (1) इन नियमों में, जब तक कि कोई बात विशय या संदर्भ में विरूद्ध न हो,—
 - (क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005, (2005 का 20) अभिप्रेत है,
 - (ख) "निर्धारण प्राधिकारी" से समिति का सचिव अभिप्रेत है.
 - (ग) "उपायुक्त" से अधिसूचित मण्डी क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाला जिला का उपायुक्त या, यदि ऐसा क्षेत्र एक से अधिक जिलों में स्थित हैं, तो उन जिलों में से एक का उपायुक्त, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित अभिहित किया जाए अभिप्रेत है, और अन्यथा उपबन्धित के सिवाय उसके द्वारा उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति भी इसमें सम्मिलित हैं,
 - (घ) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत हैं,
 - (ङ) "अग्रक्षेण अभिकर्ता" से कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या स्थानीय उत्पादक एवं—व्यापारी या कोई परिवाहक जो मण्डी क्षेत्र में कमीशन के बदले में उत्पादकों से कृषि उपज को इक्हा करता है और समेकित उपज को कमीशन अभिकर्ताओं, क्रेताओं, व्यापारियों को मण्डियों में राज्य के भीतर या बाहर विक्रय के लिए अग्रेशित करने के लिए परिवहन का प्रबन्ध करता है, अभिप्रेत है,
 - (च) "आनुशंगिक प्रभार" से नीलामी पर बोली को अन्तिम रूप देने से पूर्व कृषि उपज की उठाई—धराई जैसे कि माल उतारने, ढेर लगाने, सफाई करने और प्रसाधन प्रभार के सम्बन्ध में की गई सेवाओं के बदले विक्रेता द्वारा संदेय प्रभार, अभिप्रेत है और नीलामी या बातचीत द्वारा बोली को अन्तिम रूप देने से पूर्व कृषि उपज की तुलाई हेतु पारिश्रमिक भी इसके अन्तर्गत होगा,
 - (छ) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे अधिनियम की धारा 25 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने और / या नवीकृत करने हेतु आवेदन किया जाता है।
 - (ज) "प्रबन्ध निदेशक" से राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 9 के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है,
 - (झ) "रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी" (रजिस्ट्रेशन होलंडर) से अधिनियम की धारा 40 के अधीन मण्डी कृत्यकारियों को रजिस्ट्रीकृत करने में सक्षम प्राधिकारी अभिप्रेत है,
 - (ञ) "रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारक" (रजिस्ट्रेशन होल्डर) से इन नियमों के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारण करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत हैं,

- (ट) "सचिव" से कृषि उपज मण्डी समिति का सचिव अभिप्रेत हैं।
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो अधिनियम के प्रयुक्त है और इन नियमों में परिभाषित नहीं है, वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

अध्याय-2

बोर्ड की बैठक तथा प्राईवेट प्रांगण, उपभोक्ता और किसान मण्डी की स्थापना

- 3. बोर्ड की बैठक.——(1) बैठक की सूचना सामान्यतः सदस्य सचिव द्वारा समस्त सदस्यों को, उक्त बैठक में संव्यवहारित किए जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की कार्यसूची की सूचना सहित सात दिन अग्रिम में (पूर्व) संसूचित की जाएगी।
- (2) प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां, कार्यवृत पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी, जिन्हें अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा, और बैठक के पश्चात् उसकी एक एक प्रति यथासाध्य शीघ्र प्रत्येक सदस्य को दी जाएगी। कार्यवृत पुस्तक स्थायी तौर पर परिरक्षित रखी जाएगी, और, जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो, सदस्य—सचिव की अभिरक्षा में रहेगी।
- (3) यदि कोई सदस्य, इस आधार पर कि अभिलेख बैठक में लिए गए विनिश्चय के अनुरूप नहीं है, कार्यवृत में परिवर्तन चाहते हुए लिखित में सूचना (नोटिस) देता है, तो मामला बोर्ड के समक्ष उसकी आगामी बैठक में रखा जाएगा और उस पर विनिश्चय निश्चायक और अन्तिम होगा।
- 4. प्रबंध निदेषक की शक्तियां.—अधिनियम की धारा 12 के उपबन्धों के अध्यधीन, प्रबंध निदेशक, बोर्ड के निर्विध्न और दक्षतापूर्ण कार्य चालन के लिए दायी होगा, और, उस संदर्भ में, इस अधिनियम या इन नियमों के अधीन उसमें यथा निहित और बोर्ड द्वारा उसको समय—समय पर यथा प्रत्यायोजित समस्त ऐसी प्रशासनिक, वित्तीय और साधारण प्रवृति की शक्तियों का प्रयोग करेगा।
- 5. प्राइवेट प्रांगण, उपभोक्ता या किसान मण्डी की स्थापना.—अधिनियम की धारा 22 के अधीन किसी मण्डी क्षेत्र में प्राइवेट प्रांगण की स्थापना करने या अवसंरचना सुविधाओं का उपबंध करने की वांछा रखने वाला कोई व्यक्ति या अधिनियम की धारा 23 के अधीन उपभोक्ता या किसान मण्डी की स्थापना करना चाहता है, तो वह शिमला के किसी बैंक की किसी भी शाखा में, प्रबंध निदेशक के पक्ष में शिमला में देय मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में दस हजार रूपये की अप्रतिदेय प्रसंस्करण फीस सिहत प्ररूप "क" में आवेदन करेगा और प्रबंध निदेशक बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से ऐसी जांच जैसी वह आवश्यक समझे, कारणों को अभिलिखित करते हुए, ऐसी शर्तो पर जैसी उसमें नियत है, या तो अनुज्ञा नामंजूर करेगा या प्रदान करेगा।
 - 6. अनुज्ञप्तियों की मंजूरी /या नवीकरण.—— (1) कोई व्यक्ति जो,——
 - (i) कृषकों या उत्पादकों से सीधे कृषि उपज क्रय करने के लिए प्राईवेट मण्डी प्रांगण स्थापित करने, या
 - (ii) किसी मण्डी क्षेत्र में,---
 - (क) अधिसूचित कृषि उपज का प्रसस्करण,
 - (ख) विशिष्ट विनिर्देश की अधिसूचित कृषि उपज का व्यापार,
 - (ग) अधिसूचित कृषि उपज का निर्यात, और

- (घ) अधिसूचित कृषि उपज का मूल्य परिवर्धन द्वारा अन्य प्रकार से श्रेणीकरण, पैकिंग और संव्यवहार, करने हेतू अवसंरचना स्विधाओं का उपबंध करने, या
- (iii) एक या एक से अधिक मण्डी क्षेत्र में उपभोक्ता या किसान मण्डी स्थापित करने की वांछा रखता हैं तो वह अधिनियम की धारा 25 के अधीन यथा उपबंधित के अनुसार प्रबंध निदेशक के पक्ष में किसी भी बैंक की शिमला शाखा में देय, निम्नलिखित सारणी में दर्शाए गए मापमान के अनुसार अपेक्षित रकम की फीस के मूल्य का मांगदेय ड्राफ्ट संलग्न करते हुए, प्ररूप "ख" में सम्बंधित समिति (यों) के सचिव के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक को द्विप्रतिक में आवेदन करेगा।

सारणी

- (i) कृषकों या उत्पादकों से सीधे कृषि उपज क्रय करने के लिए प्राइवेट प्रांगण की स्थापना करने के लिए: रू० 20,000
- (ii) किसी मण्डी क्षेत्र में अवसंरचना सुविधाओं का उपबंध करने हेतू रू० 10,000
 - (क) अधिसूचित कृषि उपज का प्रसंस्करण करने
 - (ख) विशिष्ट विनिर्देश की अधिसूचित कृषि उपज का व्यापार करने
 - (ग) अधिसूचित कृषि उपज का निर्यात करने, और
 - (घ) अधिसूचित कृषि उपज का मूल्य परिवर्धन द्वारा अन्य प्रकार से श्रेणीकरण, पैकिंग और संब्यवहार, करने के लिए, और
- (iii) उपभोक्ता या कृषक मण्डी की स्थापना, करने के लिए रू० 20,000
- (2) आवेदन की प्राप्ति पर, सचिव द्वारा उसकी जांच की जाएगी, और समाधान हो जाने के पश्चात् वह उसे प्ररूप "ग" में बनाए गए रजिस्टर में दर्ज करेगा और उसे मूलरूप में, शीघ्रतम परन्तु इसकी प्राप्ति से तीस दिन के भीतर निश्चय ही प्रबन्ध निदेशक को अग्रेषित करेगा।
- (3) तदुपरि प्रबंध निदेशक, उसका यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आवेदन सभी प्रकार से सही है, प्ररूप "घ" में अनुज्ञप्ति जारी करेगा।
- (4) यदि कोई आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो प्रबंध निदेशक, सम्बन्धित सचिव के माध्यम से, आवेदक को अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट तौर पर बताते हुए सूचित करेगा, जो सुसंगत रजिस्टर में प्ररूप "ग" में समुचित प्रविष्टि करेगा।
- (5) उप–नियम 4 के अधीन आवेदन अस्वीकार किए जाने की दशा में, आवेदन के साथ संलग्न फीस आवेदक को वापस की जाएगी।
- 7. अनुज्ञप्ति का नवीकरण और द्विप्रतिक अनुज्ञप्ति जारी करना.—(1) अधिनियम की धारा 25 के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति, उस अविध के लिए जिसके लिए इसे जारी किया गया था विधिमान्य होगी, और अधिनियम की धारा 26 के अधीन पारित किसी आदेश के अध्यधीन, नियम 6 में यथा विहित फीस के संदाय पर इसको प्रदान करने वाले प्राधिकारी को, प्ररूप "ड." में किए गए आवेदन पर नवीकरणीय होगी।
- (2) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन, अनुज्ञप्ति के अवसान (समाप्ति) की तारीख से कम से कम तीस दिन पूर्व किया जाएगाः

परन्तु किसी अनुज्ञप्ति को नवीकृत करने के लिए सक्षम, प्राधिकारी, आवेदक द्वारा पांच हजार रूपए की शास्ति के संदाय पर, अनुज्ञप्ति के अवसान के पश्चात् नवीकरण के लिए किए गए आवेदन को ग्रहण कर सकेगा।

टिप्पणी.—इस नियम के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति का प्रत्येक नवीकरण, जिस तारीख को अनुज्ञप्ति का अवसान हुआ है, उसके अगले दिन से प्रभावी हुआ समझा जाएगा।

- 8. अनुज्ञप्ति का निलम्बन या रद्वकरण.——(1) यदि प्रंबध निदेशक का, किसी समिति से रिर्पोट की प्राप्ति पर या अन्यथा समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी प्रथमदृष्टया किन्हीं शर्तों, जिनके अध्यधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है या नवीकृत की गई है, को भंग करता है, या अधिनियम की धारा 26 के खण्ड (क) से (च) में सूचीबद्ध किसी आधार से रहित है, तो वह व्यतिक्रमी अनुज्ञप्तिधारी को, दी गई तारीख को, जो चौदह दिन से पूर्वतर न हो, कारण बताओ नोटिस जारी कर सकेगा कि क्यों न उसको प्रदान की गई या उसके नाम पर नवीकृत की गई अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्ध कर दिया जाए।
- (2) अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, यदि प्रबंध निदेशक का समाधान हो जाता है कि अभिकथन में कोई सार नहीं हैं, तो वह कार्यवाहियों को स्थगित कर सकेगा या दोनों मामलों में से प्रत्येक में अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्ध कर सकेगा।
- 9. सदस्यता, नाम और अभिनाम में परिवर्तन,—(1) किसी अनुज्ञप्तिधारी फर्म, कम्पनी या संगम या व्यष्टियों का समूह, चाहे निगमित हो या नहीं, उत्तराधिकार के माध्यम से अन्यथा, सदस्यता में कोई परिवर्तन, नये फर्म के सृजन के समतुल्य होगा जिसके लिए नई अनुज्ञप्ति जारी करने की आवश्यकता (अपेक्षा) होगीः

परन्तु यह कि हिन्दू अविभक्त कुंटुब के मामले में, किसी नए सदस्य के जन्म लेने से सदस्यता से हुई किसी बढौतरी से सदस्यता में कोई परिवर्धन नहीं होगा।

- (2) उप—नियम (1) के परन्तुक के अधीन आने वाली परिस्थितियों के सिवाय, जब सदस्यता या नाम या अभिनाम में, अनुज्ञप्तिधारी फर्म या कम्पनी की मूल सदस्यता में कोई परिवर्तन लाए बिना, कोई परिवर्तन होता है, यह इस तथ्य को निश्चित रूप से पन्द्रह दिन के भीतर सम्बन्धित समिति के सचिव के नोटिस में लाएगा। आवेदन में कथित तथ्यों की यथातथ्यता का समाधान हो जाने के पश्चात्, सचिव, उसको, संप्रेक्षणों सहित विचार के लिए, मूल रूप में प्रबंध निदेशक को अग्रेशित करेगा।
- (3) आवेदन अनुज्ञात होने की दशा में, प्रबंध निदेशक मूल अनुज्ञप्ति में तथा यथोचित पृष्ठांकन समिति और बोर्ड द्वारा रखे गए सुसंगत रजिस्टरों में परिवर्तन भी अभिलिखित करवाएगा।
- (4) उक्त उप–नियम (2) में विहित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट तैयार करने में असफल रहने पर विद्यमान अनुज्ञप्ति समाप्त हुई समझी जाएगी।
- 10. कारबार के प्रयोजनों में परिवर्तन.—अनुज्ञप्तिधारी, कारबार जिसके लिए उसे अनुज्ञप्ति जारी की गई है, की विशिष्टियों में कोई परिवर्धन करने या विलोपन करने के लिए सक्षम अनुज्ञापन प्राधिकारी को दो हजार रूपए फीस का संदाय करके आवेदन कर सकेगा और अनुज्ञापन प्राधिकारी, आदेश द्वारा, आवेदन अनुज्ञात कर सकेगा, तत्पश्चात् अनुज्ञप्ति तद्नुसार संशोधित की जाएगी।
- 11. अपीलों के लिए प्रक्रिया.——(1) अधिनियम की धारा 25 या 26 या 40 के अधीन पारित किसी आदेश के विरूद्ध की जाने वाली अपील यथा स्थिति, प्रबंध निदेशक के पक्ष में या सम्बन्धित समिति के सचिव के पक्ष में, केवल पचास रूपए की फीस मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में शिमला के किसी बैंक की किसी शाखा में देय हो सहित अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट अपील प्राधिकारी को, अपील के आधारों को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से उपवर्णित करके आदरपूर्ण शालीन और संयमी भाषा में, ज्ञापन के रूप में प्रस्तुत की जाएगी। प्रतिवादित आदेश की अधिप्रमाणित प्रति सदैव अपील के ज्ञापन के साथ उपाबद्ध की जाएगी।

- (2) इस नियम के अधीन दाखिल की गई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि इसे उस तारीख से, जिसको आदेश या अपील में पारित आदेश की प्रति अपीलकर्ता को परिदत की गई हो, तीस दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत न कर दी गई हो।
- (3) मामले के तथ्यों, परिस्थितियों और अभिलेख को ध्यान में रखते हुए और अपील के विरूद्ध आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी की टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी और जांच के पश्चात् जैसी यह वांच्छनीय समझे, अपील प्राधिकारी आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, अपील के अधीन आदेश की पुष्टि या अपास्त करते हुए आदेश पारित करेगा या मामले को पुनः विचार के लिए भेजेगा।

अध्याय-3

समिति के कृत्य

- 12. अध्यक्ष का निर्वाचन.—(1) समिति गठित करने और उसके गैर सरकारी सदस्यों का नामनिर्देशन करने के तत्काल पश्चात्, प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित उपायुक्त से, उसके द्वारा नियत स्थान, समय और तारीख पर, उत्पादक—सदस्यों में से अध्यक्ष निर्वाचित करने के लिए और यदि आवश्यक हो, किसी अन्य अधिकारी, जो उसके अधीनस्थ है, को अध्यक्षता करने हेतु और प्राधिकृत करने के लिए, समिति की बैठक बुलाने के लिए अनुरोध करेगा।
- 13. अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए गणपूर्ति.—(1) सिमिति की बैठक गठित करने हेतु गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई से होगी, जबिक अध्यक्ष के निर्वाचन या अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बुलाई गई बैठक के लिए गणपूर्ति सिमिति के कुल सदस्यों की संख्या के दो तिहाई से कम नहीं होगी।
- (2) यदि बैठक के लिए नियत किसी समय या बैठक के दौरान यदि गणपूर्ति न हो, तो पीठासीन सदस्य या तो तब तक के लिए जब तक कि गणपूर्ति नहीं होती, बैठक को निलम्बित करेगा या किसी भविष्यवर्ती दिन के लिए स्थगित कर देगा।
- (3) मतदान ध्वनिमत द्वारा या हाथ उठाकर किया जाएगा। केवल यदि गैरसरकारी सदस्य आग्रह करें तो पीठासीन सदस्य गुप्त मतदान करवा सकता है। गुप्त मतदान के संचालन हेतु पीठासीन सदस्य कोई भी प्रक्रिया जिसे वह परिस्थितियों में निश्पक्ष, त्रुटिरहित और समुचित समझे, अगीकार कर सकेगा। किसी भी दशा में सदस्यों को प्रणाली के व्यौरे से पहले सम्यक रूप से सूचित किया जाएगा।
- 14. निर्वाचन याचिका.—(1) यदि समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन समिति के किसी अन्य गैर—सरकारी सदस्य द्वारा विवादग्रस्त हो जाता है तो वह उस दिन से जिस को कि चुनाव परिणाम घोशित हुआ था गणना में लेते हुए तीस दिन के भीतर चुनौती के यथासम्भव कारण प्रस्तुत करते हुए राज्य सरकार को अपील दाखिल कर सकेगा।
- (2) राज्य सरकार, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह समुचित समझे, अधिमानतः तीस दिन के भीतर अपना निर्णय सुनाएगी, और ऐसा निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।
- **15. समिति की बैठक.—**(1) अधिनियम की धारा 35 और 37 तथा नियम 12 के उपबन्धों के अनुसरण में संयोजित बैठकों के सिवाय समिति इसके समक्ष कारबार की प्रमात्रा को ध्यान में रखकर प्रायः जैसा समीचीन समझे बैठक कर सकेगी:

- (2) प्रत्येक बैठक की सूचना, अधिनियम की धारा 36 की उप—धारा (2) के निबन्धनों के अनुसार अध्यक्ष या सदस्य द्वारा इस रूप में कृत्य करते हुए या उसकी अनुपस्थिति में समिति के उपाध्यक्ष द्वारा नियत तिथि, ऐसी बैठक में संव्यवहारित करने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची या एजेण्डा सिहत अग्रिम में, सचिव द्वारा समिति के प्रत्येक सदस्य के साथ साथ प्रबन्ध निदेशक को संसूचित की जाएगी।
 - (3) समिति की बैठक सामान्यतः इसके कार्यालय परिसर में होगी।
 - (4) इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाए, बैठक में गणपूर्ति पांच गैरसरकारी सदस्यों से होगी:

परन्तु वार्षिक बजट अनुमानों पर विचार करने और पारित करने के लिए विनिर्दिष्टतः बुलाई गई बैठकों के लिए विशेष बहुमत में कम से कम सात गैरसरकारी सदस्य अपेक्षित होंगेः

परन्तु यह और कि उप-सिमिति की बैठक में गणपूर्ति इसकी सदस्यता के एक तिहाई के बराबर होगी।

- (5) यदि बैठक हेतु नियत किसी भी समय या बैठक के दौरान किसी भी समय यदि गणपूर्ति नहीं है, तो अध्यक्ष या तो जब तक दिन के लिए गणपूर्ति नहीं हो जाती बैठक निलम्बित करेगा या भविष्यवर्ती दिन के लिए स्थगित कर देगा।
- (6) जब कोई बैठक उप—नियम (5) के अनुसरण में दो नियत उत्तरवर्ती तारीखों में समिति की बैठक के लिए स्थगित हो चुकी हो तो तीसरी बार उसी कारबार के संव्यवहार हेतु गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।
- (7) जब तक कि इन नियमों में अन्यथा उपबंधित न हो, समिति की किसी बैठक में सभी प्रश्न, उपस्थित सदस्यों के बहुमत और मतदान द्वारा अवद्यारित किए जाएंगे। किसी मामले में मतों के बराबर होने की दषा में, अध्यक्ष का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।
 - (8) (क) प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां कार्यवृत पुस्तक में अभिलिखित की जाएंगी, जो अध्यक्ष और सचिव द्वारा अधिप्रमाणित की जाएगी, जिसकी एक प्रति बैठक के पश्चात् प्रत्येक सदस्य को यथा साध्य शीघ्रता से प्रदान की जाएगी। कार्यवृत पुस्तक स्थायी रूप से परिरक्षित की जाएगी और सदैव सचिव की व्यक्तिगत अभिरक्षा में रहेगी, तथा सभी युक्तियुक्त समयों पर अध्यक्ष और बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक द्वारा निरीक्षण हेतु खुली रहेगी।
 - (ख) यदि कोई सदस्य इस आधार पर कि अभिलेख लिए गए विनिश्चिय के अनुरूप नहीं है, कार्यवृत में परिवर्तन के लिए लिखित में नोटिस देता है तो, मामला आगामी बैठक में समिति के समक्ष विनिश्चय हेत् रखा जाएगा और उस पर विनिश्चय अंतिम और निश्चायक होगा।
- **16.** सिमिति की बैठक में हाजिर रहने हेतु हकदार व्यक्ति.—(1) प्रबन्ध निदेशक सिमिति की कार्यवाहियों में हाजिर रहने, बोलने और अन्यथा भाग लेने का हकदार होगा परन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।
- 17. सदस्य जो कतिपय कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए हकदार नहीं होगा.—कोई भी सदस्य जिसका किसी मामले में व्यक्तिगत, धनीय या घनिष्ठ स्वरूप का ऐसा कोई प्रत्यक्ष हित हो जिससे समिति या उप—समिति की बैठक में विचार किए जाने वाले किसी मामले में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, ऐसी समिति या उप—समिति की बैठक में न तो उपस्थित होगा या न ही भाग लेगा अथवा न ही मतदान करेगा।

स्पष्टीकरण,—सदस्य किसी मामले में हितबद्व समझा जाएगा यदि जिसमें उसका या उसके निम्नलिखित किसी संबंधी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई व्यक्तिगत या धनीय हित हो—

(क) पत्नी / पति या बालक, (ख) पिता या माता, (ग) भाई, बहनें, उनकी पत्नियां / पति या बालक।

18. विशेष बैठकें बुलाने के लिए प्राधिकार.—सिमिति का अध्यक्ष स्वप्रेरणा से, या सिमिति के कम से कम आधे सदस्यों की अध्यपेक्षा से यदि असाधारण परिस्थितियों से उसका समाधान हो जाता है, तो वह तात्कालिक महत्व के मामलों पर विचार करने के लिए सिमिति की विशेष बैठक बुला सकेगा।

अध्याय-4

- 19. मण्डी/प्राइवेट या उप-भोक्ता या किसान मण्डी के कृत्य.—प्राइवेट/उपभोक्ता या किसान मण्डियों में सुख—सुविधाएं, प्रसुविधाएं और सुविधाओं का उपबन्ध करने के लिए अवसंरचना का विकास,—प्राइवेट मण्डी प्रांगण का स्वामी मण्डी प्रांगण में उत्पादकों तथा मण्डी का प्रयोग करने वाले अन्य व्यक्तियों के हित में न्यूनतम सामान्य सुख—सुविधाएं और प्रसुविधाएं जैसे, नीलामी मंच, दुकानें, गोदाम, कैन्टीन, पेयजल, शौचालय, मूत्रालय, कम्पोस्ट गर्त, स्ट्रीट लाइटें इत्यादि का उपबन्ध करेगा। प्राइवेट मण्डी प्रांगण का स्वामी उसमें किसानों/उत्पादकों को अन्य ऐसी सुख—सुविधाएं, प्रसुविधाएं जैसी कि आधुनिक मण्डी में अपेक्षित है जैसे भाण्डागार, पूर्णशीतलन, शीतागार (नियन्त्रित वातावरण सिंदत शीतागार) पक्वन कोष्ठ, श्रेणीकरण पंक्तियों सिंदत डिब्बाबन्द गृह, किसान भवन, लदान और उतारने वाले स्थान, इलैक्ट्रोनिक नीलामी, विभिन्न वस्तुओं की मण्डी दरें आदि का इलैक्ट्रोनिक प्रदर्शन और विशिष्टितः जैसे कि "अपनी मण्डी" किसान हाट, या "रैतू बाजार", किसानों/उत्पादकों के लिए स्टालों सिंदत, सहायक सेवाओं की दुकानें भी अर्थात बीजों, उर्वरकों, कार्बनिक फल और सिंक्तियां, दूध, फल और सिंक्तियां, इत्यादि का उपबन्ध कर सकेगा।
- 20. अभिलेख रखना, परिचालन और दरों का प्रदर्शन.——(1) समिति, मण्डी में पहुंच व बिकी के लिए लाई गई कृषि उपजों का दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक आधार पर अधिकतम, न्यूनतम और औसत दरों का अभिलेख रखेगी और परिचालन करेगी तथा सूचनापट्ट पर प्रत्येक वस्तु की विशिष्ट दिन की वर्तमान विकी दरों को मण्डी में सहजदृश्य स्थान पर स्थापित नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगी।
- (2) जहां तक यह लागू और साध्य हो सिमति, राज्यों के साथ लगे हुए क्षेत्रों के मुख्य विपणन प्रांगणों में कृषि उपज के मूल्यों के बारे में सूचना, तथा राज्य के लिए सेवारत पत्तनों (पोर्टस) और मिलों और समरूप द्वारा रखी गई वस्तुओं के बारे में ऐसी ही सूचना उनके व्यवस्थापन पर रखेगी जो मण्डी का उपयोग कर रहे हैं।
- (3) सचिव द्वारा समस्त महत्वपूर्ण कृषि वस्तुओं की दैनिक मूल्यों की अधिप्रमाणित एवं कम्पयूटर में प्रविष्टि के लिए अनुज्ञात दरें, इलैक्ट्रोनिक डिजीटल / टच स्क्रीन यदि स्थापित की गई हो, हिन्दी / अंग्रेजी में, बोर्ड तथा सम्बद्व संगठनों को पृष्ठांकित प्रतिलिपि सहित, सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी।
- (4) दैनिक मूल्य बुलेटिन मासिक बुलेटिन में संकलित किया जाएगा और वर्ष के अन्त में महीना—बार, वस्तुवार पहुंच सिहत संकलित, विश्लेषित किए जाएंगे। मुद्रित वार्षिक मूल्य (दरों) के बुलेटिन को, अभिलेख रखने के साथ—साथ, बोर्ड सिहत सम्बद्व संगठनों को परिचालित किया जाएगा।
 - 21. रजिस्ट्रीकरण प्रदान करना / नवीकरण करना,—— (1) प्रत्येक व्यक्ति जो,
 - (i) कृषि उपज का क्रय विक्रय, भण्डारण करने के लिए किसी स्थान के व्यवस्थापन, स्थापन या संतत के लिए या कृषि उत्पाद का क्रय, विक्रय, भण्डारण करने और / या प्रसंस्करण या अंग्रेषण करने की दृष्टि से, या
 - (ii) विक्रेता या क्रेता अथवा क्रेता और विक्रेता दोनों के रूप में, या
 - (iii) संविदा खेती उत्पादक के साथ करार करने पर संविदा खेती प्रायोजक के रूप में, व्यवसायिक कियाकलापों के प्रवेश करना चाहता है तो वह स्वंय को समिति के साथ रजिस्टर करवाएगा

और इस प्रयोजन के लिए वह प्ररूप "च"पर सचिव को आवेदन करेगा और तीन सौ रूपये नकद राशि वार्षिक रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में सम्बद्घ समिति के पास जमा करेगा। यदि वही व्यक्ति इस उप नियम के खण्ड (i) और (ii) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता है तो कोई अतिरिक्त फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।

- (2) रिजस्ट्रीकरण के नवीकरण हेतु आवेदन रिजस्ट्रीकरण समाप्त होने की तारीख के कम से कम तीस दिन पूर्व रिजस्ट्रीधारक द्वारा प्ररूप "झ" में किया जाएगा और आवेदक समिति के पास वार्षिक नवीकरण फीस के रूप में एक सौ रूपए की रकम जमा करेगा, परन्तु यदि नवीकरण हेतू निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन नहीं किया गया है, तो आवेदन रिजस्ट्रीकरण या पूर्वतम नवीकरण समाप्त होने के दिन के पश्चात् पांच रूपये प्रत्येक दिन की शास्ति सहित स्वीकार किया जाएगा परन्तु किसी भी दशा में शास्ति एक सौ रूपये से अधिक नहीं होगी। परन्तु यह और कि रिजस्ट्रीकरण समाप्त होने की तारीख के तीस दिन की समाप्ति के पष्चात् रिजस्ट्रीकरण या नवीकरण हेतु कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसे रिजस्ट्रीकरण के लिए नवीन आवेदन समझा जाएगा:
- (3) प्रत्येक व्यक्ति, जो एक से अधिक मण्डी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के यथास्थिति, व्यवसाय, संव्यवहार या व्यौहार का इच्छुक है तो वह प्रबन्ध निदेशक को प्ररूप "च" में आवेदन करेगा और पांच सौ रूपये की रकम वार्षिक रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में बोर्ड के पास जमा करेगा या प्रबन्ध निदेषक के पक्ष में लिया डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करेगा जो शिमला में किसी भी बैंक की किसी शाखा में देय हो।
- (4) उप—िनयम (1) और (2) के अधीन रिजस्ट्रीकरण या नवीकरण का आवेदन अधिनियम और इन नियमों के सुसंगत उपबन्धों के अनुसार यदि पूर्ण पाया जाता है, तो सिमिति उस पर विचार करेगी और उसे अनुमोदित कर देगी और सिचव प्ररूप "छ" में जारी करने के निबन्धनों और शर्तों को उपदर्शित करते हुए रिजस्ट्रीकरण का प्रमाण—पत्र जारी करेगा। सिचव प्ररूप "ज" में, रखे रिजस्टर में, जारी किए गए समस्त प्रमाण पत्रों का, समुचित अभिलेख रखेगा।
- (5) उप—नियम (3) के अधीन रिजस्ट्रीकरण और नवीकरण के लिए आवेदन पर प्रबन्ध निदेशक द्वारा विचार किया जाएगा और समाधान हो जाने पर वह प्ररूप "छ" में रिजस्ट्रीकरण जारी या नवीकृत करेगा। प्रबन्ध निदेशक सभी जारी प्रमाण—पत्रों का अभिलेख प्ररूप "ज" में रखवाएगा।

22. रजिस्ट्रीकरण से छूट (1) नियम 21 निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा--

(i) कोई उत्पादक जो स्वयं कृषि उपज का किसी एक समय किसी व्यक्ति को घरेलू उपभोग हेतु निम्नलिखित सीमा तक विक्रय करता है:

मद् मात्रा

(क) अनाज एक सौ किलोग्राम
(ख) दालें पचास किलोग्राम
(ग) तिलहन बीस किलोग्राम
(घ) फल (सूखे फलों के सिवाए) और सब्जियां सौ किलोग्राम
(ङ) सूखे फल दो किलोग्राम
(च) पश्—उत्पाद जैसे मछली, घी, दूध इत्यादि। दस किलोग्राम

(छ) मसाले

दो किलोग्राम

इमारती लकड़ी अपने मकान के निर्माण / मरम्मत हेतू - 4 घनीय मीटरः

परन्तु कोई भी उत्पादक एक ही दिन में पांच क्विंटल से अधिक की अपनी उपज को उपभोक्ता / किसान मण्डी में नहीं लाएगा।

(ii) कोई छोटा व्यापारी या फेरी वाला जो फलों या सिंजियों का खुदरा व्यापार कर रहा है जिसकी किसी एक दिन में मात्रा पांच किंवटल से अधिक न हो:

परन्तु कोई छोटा व्यापारी या फेरीवाला जो फल और सब्जियां खुदरा बेच रहा हो केवल थोक मण्डी से क्रय की गई कृशि उपज का ही विक्रय करेगा।

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड के प्रयोजन के लिए कोई व्यापारी जिसका कृषि उपज व्यापारावर्त 30,000 / — (तीस हजार रूपये) प्रतिमास या 3,60,000 / — (तीन लाख साठ हजार रूपये) प्रतिवर्ष से अधिक न हो, छोटा व्यापारी समझा जाएगा।

- (iii) कोई व्यक्ति जो मण्डी <u>प्रांगण / उप—मण्डी</u> प्रांगण से दैनिकी आधार पर घरेलू उपयोग हेतु खण्ड (1) के अधीन वर्णित उसी सीमा के भीतर कृषि उपज क्रय कर रहा है।
- (2) इसके अतिरिक्त निम्नलिखित को भी रजिस्ट्रीकरण से छूट होगी:-
- (i) कन्फेक्शनरज और भुने हुए, तले हुए या पके भोजन के आहारदायक,
- (ii) कोल्हू के नाम से देशी मशीन प्रयोग करने वाले ऑयल प्रैसिज,
- (iii) प्राधिकृत उचित मूल्य की दुकान का कोई व्यौहरी जो भारतीय खाद्य निगम, राज्य वस्तु व्यापार निगम या लोक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण या संस्थान से क्रय (खरीद) कर रहा है,
- (iv) सरकार और / या केन्द्र सरकार के कर्मचारी जब राज्य सरकार और / या केन्द्र सरकार की ओर से विक्री कर रहे हों,
- (3) उपरोक्त उप नियम (1) और (2) के उपबन्धों के होते हुए भी, छूट वाले वर्ग अन्यथा, अधिनियम, इन नियमों और तद्धीन बनाई गई उप–विधियों के उपबन्धों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।
- 23. द्विप्रतिक (डुप्लीकेट) रिजस्ट्रीकरण का जारी करना.—यदि अधिनियम की धारा 40 के अधीन जारी रिजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या नियम 21 के उप—िनयम (2) और (3) के अधीन नवीकृत रिजस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र गुम, खराब या विकृत हो गया हो, तो पचास रूपये की फीस के संदाय पर मूल प्रमाण—पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा, द्विप्रतिक (डुप्लीकेट) प्रमाण—पत्र जारी किया जाएगा।
- 24. रिजस्ट्रीकरण से इन्कार और रद्दकरण.——(1) यथास्थिति, सचिव या प्रबन्ध निदेशक, का यह समाधान हो जाने पर कि रिजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, अधिनियम, इन नियमों या तद्धीन बनाई गई उप—विधियों में विनिर्दिष्ट किसी शर्त का उल्लंघन हुआ है, तो वह लिखित में आदेश द्वारा ऐसा रिजस्ट्रीकरण रद्द या निलंबित करेगा या ऐसे रिजस्ट्रीकरण के नवीकरण को प्रथम उल्लंघन पर, ऐसी अविध जो छः मास से अधिक न हो, दूसरी बार उल्लंघन पर ऐसी अविध जो नौ मास से अधिक न हो तथा प्रत्येक पश्चात्वर्ती उल्लंघना पर जिसकी अविध एक वर्ष से अधिक न हो, के लिए नवीकरण न करने का भी निदेश दे सकेगाः

परन्तु ऐसा कोई आदेश रजिस्ट्रीधारक को कारण बताने का अवसर दिए बिना, कि ऐसा आदेश क्यों न दिया जाए, नहीं किया जाएगा।

- (2) इन नियमों के नियम 24 के उप—नियम (1) के अधीन पारित कोई आदेश सम्बन्धित सचिव या प्रबन्ध निदेशक द्वारा तत्काल लिखित में रजिस्ट्रीकरण धारक को संस्चित किया जाएगा।
- (3) आदेश का सार समिति और प्रबन्ध निदेशक के कार्यालय में इस प्रयोजन हेतु रखे गए रजिस्टर में समृचित स्तम्भ में भी नोट किया जाएगा।
- 25. फर्म के नाम और अभिनाम में परिवर्तन.—(1) जहां अधिनियम की धारा 40 के अधीन रिजस्ट्रीकरण धारक एक फर्म है, तो ऐसी फर्म की सदस्यता में घटित परिवर्तन, विरासत के माध्यम से अन्यथा, नई फर्म का गठन माना जाएगा और नया रिजस्ट्रीकरण करना आवश्यक होगा।
- (2) जहां कोई परिवर्तन, जो धारा 40 के अधीन नया रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य नहीं बनाता है, सदस्यता में होता है या फर्म सदस्यता में परिवर्तन किए बिना इसका नाम परिवर्तन करती है, तो इसकी सूचना परिवर्तन की तारीख से दो सप्ताह के भीतर फर्म के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सम्बन्धित समिति के सचिव को देगा, जो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र के साथ–साथ समिति के कार्यालय में रखे गए रजिस्टर में आवश्यक संशोधन करने का आदेश देगा।
- (3) उपरोक्त उप—िनयम (2) के अधीन आने वाले मामले में, यदि फर्म उप—िनयम (2) में विनिदिष्ट अविध के भीतर आवश्यक सूचना देने में असफल रहती है, तो यथास्थिति फर्म की सदस्यता या इसके नाम में, परिवर्तन, फर्म का नवीन गठन समझा जाएगा जिसके लिए नया रिजस्ट्रीकरण आवश्यक होगा।
- (4) रजिस्ट्रीकरण धारक कारबार के प्रयोजनों के लिए, जिसके लिए उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र जारी किया गया है, में कोई परिवर्धन या विलोपन करने के लिए पचास रूपये की फीस के संदाय के साथ आवेदन कर सकेगा। सचिव आदेश द्वारा, ऐसा परिवर्धन या विलोपन अनुज्ञात करेगा तत्पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र और रजिस्टर तद्नुसार संषोधित किया जाएगा।
- 26. (1) दलालों, तोलकारों, मापकों सर्वेक्षकों, गोदाम रक्षकों, हैमालियों और अन्य मण्डी कृत्यकारियों का रिजस्ट्रीकरण.—(1) कोई व्यक्ति जो किसी मण्डी क्षेत्र में दलाल, तोलकार, मापक, सर्वेक्षक, गोदाम रक्षक, हैमाली या मण्डी कृत्यकारी के रूप में या किसी अन्य हैसियत से कृत्य करने की वांछा रखता है, तो उसे रिजस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र प्राप्त करना होगा जिसे वह प्ररूप "ञ" में सम्बद्ध अधिसूचित मण्डी क्षेत्र की समिति के सचिव को उप—िनयम (4) के अधीन वर्णित अपेक्षित फीस के साथ आवेदन सम्बोधित और परिदत करके प्राप्त कर सकता है.
- (2) सचिव, आवेदक के आचरण और कारबार के विषय में, जैसा कि वह आवश्यक समझे, जांच करने के पश्चात् समिति के अनुमोदन से प्ररूप "V" में वर्णित निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन या जैसी कि समय—समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र जारी कर सकेगा।
 - (3) सिमति सभी रजिस्ट्रेशनों का अभिलेख प्ररूप "ए" में रखेगी।
 - (4) इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस के मापमान निम्न प्रकार से होंगे:--

प्रवर्ग रिजस्ट्रीकरण फीस प्रति वर्ष (रूपये)

(क) तोलकार या मापक या सर्वेक्षक पचास रूपये

(ख) दलाल एक सौ रूपये

(ग) गोदाम रक्षक

एक सौ पचास रूपये

(घ) हैमाली

तीस रूपये

- (ङ) अन्य जो विनिर्दिष्टः रूप में उपर वर्णित (जैसी कि समिति द्वारा नहीं है। समय—समय पर नियत की जाए)
- 27. फर्म की सदस्यता और अभिनाम में परिवर्तन.—(1) जहां रजिस्ट्रीकरण धारक अधिनियम की धारा 40 के अधीन एक फर्म है, तो ऐसी फर्म की सदस्यता में घटित परिवर्तन विरासत से अन्यथा नई फर्म का गठन समझा जाएगा और नया रजिस्ट्रीकरण आवश्यक होगा।
- (2) जहां कोई परिवर्तन जो, धारा 40 के अधीन रिजस्ट्रीकरण अनिवार्य नहीं बनाता है, सदस्यता में होता है या फर्म उसकी सदस्यता में परिवर्तन किए बिना इसका नाम परिवर्तन करती है, तो इसकी सूचना ऐसे परिवर्तन की तारीख से दो सप्ताह के भीतर फर्म के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सम्बन्धित समिति के सचिव को देगी, जो रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के साथ-साथ समिति के कार्यालय में रखे गए रिजस्टर में आवश्यक संशोधन करने का आदेश देगा।
- (3) उपरोक्त उप—िनयम (2) के अधीन आने वाले मामले में, यदि फर्म उप—िनयम (2) में विनिर्दिष्ट अविध के भीतर सिचव को आवष्यक सूचना देने में असफल रहती है, तो यथास्थिति, फर्म की सदस्यता या इसके नाम में, परिवर्तन, फर्म का नवीन गठन समझा जाएगा जिसके लिए नया रिजस्ट्रीकरण आवश्यक होगा।
- 28. रिजस्ट्रीकरण का नवीकरण और द्विप्रतिक (डुप्लीकेट) प्रमाण पत्र जारी करना.— (1) नियम 26 के अधीन किया गया रिजस्ट्रीकरण जारी करने की तारीख से एक वर्ष की अविध के लिए वैद्य होगा और प्ररूप "ठ" पर आवेदन करने पर निम्न प्रकार से वार्शिक फीस की अदायगी करने पर नवीकृत किया जाएगाः

रजिस्ट्रीकरण का प्रवर्ग नवीकरण फीस (रूपये)

(क) तोलकार या मापक या सर्वेक्षक तीस रूपये

(ख) दलाल साठ रूपये

(ग) गोदाम रक्षक नब्बे रूपये

(घ) हमाल बीस रूपये

- (ङ) अन्य जो विनिर्दिष्टरूप से उपर वर्णित (जैसी कि समिति द्वारा नहीं है समय—समय पर नियत की जाए)
- (2) यदि कोई क्षेत्र किसी अधिसूचित क्षेत्र से हटा दिया जाता है और दूसरे क्षेत्र में सिम्मलित कर दिया जाता है तो ऐसे हटाए गए क्षेत्र के लिए वैद्य रिजस्ट्रीकरण उस अधिसूचित मण्डी क्षेत्र की सिमिति जिसमें ऐसा क्षेत्र सिमलित किया गया है, द्वारा किया गया समझा जाएग।
- (3) यदि अधिनियम की धारा 40 के अधीन प्रदत या नियम 28 के उप—िनयम (1) के अधीन नवीकृत रिजस्ट्रीकरण गुम हो जाता है, तो दस रूपये के संदाय पर उस प्राधिकारी द्वारा जिसने मूल प्रमाण—पत्र जारी किया है द्विप्रतिक रिजस्ट्रीकरण जारी किया जा सकेगा।
- 29. व्यापारियों के विरूद्ध धारा 40 के अधीन कतिपय रिजस्ट्रीकरण रखने (धारित करने) पर प्रतिशेध. ——(1) जैसा इसमें इसके पश्चात उपबन्धित है के सिवाय, कोई भी व्यक्ति एक ही समय एक से अधिक

रजिस्ट्रीकरण (धारा 40 और 39 (2) (VII) अधीन) जो उसे एक से अधिक कृत्यकारी की हैसियत से कार्य करने के लिए समर्थ बनाए, धारण नहीं कर सकेगा।

- (2) तथापि उप-नियम (1) में तोलकार या सर्वेक्षक या मापक के रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति उक्त तीनों हैसियतों में समसामयिक रूप से कार्य करने पर प्रतिशिद्ध नहीं समझा जाएगा।
- **30. मण्डी में विक्रय संव्यवहारों में पारदर्शिता.**—(1) कोई भी ब्यक्ति किसी संव्यवहार में दलाल को नियोजित करने, या किसी दूसरे पक्षकार द्वारा संव्यवहार के लिए नियोजित दलाल को भुगतान करने, या जब कोई दलाल नियोजित न हो, को दलाली का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
- (2) जहां कोई व्यक्ति कमीशन अभिकर्ता के माध्यम से कृषि उपज के क्रय या विक्रय के किसी संव्यवहार में प्रवेश करता है, और कमीशन अभिकर्ता मुख्य व्यापारी के लिखित प्राधिकार के बिना, ऐसे संव्यवहार के सम्बन्ध में दलाल नियोजित करता हे तो दलाल की कमीशन, कमीशन अभिकर्त्ता द्वारा देय होगी और उसे अभिकर्ता को देय पारिश्रमिक में से संदत्त किया जा सकेगा।
- (3) एक ही व्यक्ति क्रेता तथा विक्रेता दोनों के लिए उसी संव्यवहार में दलाल के रूप में कार्य नहीं करेगा।
- (4) मण्डी में विक्रय के लिए लाई गई समस्त कृषि उपज या तो खुली नीलामी द्वारा या मुख्य या उप—मण्डी प्रांगण में बातचीत द्वारा बेची जाएगीः

परन्तु कृषि उपज, प्रबन्ध निदेशक या इस बाबत अन्य प्राधिकृत अधिकारी की अनुमित से, द्विपक्षीय संव्यवहार द्वारा या तो मण्डी क्षेत्र के भीतर या मुख्य या उप—मण्डी प्रांगण से बाहर स्थित रिजस्ट्रीकरण धारक के कारवार के स्थान पर, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसी कि बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, क्रय की या विकीत की जा सकेगी। क्रेता ऐसे संव्यवहारों का अभिलेख प्ररूप ''ड'' में रखेगा और समिति को प्ररूप "ढ़" में सूचना देने के साथ—साथ प्ररूप ''ण'' में विवरणी देगाः

परन्तु यह और कि यदि उत्पादक या विकेता अपनी उपज को सीघे (आन लाइन) इलैक्ट्रोनिक मीडिया, राष्ट्रीय वस्तु विनिमय या किसी अन्य वस्तु विनिमय के माध्यम से या किसी अन्य साधन द्वारा जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट नहीं है बिकीत करता है, तो वह ऐसे संव्यवहार का अभिलेख प्ररूप "ड" में अनुरक्षित करेगा और इससे सम्बन्धित सूचना प्ररूप "ण" में विवरणी सहित प्ररूप "ढ" में समिति को देगा।

- (5) उप नियम (4) की कोई भी बात नियम 22 में वर्णित प्रकृति के फुटकर विक्रय को लागू नहीं होगी।
- (6) समिति प्रत्येक विनिर्दिष्ट कृषि उपज की बावत नीलामी को आरम्भ करने और बन्द करने के लिए समय नियत करेगी।
- (7) कृषि उपज की कीमत गोपनीय संकेत या गोपनीय बोली या गोपनीय बातचीत द्वारा तय नहीं की जाएगी और परेषण की करार पाई गई कीमत से कोई कटौती नहीं की जाएगी।
- (8) बोली, समिति द्वारा नियोजित व्यक्ति से अन्यथा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संचालित नहीं की जाएगीः

परन्तु समिति आसाधारण परिस्थितियों में ही कोई आनुकल्पिक व्यवस्था कर सकेगी या उसकी अनुज्ञा दे सकेगी।

- (9) बोली में क्रेता द्वारा प्रस्तावित अधिकतम बोली, और कीमत जिस पर उपज का विक्रेता अपनी उपज का विक्रय करने की अपनी सहमति देता है,तो उपज की वही विक्रय कीमत होगी, और क्रेता द्वारा उस कीमत पर उपज को क्रय किया गया समझा जाएगा।
- (10) क्रेता द्वारा कृषि उपज, जिसके लिए उसने बोली दी है, को पूर्णतः निरीक्षित किया गया समझा जाएगा और उसे उसको वापस लेने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- (11) जैसे ही पारेषण के लिए कोई बोली पूरी हो जाती है, तो नीलामीकर्ता पुस्तक, जो उसके द्वारा प्ररूप ''त'' में अनुरक्षित की गई है, में सुंसगत विवरणियां भरेगा और क्रेता तथा बिक्रेता दोनों या उनके अपने अपने प्रतिनिधियों, जो भी स्थल–पर उपस्थित हो, के हस्ताक्षर करवाएगा।
- (12) क्रेता, उसके द्वारा क्रय की कृषि उपज का नीलामी के तुरन्त पश्चात् तोल करवाने के लिए उतरदायी होगा और बिक्रेता निलामी के पश्चात उपज में किसी क्षति, हानि या अवहास (बिगड़ने) के लिए दायी नहीं होगा।
- (13) उत्पादक द्वारा, उसकी ओर से कृषि उपज का विक्रय करने को रखा हुआ कोई व्यक्ति ऐसी उपज की बावत स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से क्रेता के रूप में कार्य नहीं करेगाः

परन्तु सहकारी विपणन समितियों को इस उप-नियम के उपबन्ध से छूट होगी।

- (14) तोल करने के पश्चात्, कमीशन अभिकर्ता इन नियमों में या इस अधिनियम के अधीन बनाई गई उप—विधियों में विनिर्दिष्ट आनुशंगिक प्रभारों के मद्दे यदि कोई हों, कटौती करने के पश्चात् बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के विक्रेता को संदाय करेगा।
- (15) प्रत्येक कमीशन अभिकर्ता, क्रेता को कृषि उपज के परिदान पर प्ररूप ''थ'' में ज्ञापन निष्पादित करेगा और उसका परिदान उसी दिन या किसी भी दशा में, उसमें वर्णित विक्रय आगम के आगामी दिन के पश्चात् केता को नहीं करेगा और मण्डी प्रभार का प्रतिपर्ण अपने कब्जे में रखेगाः

परन्तु इस उप–नियम की कोई भी बात वहां लागू नहीं होगी जहां कोई कृषि उपज, भार में पांच किंवटल से अधिक न हो।

- (16) तत्प्रतिकूल लिखित करार के अभाव में इन नियमों के अधीन क्रय की गई कृषि उपज की विक्रय कीमत, क्रेता द्वारा विक्रेता को, प्ररूप "थ" के परिदत किए जाने के पश्चात्, तुरन्त संदत की जाएगी।
- (17) विक्रीत की गई कृषि उपज का परिदान तब तक नहीं किया या लिया जाएगा, जब तक कि कमीशन अभिकर्ता या, यदि, विक्रेता ने कमीशन अभिकर्ता नियोजित नहीं किया है तथा केता ने विक्रेता को प्ररूप "द" में विक्रय वाउचर नहीं दे दिया है, जिसका प्रतिपर्ण, यथास्थिति कमीशन अभिकर्ता या केता द्वारा, समिति को द्विप्रतिक सहित परिदान करके प्रतिधारित किया जाएगा।
- (18) प्रेषण की करार कीमत से कोई कटौती नहीं की जाएगी, सिवाए मानक से विचलन के मद्दे जहां क्रय ज्ञात मानक के संदर्भ द्वारा या वास्तविक और मानक भार या माप के मध्य भिन्नता के कारण किया जाता है:
- परन्तु यह कि यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो सम्बन्धित समिति का सचिव स्थल पर ही विवाधक का विनिश्चय करेगा, और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा और विवाद के पक्षकारों पर वाध्यकारी होगा।

- 31. प्राइवेट मण्डी में कृषि उपज के विक्रय में पारदर्शिता.—(1) विक्रय के लिए प्राइवेट मण्डी में लाई गई समस्त कृषि उपज का खुली बोली या बातचीत द्वारा विक्रय किया जाएगा।
- (2) प्राइवेट मण्डी प्रांगण का स्वत्वधारी प्रत्येक विनिर्दिष्ट कृषि उपज की बावत बोली को प्रारम्भ करने और बन्द करने के लिए समय नियत करेगा।
- (3) कृषि उपज की कीमत गोपनीय संकेतों या गोपनीय बातचीत द्वारा तय नहीं की जाएगी और परेशण की करार कीमत से कोई कटौती नहीं की जाएगी।
- (4) बोली प्राइवेट मण्डी प्रांगण के स्वत्व धारी द्वारा नियुक्त किए गए ब्यक्ति से अन्यथा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संचालित नहीं की जाएगी।
- (5) क्रेता द्वारा नीलामी में प्रस्तावित अधिकत्म बोली, और कीमत जिस पर उपज का विक्रेता अपनी उपज का विक्रय करने को अपनी सहमति देगा, वही उपज की विक्रय कीमत होगी, और क्रेता द्वारा उपज को उस कीमत पर क्रय किया गया समझा जाएगा।
- (6) क्रेता द्वारा कृषि उपज जिसके लिए उसने बोली दी है, पूर्णतः निरीक्षित किया गया समझा जाएगा और उसको उसे वापिस लेने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- (7) किसी परेषण के लिए बोली पूरी होने के शीघ्र पश्चात्, बोलीदाता प्ररूप "ध" में उसके द्वारा अनुरक्षित बही में सुसंगत विवरणियां भरेगा और क्रेता तथा विक्रेता दोनों या उनके अपने—अपने प्रतिनिधियों, जो भी स्थल पर उपस्थित हो, के हस्ताक्षर करवाएगा।
- (8) क्रेता नीलामी के तुरन्त पश्चात् उसी दिन, जिस दिन उस द्वारा उपज का क्रय किया जाता है, कृषि उपज का तोल करवाने के लिए उत्तरदायी होगा और विक्रेता नीलामी के पश्चात् उपज में किसी भी क्षिति, हानि या अवहास (बिगड़ने) के लिए दायी नहीं होगा।
- (9) केता तोल करने के तुरन्त पश्चात् प्राइवेट मण्डी प्रागण के स्वत्वधारी द्वारा नियत और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सेवा प्रभारों, यदि कोई हो, की कटौती के पश्चात् विक्रेता को संदाय करेगा।
- 32. क्रेता और विक्रेता के मध्य करार का निष्पादित किया जाना.— जैसे ही कोई संव्यवहार प्रभावी होता है, तो कृषि उपज का प्रत्येक केता प्ररूप "न" में विक्रेता के पक्ष में एक करार (तीन प्रतियों में) हस्ताक्षरित करेगा, क्रेता और विक्रेता या उसके अभिकर्ता प्रत्येक के लिए एक प्रति दी जाएगी, और तीसरी प्रति समिति के अभिलेख के लिए होगी:

परन्तु इस उप—िनयम की कोई भी बात उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो किसी विनिर्दिष्ट कृषि उपज को अपने घरेलू उपभोग के लिए क्रय करता है, ऐसा क्रय, ऐसी शर्तो के अध्यधीन होगा, जैसी सिमिति की उप—विधियों में विनिर्दिष्ट की जाएं।

- 33. अधिसूचित मण्डी के भीतर तोल करना.—— (1) पैकिंग यूनिट जैसे कि बैग, आधा बैग (हाफ बैग) या बाक्स इत्यादि में भरी जाने वाली कृषि उपज के शुद्ध तोल का मानक समस्त मण्डियों में सामान्यतः एक रूप से अनुरक्षित ऐसा होगा, जैसा कि अधिनियम की धारा 11
- (2) (xiii) के उपबन्धों के अनुसार बोर्ड द्वारा स्थापित कृषि उपज विपणन मानकों ब्यूरों द्वारा अवधारित हो और कोई भी व्यक्ति कृषि उपज को, विहित मानक की सर्वथा कडी अनुपालना के सिवाए न तो भरेगा या न ही भरवाएगा और इसके अतिरिक्त, पैकिंग यूनिटों के सम्बन्ध में, मण्डी या प्राईवेट मण्डी में समस्त संव्यवहार इन मानकों के अनुसार किए गए समझे जाएगें।

- (2) कृषि उपज के लॉट की तुलाई पूर्ण होने पर तुरन्त संविदा का कोई भी पक्षकार,यदि यह इस प्रकार चयन करता है तो यह लॉट के कुल के दस प्रतिशत तक या लॉट में न्यूनतम वाक्स पैकिंग यूनिट का तुलाई परीक्षण करवाएगा। तुलाई स्थल पर तोल परीक्षण किया जाएगा और जहां तोल परीक्षण उस स्थल पर नहीं किया जाता है, तो उपज सही प्रकार से तोली हुई समझी जाएगी।
- (3) उप—िनयम (2) के अधीन परीक्षण तोल संविदा के दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में किया जाएगा। परीक्षण भार की शुद्धता में किसी पक्षकार द्वारा विवाद उत्पन्न करने या उपस्थिति से बचने की दशा में दूसरा पक्षकार समिति के किसी अधिकारी को जो मण्डी पर्यवेक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, लिखित में रिपोर्ट करेगा, जो अपनी उपस्थिति में तोल परीक्षण करवाएगा। इस प्रकार किए गए तोल परीक्षण का परिणाम अन्तिम, निश्चायक और दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।
- (4) यदि किसी कृषि उपज को विक्रय या क्रय संविदा के अनुसरण में, तोल करने से पूर्व तोल स्थान से हटा दिया गया है तो सचिव किसी भी समय और पक्षकारों को पूर्ववर्ती नोटिस सिहत, मानक तोल या सिमित द्वारा अनुरक्षित वैसे ही उपकरणों द्वारा यह पुष्टि करने के लिए भार की जांच कर सकेगा कि न सिर्फ भार ही सही और शृद्ध है अपित् यह उप— नियम (1) में परिभाषित मानकों के अनुरूप है:

परन्तु जहां तक साध्य हो, समन्वीक्षा (टेस्टचैक) संविदाकार पक्षकारों या उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में की जाएगी, ऐसा न होने पर, उसे दो स्वतन्त्र साक्षियों की उपस्थिति में किया जाएगा, जिनसे परिणाम को अधिप्रमाणित करने का अनुरोध किया जाएगा।

- (5) उप—नियम (4) के अधीन परीक्षित तोल के त्रृटिपूर्ण पाए जाने की दशा में, सचिव या प्राधिकृत कर्मचारी, जो मण्डी पर्यवेक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, सम्पूर्ण लॉट का पुनः तोल करवाएगा पुनः तोल तोलकार के खर्च पर किया जाएगा और यदि यूनिटस उप नियम (4) के अधीन विहित मानक के अनुसार पैक नहीं किए गए पाए जाते हैं तो पुनः पैकिंग का खर्च विक्रेता द्वारा वहन किया जाएगा। किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समिति,यथास्थिति, विचार कर सकती है, विक्रेता या तोलकार को बुला सकती है जो अंतर्वलित लागत का तुरन्त संदाय करने के लिए दायी होगा।
- 34. तुलाई उपकरणों, बाट और माप का प्रयोग, निरीक्षण और अभिग्रहण.——(1) अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में कृषि उपज की तुलाई या माप के लिए केवल ऐसे तुलाई उपकरणों और ऐसे बाट और माप का प्रयोग किया जाएगा जो हिमाचल प्रदेश बाट और माप अधिनियम, 1968 या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन विहित अपेक्षाओं को पूरा करते हो:
- 35. परन्तु अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के मुख्य मण्डी प्रांगण या उप—मण्डी प्रांगण (ओं) में कृषि उपज के क्रय और विक्रय के संव्यवहार में केवल सम्बन्धित सचिव द्वारा अनुमोदित इलैक्ट्रोनिक तराजू (तुलादण्ड) या कण्डा या प्लेटफार्म तराजू या कोई नवीनतम तुलाई तराजू प्रयोग में लाए जाएंगें।
- (2) प्रत्येक समिति, हिमाचल प्रदेश बाट और माप अधिनियम, 1968 या इस विषय पर तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपवन्धों के अनुसार सम्यक रूप से सत्यापित और स्टांपित एक क्विंटल की क्षमता का कम से कम एक तुलाई उपकरण और बाटों या इलैक्ट्रोनिक तराजुओं के दो सैट और मापों के दो सैट रखेगी जिसका परीक्षण और प्रमाणन प्रत्येक वर्ष कालिकतः ऐसी विधि के अधीन नियुक्त अभिकरण के माध्यम से करवाया जाएगा, और निरीक्षणों का अभिलेख समिति द्वारा रखा जाएगा।
- (3) सचिव, अपने कब्जे में किसी बाट(टों) या माप(पों) की समिति द्वारा रखे गए बाट(टों) और माप(पों)के प्रतिकूल मुफ्त जांच-पड़ताल करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञात करेगा।

- (4) तुलाई उपकरणों, बाटों और मापों को समस्त युक्तियुक्त समयों पर, प्रबन्ध निदेशक या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा परीक्षण और निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा और समिति, निरीक्षण अधिकारी द्वारा जारी किसी निर्देश का अनुपालन करने के लिए कर्तव्य द्वारा आबद्ध होगी।
- (5) अधिसूचित क्षेत्र के भीतर कियाशील ब्यापारी या रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारक द्वारा प्रयुक्त, रखे गए या कब्जे में तुलाई उपकरण, प्रयुक्त बाटों या मापों की प्रबन्ध निदेशक या सचिव या इस निमित प्राधिकृत कोई अन्य ब्यक्ति, किसी भी समय और बिना सूचना दिए निरीक्षण, परीक्षण और जांच कर सकते हैं तथा ऐसा प्रत्येक ब्यापारी या रिजस्ट्रीकरण धारक जिसके कब्जे में ऐसे तुलाई उपकरण, बाट या माप है, उपेक्षा किए जाने पर, उनका निरीक्षण, परीक्षण और जांच करने के लिए हकदार ब्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आबद्ध होगा।
- (6) उप—िनयम (5) के अधीन किसी तुलाई या मापन उपकरण, बाटों या मापों के निरीक्षण, परीक्षण और जांच करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसा करते समय, हिमाचल प्रदेश मापतोल अधिनियम, 1968 या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन नियुक्त निरीक्षक, माप तोल, की समस्त षिक्तयां प्राप्त होंगी।

अध्याय-5

मण्डी फीस इत्यादि का उदग्रहण और संग्रहण

- 35. कृषि उपज के विक्रय और क्रय पर मण्डी फीस का उदग्रहण और संग्रहण.——(1) सिमिति अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में लाई या विक्रीत कृषि उपज पर अधिसूचित कृषि उपज के प्रत्येक एक सौ रूपए के मूल्य के लिए एक रूपये की दर से मण्डी फीस का उदग्रहण और संग्रहण करेगी।
 - (2) इस उपबंध के अधीन संदेय मण्डी फीस निम्नलिखित रीति से वसूल की जाएगी, अर्थात:--
 - (i) यदि अधिसूचित कृषि उपज कमीशन अभिकर्त्ता के माध्यम से विक्रीत की जाती है, तो कमीशन अभिकर्त्ता मण्डी फीस को क्रेता से बसूल करेगा और इसे पूर्णतया समिति में जमा करेगा;
 - (ii) यदि अधिसूचित कृषि उपज किसी आयातकर्त्ता द्वारा विक्रीत की जाती है तो आयातकर्त्ता मण्डी फीस को क्रेता से वसूल करेगा और सम्पूर्ण संग्रहण को समिति में जमा करेगा;
 - (iii) यदि कृषि उपज व्यापारी द्वारा सीधे उत्पादक से क्रय की जाती है, तो व्यापारी मण्डी फीस का संदाय समिति को करने का दायी होगा:
 - (iv) यदि कृषि उपज का क्रय व्यापारी द्वारा किसी अन्य व्यापारी से किया जाता है, तो कृषि उपज का विक्रय करने वाला व्यापारी इसे क्रेता व्यापारी से वसूल करेगा और इसको पूर्णतया समिति में जमा करेगा:
 - (v) विक्रय के किसी अन्य मामले में केता, मण्डी फीस का संदाय समिति को करने के लिए दायी होगा;
 - (vi) यदि कृषि उपज ई.ट्रेडिंग या वस्तु विनिमय के माध्यम से उत्पादक द्वारा सीधे केता, जो सिमिति में रिजस्ट्रीकृत नहीं हैं, को विक्रीत की जाती है, तो केता, से मण्डी फीस का संग्रह करने और सिमिति को संदाय करने की जिम्मेदारी उत्पादक की होगी।

- (vii) ऐसी दशा में, जहां क्रेता समिति में रिजस्ट्रीकृत नहीं है, परन्तु कृषि उपज के निर्णीत विक्रय और क्रय में स्वंय को अंतवलित किए हुए है तो विक्रेता मण्डी फीस का संग्रहण करेगा और समिति को संदत करेगा.
- (viii) यदि अधिसूचित कृषि उपज के क्रेता की पहचान संम्भव नहीं है, तो फीस उस व्यक्ति द्वारा संदेय होगी जिसने उपज का विक्रय किया होगा या उसे मण्डी क्षेत्र में विक्रय के लिए लाया होगा ।
- (3) अधिसूचित कृषि उपज के क्रेता द्वारा संदेय मण्डी फीस विक्रेता को संदेय कीमत में से नहीं काटी जाएगी ।
- (4) मण्डी फीस का संदाय करने वाले व्यक्ति को प्रारूप—"प" में, प्राप्त रकम दर्शाते हुए, रसीद जारी की जाएगी ।
- (5) समिति का प्रत्येक अधिकारी या इसके द्वारा संदायों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अभिकर्त्ता समस्त प्राप्तियों का हिसाब, दिन प्रतिदिन के आधार पर, सचिव को देगा, जिसका लेखा—जोखा समिति की बहियों में किया जाएगा, और उस विशिष्ट के संव्यवहारों में दर्शाया जाएगा।
- (6) सिमति का प्रत्येक अधिकारी या इसके द्वारा फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत अभिकर्त्ता, कार्य के सभी समयों पर बैज धारण करेंगे या पहचान—पत्र साथ रखेंगे
- (7) प्रत्येक समिति रोकड़ का लेन—देन करने वाले प्रत्येक कर्मचारी से ऐसी प्रतिभूति लेगी जैसी यह आवश्यक समझे ।
- 36. फीस के संग्रहण के कार्य (जाब) को पटटे पर देने की शक्ति.——(1) समिति, प्रबंन्ध निदेशक के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन, अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में उदगृहीत फीस के संग्रहण के कार्य को ऐसे निबंधन और शर्तों पर जो उप—विधियों के अधीन विनिर्दिष्ट की जाएं एक समय में एक वर्ष से अनिधक किसी अविध के लिए संविदा पर पटटे पर दे सकेगी । संविदाकार और उसके द्वारा फीस के प्रवंधन और संग्रहण के लिए नियोजित कोई अन्य व्यक्ति:—
 - (i) मार्गदर्षन के लिए और कर्तब्य के निष्ठापूर्वक पालन के विषय में अधिनियम और तद्धीन बनाए गए इन नियमों और उप—विधियों के उपबंधों और समिति द्वारा पारित किसी अन्य आदेश द्वारा आवद्य होगा.
 - (ii) को समिति के कर्मचारी द्वारा प्रयोक्तब्य ऐसी ही शक्तियाँ होंगी, जैसी समिति, उनको समय—समय पर आदेश द्वारा प्रदत करें और
 - (iii) वैसे प्रतिकार का हकदार होगा और वैसे ही उत्तरदायित्व के अध्यधीन होगा, जैसे कि उसे समिति द्वारा मण्डी फीस के प्रवंधन और संग्रहण के प्रयोजन के लिए नियोजित किया गया हो ।
- 37. संव्यवहारों और फीस का लेखा रखा जाना.—(1) किसी कृषि उपज का व्यौहार करने वाला प्रत्येक व्यापारी, सिवाय उनके जिन्हें इन नियमों के नियम 22 के अधीन छूट है, दिन प्रतिदिन के आधार पर प्रत्येक संव्यवहार को जताते हुए, अन्य बातों के साथ, मदें मात्रा और मूल्य प्रदर्शित करते हुए प्ररूप—"ण" में विक्रय और क्रय का अभिलेख रखेगा तथा अधिनियम की धारा 39(2) (xvi) और धारा 60 की उप धारा (1) के अधीन उपबंन्धों द्वारा यथा अपेक्षित प्ररूप "फ" में वार्षिक लेखा प्रस्तुत करेगा:

परन्तु कमीशन अभिकर्त्ता जिसने प्ररूप "न" में रिपोर्ट प्रस्तुत की है, को विक्रय और क्रय का अभिलेख रखने से छूट होगी, जिसका अनुपालन करने के लिए क्रेता अकेले दायी होगा ।

- (2) सिमति, व्यापारियों द्वारा किए गए कुल क्रयों और विक्रयों तथा उदगृहीत और वसूली गई मण्डी फीस को दर्शाते हुए प्ररूप "ब" में एक रजिस्टर रखेगी ।
- (3) निर्धारण प्राधिकारी उप—नियम (1) के अधीन दी गई सूचना और संवंधित दस्तावेजों, विवरणियों और इसके पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अधिनियम की धारा 44 के अधीन समिति द्वारा उदगृहीत की जाने वाली फीस की दर अवधारित करेगा।
- (4) यदि कोई व्यापारी उप—िनयम (1) में यथा—िविनिर्दिष्ट विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है या निर्धारण प्राधिकारी के पास विश्वास करने का कारण है कि दी गई कोई सूचना असत्य है, तो यह प्ररूप "भ" में सवंधित व्यापारी को नोटिस जारी करने के पश्चात और जैसी यह आवश्यक समझे ऐसी जांच करने के पश्चात, विचाराधीन अविध के दौरान उसके कुल संव्यवहारित कारवार से मण्डी फीस की रकम निर्धारित करने के लिए कार्यवाही करेगा ।
- (5) यदि व्यापारी अभ्यासतः विवरणियां प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम करता है या निर्धारण प्राधिकारी की राय में वह मिथ्या या असत्य विवरणियां प्रस्तुत करने का अभ्यस्त है, तो सचिव उसके खातों (लेखों)का निरीक्षण कर सकेगा ।
- (6) यदि उप—िनयम (5) के अधीन निरीक्षण करवाया जाना है, तो निर्धारण प्राधिकारी व्यापारी को निरीक्षण के लिए नियत तारीख और स्थान के बारे में सूचित करेगा परंतु यदि व्यापारी ऐसी बांछा करे और ऐसी फीस का संदाय करे, जो सिमिति या सिचव अपनी ओर से नियत करें, तो निरीक्षण व्यापारी के परिसर में किया जाएगा ।
- (7) निर्धारण प्राधिकारी निरीक्षण के पश्चात नई विवरणी तैयार कर सकेगा या व्यापारी की लेखा विदयों में वर्णित संव्यवहारों के आधार पर पहले दी गई विवरणी संषोधित कर सकेगा तथा उसके आधार पर अधिनियम की धारा 44 के अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त फीस अवधारित कर सकेगाः

परन्तु यह कि यदि व्यापारी सही या नई विवरणी तैयार करने के लिए आवश्यक पूर्ण और शुद्ध सामग्री उपलब्ध कराने में असफल रहता है या यदि उसके द्वारा कोई बहियां न तो रखी गई हैं या न ही पेश की गई हैं, तो निर्धारण प्राधिकारी अपनी सर्वोत्तम विवेक बुद्धि के आधार पर व्यापारी आवर्त को निर्धारित करने के लिए कार्यवाही कर सकेगा तथा ऐसे निर्धारण के आधार पर उदग्रहणीय फीस की रकम अवधारित करेगा ।

- (8) विधि के अधीन अनुज्ञेय किसी अन्य शास्तिक कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निर्धारण प्राधिकारी, उप—नियम (7) के अधीन किए गए निर्धारण के आधार पर बसूलने योग्य पाई गई फीस / अतिरिक्त फीस का पांच गुणा शास्ति के रूप में अधिरोपित कर सकेगा
- (9) विवरणियों को प्रस्तुत करने में आभ्यासिक व्यतिक्रम या जानबूझकर मिथ्या या गलत विवरणियां देना, रिजस्ट्रीकरण के नवीकरण करने को निलम्बित या रदद करने या इन्कार करने के लिए पर्याप्त आधार होगा और इस उप—िनयम के उपबंध, जो अधिनियम के अधीन या इन नियमों या उप—िविधयों का सिमिति के आदेश द्वारा व्यापारी पर अधिरोपित किसी कर्त्तव्य के अननुपालन, या त्रृटिपूर्ण या साशय दोषपूर्ण अनुपालन पर लागू होने के साथ—साथ और किसी अन्य विधि, दाण्डिक या अन्यथा पर, लागू होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।
 - (10) (i) उप—िनयम (7) के उपबंधों के अनुसार किया गया निर्धारण आदेष और उप—िनयम (8) के अधीन अधिरोपित शास्ति का आदेश प्ररूप "म" में मांग सूचना (डिमांडनोटिस) द्वारा व्यापारी को सूचित किया जाएगा ।
 - (ii) आवेदन पर, निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सत्य प्रमाणित की गई एक प्रति जिस पर (क) आवेदन की प्राप्ति, (ख) सत्य प्रति को बनाने और (ग) आवेदक को परिदान की तारीख उपदर्शित हो, व्यापारी को दी जाएगी, जिसका पृष्ठांकन इस बाबत निश्चायक साक्ष्य होगा।

- (11) (i) उप—िनयम (7) या (8) के अधीन किए गए निर्धारण आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 60 की उप—धारा (3) के अधीन अपील ज्ञापन के रूप में और सम्बन्धित सचिव के पक्ष में, सिमित के क्षेत्र के बैक की शाखा में संदेय तीन सौ रूपये की फीस के मागदेय ड्राफ्ट के रूप में संलग्न सिमित द्वारा कम से कम दो शासकीय सदस्यों से सम्यक रूप से गिठत न्यायपीठ (बैंच) में की जाएगी ।
 - (ii) अपील प्राधिकारी, कारणों को अभिलिखित करते हुए बिलम्व के लिए माफी देकर अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि विलम्व, उसके समाधानप्रद रूप में अपीलार्थी के नियंत्रण से परे था ।

स्पष्टीकरण,—अपील दाखिल करने के लिए परिसीमा अवधि की संगणना करने के लिए निर्धारण आदेश की प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त करने में व्ययित अवधि अपवर्जित की जाएगी।

- (iii) कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी, जब तक कि अपीलप्रार्थी संबंधित समिति के पास निर्धारित फीस या अतिरिक्त फीस की रकम के साथ अधिरोपित शास्ति की रकम (जमा) निक्षिप्त नहीं कर देता है ।
- (iv) न्यायपीठ (बैंच) अपीलप्रार्थी को सुनने के पश्चात और निर्धारण प्राधिकारी के विचार सुनिश्चित करने के पश्चात तथा वाद के अभिलेख पर विचार करते हुए, निर्धारण को मान्य ठहराते हुए, या पुनरीक्षित करते हुए आदेश पारित कर सकती है या नए सिरे से विचार के लिए उसे ही अथवा किसी अन्य निर्धारण प्राधिकारी को वाद भेज सकेगी।
- 38. अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वार्षिक लेखे.—अधिसूचित कृषि उपज का कारवार करने वाला निजी या उपभोक्ता / किसान मण्डी प्रांगण का स्वत्वधारी प्ररूप "य" में संवंधित मण्डी और / प्रांगण में उसके द्वारा या माध्यम से 31 मार्च को समाप्त हो रहे पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान वचनबंध किए गए संव्यवहारों का विवरण प्रतिवर्ष 30 जून से पूर्व सम्बन्धित समिति के सचिव को प्रस्तुत करेगा।

अध्याय-6

संविदा कृषि

- 39. संविदा कृषि प्रायोजक का रजिस्ट्रीकरण.——(1) इन नियमों के नियम 21 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार संविदा कृषि प्रायोजक अपना रजिस्ट्रीकरण समिति के पास करेगा ।
- (2) संविदा कृषि प्रायोजक प्ररूप "यक" में संविदा कृषि उत्पादक के साथ एक करार करेगा । किए गए ऐसे करार को प्रवंध निदेशक के पास रजिस्ट्रीकृत करवाया जाएगा, जो इसकी प्रविष्टि रजिस्टर में करवाएगा और इस प्रयोजन हेतु रखी गई बही में चिपकवाएगा तथा उक्त करार की एक प्रति सम्बन्धित समितियों के सचिव को भी दी जाएगी ।
- 40. मण्डी प्रांगण से बाहर कृषि उपज का विक्रय.—संविदा कृषि करार के अधीन समाविश्ट कृशि उपज मण्डी प्रांगण से बाहर संविदा कृषि प्रायोजक को विक्रीत की जा सकती है, और ऐसे मामले में, मण्डी फीस प्रभार, बोर्ड़ द्वारा अधिनियम के अधीन समय—समय पर बनाई गई उप—विधियों के अधीन विनिर्दिष्ट दरों पर उदग्रहणीय होगा ।
- 41. वार्षिक लेखे.—संविदा कृषि प्रायोजक पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान उस के द्वारा वचनबध किए गए समस्त संव्यवहारों की बाबत प्ररूप "य" में प्रतिवर्श 30 जून से पूर्व सम्बन्धित सचिव को वार्शिक लेखे प्रस्तुत करेगा ।

अध्याय-7

विपणन मानक व्यूरो

- 42. कृषि उपज विपणन मानक व्यूरो की स्थापना.——(1) बोर्ड वृतिकतः अर्हित कार्मिकों सिहत कृषि उपज विपणन मानक व्यूरो की स्थापना एवं गठन करेगा तथा इसके लिए आवश्यक अर्हित कर्मचारीबृंद और अपरेटस से पूर्णतः सिज्जित एक या अधिक प्रयोगशालाओं सिहत इसमें सहचारी सुविधाओं का उपबन्ध करेगा ।
- (2) व्यूरो अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन होगा। यह बोर्ड के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा:
 - (क) भिन्न–भिन्न प्रजातियों, किरमों और प्रकारों की विभिन्न अधिसूचित कृषि उपज जो सामान्यतः उगाई या उपजाई जाती है तथा हिमाचल प्रदेश में स्थापित मंडियों में विक्रय के लिए प्रस्तुत (प्रस्थापित) की जाती है की मानक श्रेणियों को विकसित तथा परिभाषित करना;
 - (ख) प्रत्येक मानकीकृत बस्तु की सूचना प्रत्येक समिति को चाहे व अधिसूचित क्षेत्र के लिए स्थापित की गई हो या उसका स्वामित्व और प्रबंध निजी पक्षकार द्वारा अथवा उपभोक्ता के या कृशक के निकाय द्वारा रखा और किया जाता है:
 - (ग) किसी अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में विक्रय और क्रय हेतु लाई गई कृषि उपज में अपिमश्रण के कदाचारों का निवारण करने तथा उन्मूलन करने के लिए समस्त संभव प्रयास करना;
 - (घ) किसी मण्डी—निजी प्रांगण, उपभोक्ता की और कृषक की मण्डी या समिति द्वारा संचालित मण्डी के भीतर किसी कृषि उपज में अपमिश्रण के मामलों का पता लगाने के लिए निरीक्षणों, परीक्षणों, जिसमें प्रयोगशाला परीक्षण सम्मिलित हैं, को संचालित तथा कार्यान्वित करना;
 - (ङ) निर्यात की जाने वाली किसी कृषि उपज की बाबत परीक्षण करना और पादपस्वच्छता (फाइटोसेनीटरी) का प्रमाणपत्र जारी करना और साथ ही इस प्रभाव का एक प्रमाणपत्र जारी करना कि क्या विशिष्ट कृषि उपज को जैव / कार्बनिक परिवेश में उगाया गया है;
 - (च) मण्डी में विक्रय हेतु लाई जाने वाली प्रत्येक कृषि उपज के लिए पैकेजिंग सामग्री तथा विशिष्ट पैकेजिंग सामग्री में पैक किए जाने वाले वजन का मानकीकरण करना, और
 - (छ) ऐसा ही अन्य कोई कृत्य जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा सौंपा जाए ।
- (3) व्यूरो अध्यपेक्षा पर इसके द्वारा दी गई सेवाओं के बदले में, इसके किन्हीं भी व्यवहारों के पालन के अनुक्रम में, ऐसी दरों पर, जो बोर्ड द्वारा समय–समय पर नियत की जाएं, प्रभारों का उदग्रहण तथा संग्रहण करने में सक्षम होगा ।
- **43. निरसन और व्यावृत्तियां.——**(1) हिमाचल प्रदेश कृषि उपज मण्डी नियम, 1971 एतदद्वारा निरसित किए जाते हैं:
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, ऐसे निरिसत नियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन की गई समझी जाएगी तथा तब तक प्रवृत रहेगी जब तक कि इन नियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई द्वारा अधिक्रांत न कर दी जाए ।

प्ररूप "क" से "य" और "यक" प्ररूप "क"

परिशिष्ट

प्ररूप ''क''

[नियम 5 देखें]

प्राईवेट	या	उपभोक्ता	या	किसान	मण्डी	प्रांगण	की	स्थापना	करने	के	लिए	अनापत्ति	(निराक्षेप)
प्रमाणपत्र के लि	ए अ	ावेदन											

सेवा में,

प्रबंध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड शिमला—171002.
1. मैं / हम, हिमाचल प्रदेश केमें एक प्राईवेट या किसान या उपभोक्ता मण्डी क्षेत्र के अन्तर्गत आ वालेमें एक प्राईवेट या किसान या उपभोक्ता मण्डी प्रांगण स्थापि करना चाहता हूं / चाहते हैं ।
2. मेरे / हमारे पास हिमाचल प्रदेश के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जिला केएकड़ भूमि मेरे / हमारे कब्जे में पहले ही हैं ।
या
मैं / हम राज्य सरकार से निवेदन करता हूं / करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के गांव में, मुझे / हमें अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वालेजिला केजिला के गांव में, मुझे / हमें एकड़ भूमि पटटे (लीज) पर स्वीकृत की जाए ।
3. हम कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी हैं जिसका मुख्यालयहै या कोई अन्य संगठन (कृप्या विनिर्दिष्ट करें)
4. मैने / हमने हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औधानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन अधिनियम, 2005 और तद्धीन बनाए गए नियमों और उप—विधियों के विभिन्न उपबन्धों को सावधानी से देख लिया है और मैं / हम इस अधिनियम, नियमों और उप—विधियों के उपबन्धों और समय—समय पर जाज् अनुदेशों का पालन करूंगा / करेंगे ।
5. मैं / हम प्रवंध निदेशक के पक्ष में प्रसंस्करण फीस के रूप में, दस हजार रूपए की रकम व मांगरेश जाफर संख्या वारीख शिमला में देश संलग्न करता है / करते हैं।

- मागर्देय ड्राफ्ट संख्या तारीख शिमला में देय, सलग्न करता हूं / करते हैं।
- 6. अतः मैं / हम आपसे, हमें "अनापित्ति प्रमाणपत्र" जारी करने के लिए निवेदन करते हैं तािक मैं / हम मामले को आगे बढ़ा सकूं / सकें ।

आवेदक के हस्ताक्षर, प्राधिकृत अभिकर्त्ता का पता।

प्ररूप "ख"

[नियम 6(1) देखें]

धारा 25(1) के अधीन अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन

_\			_	
स	व	Г	Ŧ	Γ.

क्रम संर	<u> </u>	नाम	पिता / पति का नाम	पूरा पता
	(8)	यदि फर्म है तो फर्म निवास—स्थान और पते		यक्तियों के, उनके माता पिता के नाम
	(7)	यदि हिन्दु अविभक्त समर्थित)।		की विशिष्टियां (दस्तावेजी सबूत सहित
	(6)	क्या यह रजिस्ट्रीकृत है		
	(5)	यदि आवेदक कोई फ व्यक्ति विभिन्न कुटुबों		कुटुंब फर्म है या फर्म गठित करने वाले
	(4)	मण्डी प्र जाने के लिए प्रस्तावित		ने वाला विनिधान और बनाई गई/बनाई
	(3)	 सहित)	मण्डी क्षेत्र के सर्निमाण के	हें लिए उपलब्ध क्षेत्र (राजस्व कागज पत्रो
	(2)		सके लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन विवरण जो परिसरों को पहचान	ा किया है (भवन का नाम या संख्या और ाने में प्रर्याप्त हों विवरण दें।)
	(1)		सहित नाम लाइसेन्स की प्रति सहित उसव	(सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित राशन कार्ड हा फोटोग्राफ।)
मेरे / हम	मारे क	ारवार की विशिष्टियां नी	चि दी गई है.—	
	(ii)			हेतु प्रत्यक्षतः कृषि उपज क्रय करने के रविस्ट मेनिजमेंट) अवसंरचना स्थापित कर
महोदय,	(i)	के लिए		पादकों से प्रत्यक्षतः कृषि उपज क्रय करने भाने वाले पर प्राईवेट मण्डी र दिया है ।
	सचिव	ा, कृषि उपज मण्डी सरि	मेति के माध्यम	से
		ापन प्राधिकारी, व्रल प्रदेश राज्य कृषि वि ग।	ापणन बोर्ड,	
सेवा में,				

3

2

(9)	याद ३	भावदक कोई कम्पनी हें, तो दस्तावजी सबूत सहित कम्पनी की पूरी विशिष्टिया।
(10)	प्रवंध र	स्वत्वधारी या फर्म के प्रवंधक का नाम
(11)	नाम ३	भौर अभिनाम जिसके अन्तर्गत आवेदक काम करेगा
(12) 3	कारबार	र की विशिष्टियां जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित हैः
	(1)	प्राइवेट मण्डी प्रांगण के लिए ।
	(2)	उपभोक्ता या किसान मण्डी प्रांगण के लिए ।
		किसी मण्डी क्षेत्र में अवसंरचना सुविधाओं का उपबंध करने, जैसे अधिसूचित कृषि उपज का मूल्य परिवर्धन द्वारा अन्य प्रकार से श्रेणीकरण, पैकिंग और संव्यवहार ।
	(4)	अधिसूचित कृषि उपज के प्रसंस्करण के लिए ।
	(5)	अधिसूचित कृषि उपज के निर्यात के लिए ।
प्रमारि	णेत वि	ज्या जाता है कि.—–
		(1) आवेदन में दिए गए तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य हैं ।
		(2) मैं हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औधानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 और तद्धीन बनाए गए नियमों और उप—विधियों के उपबधों का पालन करूंगा । (3) मैं अपने कर्मचारियों के समस्त कृत्यों के लिए दायी रहूंगा ।
	(विका	अतः निवेदन है कि मुझे / हमें हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन स एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 20) की धारा 25(1) के अधीन अनुज्ञप्ति की जाए।
		आवेदक के हस्ताक्षर, सत्यापन
		या जाता है कि मैंने स्वयं में कृषि उपज के विपणन हेतु उपलब्ध कारवार का वैयक्तिक रूप से निरीक्षण किया है और इस प्रयोजन हेतु प्रर्याप्त अवसंरचना पायी
		सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति ।
टिप्पण	T.— — ज	ो लागू नहीं हैं उसे काट दें ।
पृष्टांकन संख्य	П	तारीख
मांगदेय ड्राफ्ट	संख्या	श राज्य कृषि विपणन बोर्ड, शिमला—171002 के प्रवंध निदेशक को रूपयों की रकम के तारीख सहित अग्रेषित किया जाता है । आवेदक (कों) की विशिष्टियों गया और सही पाया गया है, अतः आवेदक को अनुज्ञप्ति जारी की जाए ।

सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति।

प्ररूप "ग"

[नियम 6(2) और 6 (4) देखें]

धारा 25 के अधीन जारी अनुज्ञप्तियों का रजिस्टर

1.		अधिसूचित मण्डी क्षेत्र		
2.				
3.		मण्डी प्रांगण का पूरा पता		
4.		प्रवंध स्वत्वधारी या प्रवंधक क	ा माता–पिता के नाम सहित, न	пम
5.		अनुज्ञप्ति संख्या		
6.		अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां		
7.		भागीदारों का नाम		
क्रम	संख	थ्या नाम	पिता का नाम	पता
	1	2	3	4
8.		तारीख जिससे अनुज्ञप्ति प्रवृत	होगी	
9.				
10.				
11.				
12.		मागदय ड्राफ्ट संख्या आर ता	राज	
13.		जारी करने वाले अधिकारी के		

प्ररूप "घ"

[नियम ६(३) देखें]

धारा 25 के अधीन अनुज्ञप्ति प्ररूप

यह अनुज्ञप्ति श्री / मैसर्जको नीचे विहित शर्तो के अध्यधीन प्रदान की गई है। अधिसूचित मण्डी क्षेत्र.....

- 1. अनुज्ञप्ति संख्या
- 2. प्रवंध स्वत्वधारी या फर्म के प्रवंधक का, माता-पिता के नाम सहित, नाम
- 3. तारीख जिस से अनुज्ञप्ति प्रवृत होगी
- 4. तारीख जिस को अनुज्ञप्ति समाप्त होगी
- 5. प्रयोजन की विशिष्टियां जिसके लिए अनुज्ञप्ति विधिमान्य है
 - (i) प्राईवेट मण्डी प्रांगण के लिए ।
 - (ii) उपभोक्ता / किसान मण्डी प्रांगण के लिए ।

- (iii) मण्डी क्षेत्र में अवसंरचना सुविधाओं का उपबंध करने के लिए जैसे कि अधिसूचित कृषि उपज का मूल्य परिवर्धन द्वारा अन्य प्रकार से श्रेणीकरण, पैंकिंग, प्रिकूलिंग शीत संग्रहागार और संव्यवहार के लिए ।
- (iv) अधिसूचित कृषि उपज के प्रसंस्करण के लिए ।
- (v) अधिसूचित कृषि उपज के निर्यात के लिए ।
- 6. मण्डी प्रागण / बढ़ाई गई अवंसरचना का स्थान

स्थानः तारीखः प्रबंध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, शिमला–171002

अनुज्ञप्ति की शर्ते :---

- 1. अनुज्ञप्तिधारी, हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औधानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 20) और तदधीन बनाए गए नियमों और उप—विधियों के उपबन्धों और समय—समय पर जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन करेगा ।
- 2. अनुज्ञप्तिधारी, किसी व्यापारी, मण्डी प्रागंण का उपयोग करने वाले मण्डी कृत्यकारियों को अधिनियम और तद्वधीन बनाए गए नियमों और उप विधियों के किन्ही उपबन्धों का अपवंचन या अतिलंधन करने की अनुज्ञा नहीं देगा और कृषि उपज मण्डी समिति को फीस का अपवंचन या किसी अतिलंधन/भंग की जो उसकी जानकारी में है, लिखित में रिपोर्ट करेगा।
- 3. अनुज्ञप्तिधारी, मांग किए जाने पर, बोर्ड के प्रवंध निदेशक या सम्बन्धित समिति के सचिव को, अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित करेगा और अनुज्ञप्तिधारी को इस सम्बन्ध में रसीद दी जाएगी ।
- 4. अनुज्ञप्तिधारी खरे व्यौहार के सिद्वान्तों के अनुसार, मण्डी प्रांगण के कार्य को ईमानदारी और उचित तौर से चलाएगा ।
 - 5. अनुज्ञप्तिधारी कृषि उपज के भण्डारकरण हेतू परिसरों को साफ और उपयुक्त स्थिति में रखेगा ।
- 6. अनुज्ञप्तिधारी ऐसे क्रियाकलापों और व्यवहारों में लिप्त नहीं होगा जो व्यापार के हितों और उसके मण्डी प्रांगण के उचित रूप से कार्य करने में हानिकर हो ।
- 7. अनुज्ञप्तिधारी, उसके मण्डी प्रांगण में विक्रय या भण्डारकरण के लिए लाई गई कृषि उपज की सुरक्षित अभिरक्षा और संरक्षण के लिए दायी होगा ।
- 8. अनुज्ञप्तिधारी, कृषक या अन्य उत्पादक जो अपनी उपज विक्रय या भण्डारकरण के लिए उसके मण्डी प्रांगण में ला रहे हैं. का शोषण नहीं करने देगा ।
- 9. अनुज्ञप्तिधारी बोर्ड द्वारा समय—समय पर यथा अनुमोदित मण्डी प्रभार/आनुशंगिक प्रभार उदगृहीत करेगा ।
- 10. अनुज्ञप्तिधारी अपने कारवार परिसर को आग या अन्य प्राकृतिक विपत्तियों के लिए बीमाकृत करवाएगा ।
- 11. अनुज्ञप्तिधारी उन समस्त बहियों एवं अभिलेखों को बनाए रखेगा जो इन नियमों के अधीन विहित की गई है और उन्हें नियमित रूप से विहित प्राधिकारियों को प्रस्तुत करेगा ।

- 12. अनुज्ञप्तिधारी, मण्डी क्षेत्र में उन सभी अवसंरचनाओं जो नियमों में विहित की गई हैं का उपवंध करेगा ।
 - 13. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति की समाप्ति या पहले पर्यवसान पर, उसे बोर्ड को अभ्यर्पित करेगा ।
- 14. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञापन प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी या सम्बन्धित समिति के सचिव द्वारा वांछा करने पर, अपने कारबार / मण्डी प्रांगण से सम्बन्धित मामलों की सही सूचना देगा।
- 15. अनुज्ञप्तिधारी, मण्डी प्रांगण / कारबार स्थान में पहुंचने वाली समस्त कृशि उपज की दैनिक दरों और आगमन को बनाए रखेगा और संप्रदर्शित करेगा और उसकों सहजदृश्य स्थान पर हिन्दी या अग्रेजी में व्यापार प्रवेश द्वारा (मुख्यद्वार) नेटवर्क के माध्यम से प्रदर्शित करेगा

टिप्पणः जो लागू नहीं है उसे काट दें।

प्ररूप "ड "

[नियम ७(1) देखें]

धारा 25 के अधीन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप ।

सेवा में,	अनुज्ञापन प्राधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, शिमला—171002
माध्यम सेः	सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति
विषय:	अनुज्ञप्ति का नवीकरण ।
महोदय,	

- में, अपनी अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए निवेदन करता हूं । आवश्यक विशिष्टियां नीचे दी गई है:--
- 1. प्राईवेट / उपभेक्ता मण्डी प्रांगण / अन्य विपणन अवसंरचना की विशिष्टियां जिसके लिए अनुज्ञप्ति जारी की गई है।.....
- 2. आवेदक का नाम (मण्डी प्रांगण के स्थान की पूरी विशिष्टियों सहित).....
- 3. अनुज्ञप्ति की संख्या.....
- 4. तारीख जिस को अनुज्ञप्ति समाप्त होगी......
- 5. अवधि जिस के लिए नवीकरण अपेक्षित है......
- 6. संदत फीसः रूपए.....
- 7. संदत शास्ति, यदि कोई है, रूपए.....
- 8. क्या आवेदक (का) या जहां आवेदक कोई फर्म हैं, उसके किसी सदस्य को, अकेले या किसी अन्य निकाय के सहयोग से......

	(ख)	नैतिक अंधमता में अन्तर्वलित किसी अपराध में दोषसिद्व हुआ हो, यदि ऐसा है, दोषसिद्वि की तारीखया
	(ग)	अनुन्मोचित दिवालिया घेाषित हुआ हो
	(ঘ)	समिति / बोर्ड को देय का संदाय न करने का व्यतिक्रमी
		मद्दे संलग्न कर रहा हूं ।
2.	उपर्यु	क्त दी गई विशिष्टियां मेरे सर्वोतम ज्ञान और विष्वास के अनुसार सत्य और सही है ।
तारीखः		आवेदक के हस्ताक्षर।
सत्यापित अ	विदन व	की विषय—वस्तु ।
	बैक के	
		सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, तारीख
पृष्ठांकन संर	<u>ब्</u> याः	
बोर्ड के काय	र्गालय ह	शरा रिपोर्ट
तारीख प्रबंध निदेशव	म के उ	गदेश
तारीख		प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर।
		 प्ररूप "च"
		[नियम 21 (1 (iii) और 21 (3) देखें]
		धारा 40 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्ररूप का प्ररूप
सेवा में, महोदय,	सचि कृषि	व उपज मण्डी समिति
	कारबार	र की विशिषटियां निम्नलिखित हैं:—
(1)		दक या प्राधिकृत व्यक्ति के पूरे पते (पासपोर्ट आकार के फोटो और आवासीय प्रमाण, जैसे ा कार्ड, विघुत बिल इत्यादि सहित नाम)

	(2)	कारबार का स्थान जिसके लिए रजिस्ट्रकरण अपेक्षित है (भवन का नाम या संख्या या अन्य विवरण जो परिसरों को पहचानने में प्रर्याप्त हो, फसल के या गांवों और नाम सहित क्षेत्र, किसानों की सख्या, इत्यादि जहां संविदा खेती की जाएगी, के नाम या संख्या दे)
	(3)	यदि आवेदक कोई फर्म है या यह हिन्दू अविभक्त कुंटुंब फर्म है,
	(4)	यदि आवेदक हिन्दू अविभक्त कुटुब फर्म है, रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियां जो दस्तावेजी सबूत से समर्थित हो
	(5)	यदि आवेदक कोई फर्म है, तो फर्म गठित करने वाले समस्त व्यक्तियों का नाम माता—पिता का नाम, निवास और पता देः
क्रम सं()	नाम पिता / पति का नाम पूर्ण पता
1		2 3 4
	(6)	फर्म के प्रबंध स्वत्वधारी या प्रबंधक का नाम
	(7)	नाम और अभिनाम जिसके अन्तर्गत आवेदक कार्य करेगा
	(8)	क्या आवेदक या, जहां आवेदक कोई फर्म है, उसके किसी सदस्य को, अकेले या किसी अन्य के सहयोजन से, राज्य के किसी अन्य मण्डी क्षेत्र में कोई रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है और क्या ऐसा रजिस्ट्रीकरण निलंबित या रदद् कर दिया गया है? यदि ऐसा है, तो कब, और किस अविध के लिए और किन कारणों से
	(9)	कारबार की विशिष्टियां जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है:—
		(i) कमीशन अभिकर्ता । (ii) संविदा खेती प्रायोजिक । (iii) क्रेता या विकेता या दोनों (iv) भण्डारकरण । (v) प्रसंस्करण । (vi) अग्रेषण अभिकर्ता ।
	प्रमापि	गेत किया जाता है कि, ,,
	(i)	आवेदन में उपवर्णित तथ्य मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य है। मैं हिमाचल प्रदेश कृषि और औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2005 और तद्धीन बनाए गए नियमों और उप–विधियों के उपबंधों का पालन करने का वचन देता हं।

- (ii) मैं अपने कर्मचारियों के समस्त कार्यो के लिए उतरदायी रहूंगा।

अतः निवेदन है कि मुझे / हमें हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 40 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें।

समिति के कार्यालय द्वारा भरा जाएगा।

प्राप्त रजिस्ट्रीकरण फीस	रसीद की संख्या और तारीख	रोकड़ बही का पृष्ठ जहां प्रविष्टि की जाएगी
1	2	3

(लेखाकार)

		\sim	
सत	या	पित	
	~		
/ਹ	चि	ਨ)	
$\Gamma Z J$	19	ч <i>1</i>	

तारीख.....

टिप्पणः जो लागू नहीं है उसे काट दें।

प्ररूप "छ" खनियम 21 (4) और 21 (5) देखें, धारा 40 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्ररूप

		करण प्रमाण पत्र श्री∕मैसर्ज ाया है :——	को	नीचे	दी	गई	शर्ता	के	अध्यधीन
मण्डी	क्षेत्र								
1. 2. 3. 4.	माता तारीर	न्ट्रीकरण संख्या पिता के नाम सहित नाम ख जिस से रजिस्ट्रकरण प्रभावी होगा ख जिस को रजिस्ट्रीकरण समाप्त होगा							
5.	कारब	गर की विशिष्टियां जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण विधिमान्य है:–	-						
	(i)	कमीशन अभिकर्ता।							
	(ii)	संविदा खेती प्रायोजित।							
	(iii)	क्रेता या विक्रेता या दोनों							
	(iv)	भण्डारकरण् ।							
	(v)	प्रसंस्करण।							
	(vi)	अग्रेषण अभिकर्ता।							
	6.	कारबार का स्थान या फसल के नाम सहित संविदा खेती	का क्षे	ोत्र					
स्थान.					कृषि	उप	ज विष	पणन	सचिव, समिति।

रजिस्ट्रीकरण की शर्तें :---

- 1. रजिस्ट्रीकरण धारक, हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 20) और तद्धीन बनाए गए नियमों और उप विधियों के उपबन्धों और समय—समय पर जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन करेगा।
- 2. रजिस्ट्रीकरण धारक अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और उप—विधियों के किन्ही उपबन्धों का अपवंचन या अतिलंघन करने की अनुज्ञा नहीं देगा और समिति को, अपवंचन या भंग के बारे जो उसकी जानकारी में आता है, लिखित में रिपोर्ट करेगा।
- 3. रजिस्ट्रीकरण धारक मांग पर सचिव को अपना रजिस्ट्रीकरण अभ्यर्पित करेगा और रजिस्ट्रीकरण धारक को इस सम्बन्ध में रसीद दी जाएगी।
- 4. रजिस्ट्रीकरण धारक खरे व्यौहार के सिद्वान्तों के अनुसार अपने कारबार का संचालन ईमानदारी से और उचित तौर से करेगा।
- 5. रजिस्ट्रीकरण धारक कृषि उपज के भण्डारकरण हेतू अपने कारबार परिसरों को साफ और उपयुक्त स्थिति में रखेगा।
- 6. रजिस्ट्रीकरण धारक ऐसे क्रियाकलापों और व्यवहारों में लिप्त नहीं होगा जो व्यापार के हितों और मण्डी को उचित रूप से कार्य करने में हानिकर हो।
- रिजस्ट्रीकरण धारक उसकी दुकान में विक्रय या भण्डारकरण के लिए लाई गई कृषि उपज की सुरक्षित अभिरक्षा और संरक्षण के लिए दायी होगा।
- 8. रजिस्ट्रीकरण धारक अपने कारबार परिसर को आग से बीमाकृत करवाएगा।
- 9. रजिस्ट्रीकरण धारक अन्य क्रेताओं के साथ, प्रतिस्पर्धा हटाने के लिए पूल या संयोज्य का गठन नहीं करेगा और विक्रेता को उसकी उपज के उचित मूल्य से बंचित करने के लिए कोई दुष्प्रेरण या इसका प्रयास नहीं करेगा।
- 10. रजिस्ट्रीकरण धारक किसी कृषि उपज का, ऐसे किन्ही रसायनों से, जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हों, उपचार नहीं करेगा।
- 11. रजिस्ट्रीकरण धारक स्वंय या किसी अनुमोदित प्रतिनिधि के द्वारा नियमित तौर पर और तत्परता से मण्डी में हो रही नीलामी में उपस्थिति रखेगा।
- 12. रजिस्ट्रीकरण धारक रजिस्ट्रीकरण के पर्यवसान या शीघ्र समाप्ति पर, उसे समिति को अभ्यर्पित करेगा।
- 13. रजिस्ट्रीकरण धारक जब समिति के सचिव या इसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा बांछा की जाएगी अपने कारबार से सम्बंधित मामलों की सही सूचना दाखिल करेगा।
- 14. रजिस्ट्रीकरण धारक किसी रजिस्ट्रीकृत दलाल, तोलकार, मापक सर्वेक्षक, हैमेल (पल्लेदार) को अपनी सेवा में न ही लेगा और न ही रखेगा।
- 15. रजिस्ट्रीकरण धारक किसी अन्य रजिस्ट्रीकरण धारक का बहिष्कार या बहिष्कार को प्रोत्साहित नहीं करेगा।
- 16. रजिस्ट्रीकरणतक, एक मार्किट वर्ष के लिए विधिमान्य होगा।

प्ररूप "ज" [नियम 21 (4) और 21 (5) देखें] धारा 40 के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण का रजिस्टर

1.	अधिसूचित मण्डी क्षेत्र
2.	फर्म/आवेदक का नाम
3.	परिसरों का पता
	संविदा खेती का क्षेत्ररिक: सिव्या सहित्र
5.	प्रबंध स्वत्वधारी या प्रबन्धक के नाम सहित माता–पिता का नाम
6.	रजिस्ट्रीकरण संख्या
7.	रजिस्ट्रीकरण का विवरण
8.	भागीदारों के नाम

क्रम	नाम	पिता का	पता	प्रविष्टि	तारीख जिससे	तारीख जिस	प्राप्त की गई	रसीद	जारी	टिप्पणियां
सं0		नाम		की	रजिस्ट्रीकरण	को	रजिस्ट्रीकरण	संख्या	करने	
				तारीख	प्रवृत होगा	रजिस्ट्रीकरण	फीस	और	वाले	
						समाप्त		तारीख	प्राधिकारी	
						होगा			के	
									हस्ताक्षर	
									सहित	
									पदनाम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्ररूप "झ" खनियम 21 (2) देखें,

धारा 40 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन प्ररूप ।

सेवा में,				
	सचि	व,		
	कृषि	उपज	मण्डी	समिति,
महोदय,				

मैं अपने रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए निवेदन कर रहा हूं। आवश्यक विश्विटियां नीचे दी गई है:—

मण्डी क्षेत्र का नाम जिसके लिए रिजस्ट्रीकरण जारी किया गया है......
 आवेदक का नाम (कारबार के स्थान की पूर्ण विशिष्टियों सिहत).....
 प्रबंध स्वत्वधारी या फर्म के प्रबंधक का नाम, यदि कोई है.....
 रिजस्ट्रीकरण संख्या.....
 तारीख जिस को रिजस्ट्रीकरण समाप्त होगा....
 अविध जिस के लिए रिजस्ट्रीकरण के लिए निवेदन किया गया है....
 संदत की गई फीस रूपये.....
 संदत की गई शास्ति, यदि कोई है रूपये.....

9.	क्या से:—		गवेदक फर्म है, उस	के किसी सदस्य को	अकेले या किसी के सहयोग		
	(ক)	राज्य के किसी अन्य मण्डी क्षेत्र में व्यापारी का रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया है और क्या उसका रजिस्ट्रीकरण निंलबित या रद्द कर दिया गया है, यदि ऐसा है तो कब, कहां, किस अविध के लिए और किन कारणों से, या					
	(ख)	व्यवसायी के रूप में उक्त व्यक्ति की सत्यनिष्ठा को प्रभावित करते हुए वह किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध हुआ है, यदि ऐसा है तो दोषसिद्धी की तारीख, या					
	(ग)	अनुन्मोचित दिवालि	या घोषित हुआ हो				
	(ঘ)	क्या आवेदक ने मण् है		टक इत्यादि समस्त दे	देयों का पूर्ण भुगतान कर दिया		
10.	प्रमार्ग	णेत किया जाता है ि	के आवेदन में उपविष	र्गत तथ्य मेरे ज्ञान से	। सत्य है।		
तारीख					आवेदक के हस्ताक्षर		
		ग्र द्वारा भरा जाएगा।					
नवीकरण रजिस्ट्रीकर फीस		प्राप्त की गई शास्ति यदि कोई है	रसीद की सख्या और तारीख	रोकड़ बही का पृष्ठ जिस में प्रविष्टि की जाएगी	टिप्पणियां		
1		2	3	4	5		
टिप्पणीयां ।							
संख्या					तारीख		
आवेदन की ी	आवेदन की विषय वस्तु सत्यापित लेखाकार समिति।						
रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के आदेश							
							
	•••••				पदनाम सहित हस्ताक्षर।		

प्ररूप "ञ" [नियम 26 (1) देखें]

सेवा में,	[114120 (1) 43]				
रापा ग,	सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति,				
	क्यान ७५०। मण्डा सामात,				
महोदय,					
मेरे	कारबार की विशिष्टियां निम्न प्रकार से है:–				
1.	आवेदक के नाम सहित माता पिता का नाम, निवास	स्थान एवं पूरा पता			
2.	यदि आवेदक कोई फर्म है, क्या यह हिन्दू अविभक्त	कुटुंब फर्म है, या अन्यथा गठित है ।			
3.	क्या इसे रजिस्ट्रीकृत किया गया है या नहीं				
4.	यदि आवेदक फर्म है, इसे गठित करने वाले समर नाम, निवास स्थान और प्रत्येक का पूरा पता दें				
क्रम सं0	नाम	पिता / पति का नाम			
1	2	3			
5.	प्रबंध स्वत्वधारी या प्रबन्धक जो वास्तव में कारबार व	का संचालन करेगा का नाम			
6.	नाम या अभिनाम जिसके अन्तर्गत आवेदक अपने क	रबार का संचालन करेगा			
7.	क्या आवेदन दलाल/तोलकार/मापने वाले/सर्वेक्ष में रजिस्ट्रीकृत होने की वांछा रखता है।	क गोदाम रक्षक / हमाल (पल्लेदार) के रूप			
8.	8. क्या आवेदक का पूर्वत्तर में यदि कोई हो, रिजस्ट्रीकरण किया गया है या किसी अधि मण्डी क्षेत्र में यदि आवेदक कोई फर्म है, उसके किसी सदस्य को, अकेले या किसी असि सहयोजन से, दलाल, तोलकार, मापक (मापने वाले), सर्वेक्षक, गोदाम रक्षक या हमाल (पल्ले के रूप में, कार्य करने के लिए रिजस्ट्रीकरण रद्द किया गया है। यदि ऐसा है तो, कहां, किस अविध के लिए और किस कारण से ?				

प्रमाणित किया जाता है कि :---

- (i) आवेदन में दिए गए तथ्य मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य है।
- (ii) मैं हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औधानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 20) और तद्धीन बनाए गए नियमों और उप—विधियों के उपबन्धों का पालन करने का वचन देता हुँ।
- (iii) मैं अपने कर्मचारियों के समस्त कृत्यों के लिए उत्तरदायी रहूंगा।

साधारण	राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 सितम्बर, 20	007 / 12 भाद्रपद, 1929 4801			
	हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानि अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रव	कीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) दान करने की कृपा करें।			
तारीख	तारीख आवेदक के हस्ताक्षर				
टिप्पणियां.——					
` '	ापक या सर्वेक्षक के रूप में कार्य ाएगा और किसी फर्म को नहीं।	ं करने के लिए रजिस्ट्रीकरण केवल व्यष्टि			
(2) यदि आवेदन किर्स किया जाएगा।	ो फर्म द्वारा किया गया है, तो य	ग्रह केवल प्रबन्ध स्वत्वधारी द्वारा हस्ताक्षरित			
	कार्यालय द्वारा भरा जाए	ш			
प्राप्त की गई रजिस्ट्रीकरण फीस	रसीद की संख्या और तारीख	रोकड़ बही के पृष्ठ जिसमें प्रविष्टि की जाएगी			
1	2	3			
आवेदन की विषयवस्तु सत्यापित		लेखाकार समिति ।			
मण्डी सर्वेक्षक मण्डी क्षेत्र / प्रांगण का प्रभारी					
21 2 11/1	रजिस्ट्रीकरण प्रधिकारी के 3	गदेश			
तारीख		पदनाम सहित हस्ताक्षर।			
	प्ररूप "ट"				
	[नियम 26 (2) देखें]				
	धारा 40 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकर				
यह रजिस्ट्रीकरण श्री / मैसर्ज(व्यक्ति या फर्म का नाम सहित पूर्ण पता) को मण्डी क्षेत्र में दलाल / तोलकार / मापक / गोदाम रक्षक / हमाल (पल्लेदार)या सर्वेक्षक के रूप में अपनाइकारबार चलाने के लिए, जारी किया जाएगा।					
1. रजिस्ट्रीकरण की उ	कम संख्या				
2. प्रबंध स्वत्वधारी / 3	गवेदक का नाम				

तारीख जिस से रजिस्ट्रीकरण प्रवृत होगा.....

तारीख जिस को रजिस्ट्रीकरण समाप्त होगा.....

3.

4.

	5.	कारबार का स्थान				
स्थान						
तारीख .		रिजस्ट्रीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर।				
रजिस्ट्रीकरण की शर्ते						
	1.	रजिस्ट्रीकरण धारक हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 20) और तद्धीन बनाए गए नियमों और उप—विधियों के उपबन्धों और समय—समय पर जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन करेगा।				
	2.	रजिस्ट्रीकरण धारक शर्त संख्या—। के अन्तर्गत वर्णित नियमों और उप—विधियों के किन्ही उपबन्धों का अपबंचन या अतिलंघन करने की अनुज्ञा नहीं देगा और समिति को अपबंचन या भंग के बारे जो उसके नोटिस में आता है, लिखित में रिपोर्ट करेगा।				
	3.	रजिस्ट्रीकरण धारक, सचिव द्वारा इस निमित्त लिखित में मांग पर अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभ्यर्पित करेगा।				
	4.	रजिस्ट्रीकरण धारक खरा व्यौहार के सिद्वान्तों के अनुसार अपने कारबार का संचालन ईमानदारी से और उचित तौर से करेगा।				
	5.	रजिस्ट्रीकरण धारक, अन्य रजिस्ट्रीकरण धारक का बहिष्कार या बहिश्कार करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा।				
	6.	रजिस्ट्रीकरण धारक ऐसे क्रियाकलापों और व्यवहारों में (लिप्त) आसक्त नहीं होगा जो व्यापार के हितों और मण्डी के उचित रूप से कार्य करने के लिए हानिकर हों।				
	7.	रजिस्ट्रीकरण धारक, गोदाम रक्षक के सिवाय, व्यापारी के अधीन कोई सेवा स्वीकृत नहीं करेगा।				
	8.	यदि रजिस्ट्रीकरण धारक, तोलकार, मापक या सर्वेक्षक या हमाल (पल्लेदार) हो, तो वह ऐसी व्यवस्था को, जिसे समिति ने, उनकी सेवाओं की प्राप्यता जब भी अपेक्षित हो, सुनिश्चित करने की दृष्टि से बनाया है, का पालन करेगा। रजिस्ट्रीकरण धारक अपने कारबार के घण्टों के दौरान, समिति द्वारा दिए गए बैज धारण करेगा।				
	9.	यदि रजिस्ट्रीकरण धारक गोदाम रक्षक है, तो वह अपने गोदाम को समिति के समाधान के लिए स्वच्छ, साफ और सुव्यवस्थित रखेगा।				
		———— प्ररूप "ठ"				
		[नियम 28 (1) देखें]				
	धार	ा 39 (2) (अपप) और 40 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन प्ररूप				
सेवा में,	•••					
,	सचिव कृषि	, उपज मण्डी समिति				
महोदय,						
है:——	मैं अप	पने रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए निवेदन करता हूं। आवश्यक विशिष्टियां नीचे दी गई				
	1.	मण्डी क्षेत्र का नाम जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण जारी किया गया है				

2.	आवेदक व	ठा नाम (कारबार के स्था न	न की पूरी विशिष्टियों सहित)							
3.	प्रबंध स्वत्	वघारी या फर्म के प्रबंधक	का नाम, यदि कोई है।							
4.	रजिस्ट्रीक	रण संख्या								
5.			प्त होगा							
6.			क्षेत है							
7.										
8.										
9.		•		 ई फर्म है, उसके किसी सदस्य						
0.				हे किसी मण्डी क्षेत्र में दलाल,						
	तोलकार, मापक, सर्वेक्षक या गोदाम रक्षक या हमाल (पल्लेदार) के रूप में कार्य करने के लिए									
	रजिस्ट्रीक	रण प्रदान किया गया है उ	और ऐसा रजिस्ट्रीकरण निलंबि	वेत या रदद् कर दिया गया है।						
यदि	ऐसा है, तो	कब, कहां और किस अ	वधि के लिए और किन कारण	ों से ?						
प्रमाणित किर	ग जाता है	कि आवेदन में दिए गए र	नमस्त तथ्य मेरे सर्वोतम ज्ञान	के अनुसार सत्य है।						
7 III IXI 147-	ar onch e	147 01144 1 147 17 1	THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE	ar organic area er						
				आवेदक के हस्ताक्षर						
तारीख										
00 \	۲ ٪									
समिति के क	ायालय में भ	ारा जाएगा ।								
प्राप्त की गई	नवीकरण	प्राप्त शास्ति, यदि	रसीद की संख्या और	रोकड़ बही के पृष्ट जहां						
रजिस्ट्री		कोई है	तारीख	प्रविष्टि की जाएगी						
^		, ,		,						
1		2	3	4						
\ 0.4	\sim									
आवेदन की वि	विषय वस्तु	सत्यापित								
				लेखाकार						
				कृषि उपज मण्डी समिति।						
				יוארווייייייייייייייייייייייייייייייייי						
मण्डी पर्यवेक्ष	क									
		,								
समिति के क	समिति के कार्यालय की रिपोर्ट									
										
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के आदेश										

तारीखः

प्ररूप "ड" [नियम 30 (4) देखें]

क्रेता द्वारा रखा जाने वाला रजिस्टर

रजिस्ट्रीक	रजिस्ट्रीकरण धारक का नामरजिस्ट्रीकरण संख्या										
क्रम	संव्यवहार	उत्पादक	कृषि	कृषि	कृषि	यान की	वस्तविक	उत्पादक	टिप्पणियां		
सं0	की	का	उपज	उपज	उपज	किरम और	भार	विक्रेता /			
	तारीख	नाम	का	का	की	संख्या सहित		विक्रेता के			
		व	नाम	अनुमाणित	दर	परिवहन का		हस्ताक्षर			
		पता		भार		ढंग					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

प्ररूप "ढ" [नियम 30 (4) देखें]

क्रेता	द्वारा	समिति	को	सूचना	देना	रजिस्ट्रीकरण	धारक	का	ा नाम <u></u>
रजिर	ट्रीकर	ण संख	या						

क्रम सं0	उत्पादक / विक्रेता का नाम	कृषि उपज का नाम	वस्तविक भार	दर	मूल्य	संदेय मण्डी फीस की रकम	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8

में एत्दद्वारा प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त वर्णित सूचना और विशिष्टियां मेरे सर्वोतम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है।

(रजिस्ट्रीकरण धारक के हस्ताक्षर) फर्म का नाम।

प्ररूप "ण" [नियम 30 (4) और 37 (1) देखें]

दैनिक क्रय और विक्रयों की विवरणी प्रतिपर्ण

				प्रतिप	र्ण					
कृषि उपज	मण्डी समिति						तारीख		व्यापा	री का
		र फीस की अनि						रसीद	संख्या	और
ताराख सा	च्त्रसदत मण्डा	कास का आन	तम ताराख							
			क्र	य किय	गया	Γ				
संव्यवहार तारीख	वस्तु का नाम	विक्रेता का नाम जिससे क्रय की गई	भार	दर	मूर	्ल्य	क्या फीस उद्गृहीत है यदि नहीं, तो क्यों?	(क) क्रेता से (ग) कुल क्रे		
1	2	3	4	5	(6	7		8	
				विक्री	त					
क्रेता का नाम जिसे विक्रय किया गया है	भार	दर	मूल्य	क्या फीर उदगृहीत है, यदि नहीं तो क्यों?		हिति (ख) उत्पादकों से यदि (ग) कुल उदगृहीत ं तो फीस की रकम		टिप्प	णियां	
9	10	11	12	13			14	1	5	
कुल								कुल	री के हर	

प्ररूप "त" [नियम 30 (11) देखें] नीलामी रजिस्टर

तारीख	कमीशन	विक्रेता का	उपज	अनुमानित परिमाण	दर जिस	क्रेता का	कमीशन	क्रेता
	अभिकर्ता	नाम व	का	परिमाण	पर	नाम	अभिकर्ता	के
	का	पता	विवरण		कृषि		का नाम	हस्ताक्षर
	नाम				उपज की			
					पर कृषि उपज की विक्री की गई है			
					गई है			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्ररूप "थ"

[नियम 30 (15) और (16) देखें]

कमीशन अभिकर्ता के बिल का प्रतिपर्ण

बही संख्या										
क्रम संख्या	pम संख्या									
कमीशन अभिकल	र्ता का नाम									
क्रेता का नाम				तारीख						
वस्तु का नाम	भार	दर (रूपए मे)	कुल रकम (रूपए में)	मण्डी प्रभार (रूपए में)	कुल जोड़ (रूपए में)					
1	2	3	4	5	6					

- (i) कमीशन
- (ii) दलाली
- (iii) पल्लेदारी
- (iv) भरा जाना (भराई)
- (v) सिलाई
- (vi) प्रभार
- (vii) अन्य प्रभार
- (viii) कृपया विनिर्दिष्ट करें।
- (ix) कुल

क्रेता द्वारा अभिस्वीकृति।

कमीशन अभिकर्ता के हस्ताक्षर।

प्ररूप "द" [नियम 30 (17) देखें] विक्रेता के लिए विक्रय बाउचर प्रतिपर्ण

बही संख्या	कम संख्याकम	मण्डी का
नाम	.नीलामी की तारीख	
कमीशन अभिकर्ता का नाम	विक्रेता का	ं पता
विक्रेता का नाम		

वस्तु का नाम	क्रेता का नाम	भार	दर (रूपए में)	कुल मूल्य (रूपए)	आनुशंगिक प्रभार (रूपए)	कुल संदत रकम (रूपए)
1	2	3	4	5	6	7

प्ररूप "ध" [नियम 31 (7) देखें] प्राइवेट मण्डी प्रांगण में भरा जाने वाला नीलामी रजिस्टर

तारीख	विक्रेता का	कृषि उपज	अनुमानित	दर जिस पर	क्रेता	टिप्पणियां
	नाम व पता	का	परिमाण	कृषि उपज	का नाम	
		विवरण		का विक्रय	व पता	
				किया गया		
				है।		
1	2	3	4	5	6	7

विक्रेता के हस्त	नाक्षर				я	नेता के हस्ताक्षर।		
			प्ररूप "न"					
			[नियम 32 देखें]				
			करार का प्ररूप	1				
कृषि उपज मण	डी समिति				तारीख			
मण्डी क्षेत्र/प्रां	गण का नाम							
बही संख्या								
क्रम संख्या								
विक्रेता का नाम पूरे पता सहित	कमीशन अभिकर्ता का नाम, यदि कोई है, रजिस्ट्रीकरण संख्या और पता	क्रेता या उसके अभिकर्ता का नाम और पता	विक्रीत कृषि उपज का ग्रेड सहित नाम यदि कोई हो	ग्रेड़ अनुसार अनुमानित परिमाण	ग्रेड़ वार जिस दर पर विक्रीत की गई	विक्रेता या उत्पादक को संदत की जाने वाली कुल रकम		
1	2	3	4	5	6	7		
में एत्दद्वारा उपरोक्त कृषि उपज का स्तंम्भ संख्या 6 में विनिर्दिष्ट दर पर परिदान लेने का करार करता हूं और इस दर से वापस लेने का कोई अधिकार नहीं होगा। मैं हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) नियम, 2007 के नियम 48 के उप—िनयम (10) और (12) के उपबन्धों का पालन करने का करार करता हूं। (उत्पादक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर) साक्षीः (1)								

प्ररूप "प" [नियम ३५ (४) देखें।

			[ानयम 35	(४) दख]			
कृषि उपज म	ाण्डी समिति						
		(रसीद)					
बही संख्याः	प्रार्ग	प्त संख्या		तार्र	गेख		
से			रूपए	रूपएके मद्दे प्राप्त			
	नेखाकार ाण्डी समिति के	हस्ताक्षर	 प्ररूप	—— "फ"	क्	सचिव वृषि उपज मण्डी समिति	
विक्रय और व्र	तय की वार्षिक	विवरणी	[नियम 37	(1) देखें]	प्रा	तिपर्ण तारीख	
कृषि उपज म	ाण्डी समिति						
	गम						
	_						
					क्रय या विक्रय		
कुल क्रय या विक्रय की गई कृषि उपज की मात्रा (क्विन्टलों में)	कृषि उपज का मूल्य (रुपये में)	कुल संदेय मण्डी फीस	पहले ही संदत मण्डी फीस	प्राप्ति संख्या और तारीख	संदत की जाने वाली अतिशेष मण्डी फीस	टिप्पणियां	
1	2	3	4	5	6	7	
					(अनुज्ञप्तिधारी	या व्यापारी के हस्ताक्षर)	
			प्ररूप	<u>"ब</u> "			
			[नियम 37	(2) देखें]			
					म		

तारीख	विक्रीत कृषि		रजिस्ट्रीकरण	विक्रीत कृषि	दर कृषि	उपज का
	का विव	का विवरण		उपज की		मूल्य
			सहित	मात्रा		
			व्यापारी का			
			नाम			
	विक्रेता के रूप	क्रेता के				
	में	रूप में				
1	2	3	4	5	6	7
कुल मासिक						
मासिक						

क्या फीस उद्गृहीत है यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रभार्य फीस	वसूली गई फीस	जारी की गई रसीद की संख्या और तारीख	वसूल की जाने वाली फीस का अतिशेष	अतिशेष की वसूली की तारीख
8	9	10	11	12	13

: सचिव, समिति ,	समिति के लेखाकार के हस्ताक्षर।
सेवा में,	———— प्ररूप "भ" [नियम 37 (4) देखें] निर्धारण नोटिस
	मैसर्ज
क्योंकि	
	(क) आप, एक व्यापारी हैं आपकी रिजस्ट्रीकरण संख्या (यदि कोई है) या आप कृषि उत्पाद में व्यापार कर रहें है और मण्डी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 40 के अधीन रिजस्ट्रीकृत है, या रिजस्ट्रीकृत नहीं है, आपने से अविध के लिए प्ररूप "ड़" में विवरणी नहीं दी है / सही विवरणी नहीं दी है।

और उपरोक्त अवधि की बाबत हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) नियम, 2005 के नियम 37 के अधीन निर्धारण करना आवश्यक प्रतीत होता है।

		आपको एत्द द्वारा व्यक्तिगत रूप में या किसी प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से
दस्तावे	नों के	नाम
	1) 2)	
	3)	
		निर्धारण प्राधिकारी कृषि उपज मण्डीसमिति
तारीखः		&
		———— प्ररूप "म"
		[नियम 37 (10) (I) देखें]
		मांग नोटिस (डिमान्ड नोटिस)
संख्या		तारीखकृषि उपज मण्डी समिति
सेवा में,		
	श्री /	मैसर्ज
	,	
	के दौ	को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है किरा आपके कारबार का मण्डी फीस के उद्ग्रहण और शास्ति इत्यादि के लिए, निम्नलिखित के रण कर दिया है:—
	(ক)	कारबार का निर्धारित मूल्य
		प्रभार्य मण्डी फीस
	(ग)	पहले से संदत मण्डी फीस, यदि कोई है
	(ঘ)	कुल सदेय (ख-ग)
	(ভ়)	शास्ति
	(च)	कुल (घ+ग)

				3 1(1(1.4(, 2007			4011
आप (स्थान)	को एत्द द्वार	Tपर		कृषि तार्र	वे उपज मण्डी ोख को या उर	समिति के इस ससे पहले	के कार्यालय
रुपा	ए की रकम क		ा का निदेश ि			पर उक्त रक	
							रण प्राधिकारी मण्डी समिति
						1211 0 191	
				ग ्रं य"			
		ها		और 41 देखें] का वार्शिक वि	ਰਹਾਸ		
		яч	आर ।पश्रम्	पग पारापगाप	414	तारीख	
प्राइवेट मण्डी	ो प्रांगण का न	ाम					
प्रायायोजित	संविदा खेती						
						(य	
							ाय पगर ए)।
कृषि उपज की किस्म	कुल क्रय की गई या विक्रीत कृषि उपज की मात्रा	क्रय की गई या विक्रीत कृषि उपज का मूल्य (रेंज)	कुल संदेय मण्डी फीस (यदि कोई है)	पहले संदत मण्डी फीस	रसीद संख्या और तारीख	संदत की जाने वाली अतिशेष मण्डी फीस यदि कोई है	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ŭ	Т			,	<u> </u>
					अनुज्ञ	प्तिधारी / रजिर	<i>न्द्रीकरणधारक</i>
							के हस्ताक्षर
			प्ररूप	"यक"			
		•		(2) देखें]			
		सा	वदा खता क	लिए नमूना क	रार		
						T	
						गर कहा गया	
						वारिस, निश्पा तीय पक्षकार	
जार समनुदा (जिसकी अधि	रास ना <i>घा उ</i> मेव्यक्ति जबत	क कि संदर्भ	या अर्थ से अ	 न्यथा विरूद्व	ग्यात इत्तम ।८ न हो के अन्त	ताय पद्मकार गित, उसके उ	नग्हा गया ह तरवर्त्ती और
		। आज किया व					

यह कि प्रथम पक्षकार निम्नलिखित विशिष्टियों से सम्बन्धित कृषि भूमि का स्वामी / कृषक है।

गांव	गट संख्या / खसरा संख्या	हैक्टर में क्षेत्र	तहसील / जिला	राज्य

द्वितीय पक्षकार कृषि उपज में व्यापार कर रहा है और भूमि की तैयारी, नर्सरी, उर्वरक, नाशक जीव प्रबंधन, सिंचाई, फसल कटाई और इसी तरह की अन्य बातों की बाबत तकनीकी जानकारी भी उपबंधित करवा रहा है।

द्वितीय पक्षकार विशिष्टतः इससे उपाबद्व अनुसूची—। में उल्लिखित कृषि उपज की मदों में अधिक (समबद्ध) हितबद्ध है और द्वितीय पक्षकार के निवेदन पर, प्रथम पक्षकार इससे उपाबद्व अनुसूची—। में उल्लिखित कृषि उपज की मदों की खेती और उत्पादन करने के लिए सहमत हो गया है, और इसके पक्षकारों का इसमें इसके पश्चात आने वाले निबंधनों और षर्तों को लिखित में लेखवद्व करने के लिए करार हो गया है।

यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है,

- 1. प्रथम पक्षकार खेती करने और उत्पादन करने (उपज पैदा करने) और द्वितीय पक्षकार को उसे परिदत करने के लिए सहमत हो गया है और द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार से कृषि उपजों की मदों को कृय करने के लिए सहमत हो गया है, मदों की विशिष्टयां क्वालिटी (गुणवता), मात्रा और मदों की कीमत की विशिष्टियां इससे उपाबद्व अनुसूची—। में उल्लिखित की गई है।
- 2. कृषि उपज, जिसकी विशिष्टियां अनुसूची—। में उल्लिखित की गई हैं, की पूर्ति, प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को इसकी तारीख सेमहीने/ वर्ष की अवधि के भीतर की जाएगी।

या

दोनों पक्षकारों के मध्य स्पष्ट तौर पर यह सहमति हुई है कि यह करार कृषि उपज, जिसकी विशिष्टियां इसकी अनुसूची—। में वर्णित है, के लिए है और......महीने/वर्ष की अवधि के लिए है और उक्त अवधि के अवसान के पश्चात, यह करार अपने आप समाप्त हो जाएगा।

- 3. प्रथम पक्षकार खेती करने और उत्पादन करने और द्वितीय पक्षकार को, इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित मात्रा की आपूर्ति करने के लिए सहमत है।
- 4. प्रथम पक्षकार अनुसूची—। में नियत क्वालिटी विर्निदेशों के अनसुार संविदा की गई मात्रा की आपूर्ति के लिए सहमत है। यदि कृषि उपज तय की गई क्वालिटी (गुणवता) के स्तर (मानकों) के अनुरूप नहीं है, तो द्वितीय पक्षकार केवल इस कारण से ही कृशि उपज का वितरण लेने से मना करने का हकदार होगा। तब,
 - (क) प्रथम पक्षकार, द्वितीय पक्षकार को, पारस्परिक पुनः बातचीत से तय की गई कीमत (मूल्य) पर उत्पादन का विक्रय करने के लिए मुक्त होगा।

(ख) खुली मण्डी में (थोक क्रेता अर्थात् निर्यातक, प्रोसेसर, विनिर्माता इत्यादि को) और यदि वह संविदा की गई कीमत (मूल्य) से कम कीमत प्राप्त करता है, तो वह द्वितीय पक्षकार को उसके निवेष हेत् अनुपाततः कम संदाय करेगा।

या

- (ग) मण्डी प्रांगण में और यदि उसके द्वारा प्राप्त की गई कीमत (प्राप्त किया गया मूल्य) संविदा की गई कीमत से कम है, तब वह द्वितीय पक्षकार को निवेश हेतू अनुपाततः कम वापस करेगा।
- 5. प्रथम पक्षकार, द्वितीय पक्षकार द्वारा समय—समय पर दिए गए सुझावों जैसे भूमि तैयार करना, पौधशाला, उर्वरक, नाशक जीव प्रबंधन, सिंचाई, फसल की कटाई और अन्य किसी की बाबत अनुदेशों / पद्धित को स्वीकार करने और इसकी अनुसूची—। में उल्लिखित विर्निदेशों के अनुसार खेती और उत्पादन करने के लिए सहमत है। (हुआ हैं)।
- 6. इसके दोनों पक्षकारों द्वारा और दोनों के मध्य स्पष्टतः यह तय हुआ है कि क्रय निम्नलिखित निबंधनों के अनुसार होगा और क्रय के तुरन्त पश्चात् क्रय पर्चियां (स्लिपस) जारी की जाएगी।

तारीख	वितरण बिन्दु	वितरण की कीमत (लागत)

और करार किया जाता है कि तय किए गए वितरण बिन्दु से संविदा किए गए उत्पादन के परिदान के प्रस्ताव के पश्चात इसका कब्जा लेने का दायित्व द्वितीय पक्षकार का होगा और यदि वह.... अविध के भीतर परिदान लेने में असफल रहता है तब प्रथम पक्षकार संविदा की गई कृशि उपज का निम्न अनुसार विक्रय करने के लिए मुक्त होगा:—

- (क) खुली मण्डी में (थोक क्रेता अर्थात् निर्यातक, प्रोसेसर, विनिर्माता इत्यादि), और यदि वह संविदा की गई कीमत से कम कीमत प्राप्त करता है, तो वह द्वितीय पक्षकार को उसके निवेश हेत् अनुपाततः कम संदाय करेगा।
- (ख) मण्डी प्रांगण में, और यदि प्राप्त की गई कीमत से कम है, तब वह द्वितीय पक्षकार को उसके निवेश हेतू अनुपाततः कम वापस करेगा। और करार किया जाता है कि अभिवहन में क्वालिटी (गुणवता) बनाए रखने की जिम्मेवारी (का उतरदायित्व) द्वितीय पक्षकार की होगी और प्रथम पक्षकार उसके लिए जिम्मेवार या दायी नहीं होगा।

7. द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रथम पक्षकार को दी गई समस्त बकाया अग्रिम की कटौती करने के पश्चात् द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार को, अनुसूची में उल्लिखित कीमत / दर, जब उसकी फसल की कटाई हो जाएगी और द्वितीय पक्षकार को वितरित (परिदत) कर दी जाएगी, संदाय करेगा। संदाय के लिए निम्नलिखित अनुसूची का अनुसरण किया जाएगा, अर्थात:—

तारीख	संदाय का ढ़ंग	संदाय का स्थान

 इसकी अनुसूची—। में वर्णित संविदाकृत उपज काअवधि के लिए दैवकृतों, विनिर्दिष्ट
परिसम्पतियों के विनाश, ऋण व्यतिक्रम और उत्पादन एवं आय, हानि तथा पक्षकारों के नियंत्रण से परे समस्त
अन्य कार्य या घटनाएं, जैसे गम्भीर बीमारी का प्रकोप, महामारी या मौसम की असामान्य दशा, बाढ़ सूखे,
ओला-वृष्टि, चक्रवात, भूकम्प, आग या अन्य महाविपतियां, युद्द, सरकार के कार्य, इस करार की प्रभावी तारींख
को या उसके पश्चात् विद्यामान कार्रवाई जो पूर्णतः या अंशतः प्रथम पक्षकार की बाध्यता की पूर्ति से निवारित
करती है, के कारण हानियों के जोखिम के विरुद्ध इसके पक्षकार बीमा करेंगे। प्रार्थना पर, प्रथम पक्षकार ऐसे
कृत्यों का अवलम्ब करते हुए (पद्यति अपनाते हुए) दूसरे पक्षकार को तथ्यों के विद्यमान होने की पुष्टि करेगा
ऐसा साक्ष्य यथोचित सरकारी विभाग के प्रमाण-पत्र या कथन से गठित होगा। यदि ऐसा कथन या प्रमाण-पत्र
युक्ति युक्त ढंग से अभिप्राप्त नहीं किया जा सके, तो प्रथम पक्षकार दावाकृत तथ्यों और ऐसे तथ्यों के
विद्यमान होने की पुष्टि करने वाले प्रमाण-पत्र या कथन के कारण ऐसे कृत्यों का दावा करते हुए उनके
प्रतिस्थापन के रूप में एक नोटरी (द्वारा) संम्बन्धी कथन कर सकता है। अनुकल्पतः दो पक्षकारों के मध्य
आपसी करार के अध्यधीन प्रथम पक्षकार उपज का अपना कोटा अन्य स्त्रोतों के माध्यम से पूरा कर सकता है
और कीमत में अन्तर के कारण उसके द्वारा इसे जो हानि हुई हो, उसे बीमा कम्पनी से वसूली गई रकम को
हिसाब में लेने के पश्चात् पक्षकारों के मध्य बराबर बांटा जाएगा। बीमा प्रीमियम दोनों पक्षकारों द्वारा बराबर
सहभागिता होगी।

- 9. द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार को खेती करने और खेती कटने के पश्चात् के प्रबंध की अवधि के दौरान एत्द्द्वारा निम्नलिखित सेवाओं का उपबंध करने के लिए सहमत है, जिसकी विशिष्टियां निम्न प्रकार से हैं:--
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
- 10. द्वितीय पक्षकार या उसका प्रतिनिधि प्रथम पक्षकार द्वारा संविदा अवधि के दौरान स्थापित / नामित किसान फोरम के साथ नियमित (पारस्परिक प्रभाव) अन्योन्यक्रिया के लिए सहमत हैं।
- 11. द्वितीय पक्षकार या उसके प्रतिनिधयों को समय—समय पर अंगीकृत (कृषि) खेती पद्वति (परिपाटी) और उत्पादन की क्वालिटी (गुणवता) को मानीटर करने के लिए प्रथम पक्षकार के परिसरों / खेतों में, स्वंय के खर्च पर प्रवेश करने का अधिकार होगा।

द्वितीय पक्षकार ने स्वंय को रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी अर्थात सचिव के पास...... को रजिस्ट्रीकृत कर दिया है। सम्बद्व रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा उद्गृहीत फीस सिर्फ द्वितीय पक्षकार द्वारा पूर्णरूप से वहन की जाएगी और प्रथम पक्षकार को संदत रकम, जो भी हो, से किसी भी रीति में, कटौती नहीं की जाएगी।

- 13. यह कि द्वितीय पक्षकार का प्रथम पक्षकार की भूमि/सम्पति पर हक, स्वामित्व, कब्जे का कोई अधिकार नहीं होगा न ही यह किसी प्रकार से प्रथम पक्षकार की भूमि/सम्पति को इस करार के जारी रहने के दौरान विशिष्टतया, बंधक, पटटे, उप—पटटे या अन्तरण द्वारा किसी व्यक्ति/संस्थान को अन्य संक्रामण (हस्तांतरित) करेगा।
- 14. द्वितीय पक्षकार, दोनो पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित और सचिव के पास रजिस्ट्रीकृत, इस करार की सही प्रति (द्रू कापी) अधिनियम के अधीन यथा अपेक्षित, इस करार के निष्पादन की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर सचिव को प्रस्तुत करेगा।
- 15. संविदा का विघटन, पर्यवसान/रददकरण दोनो पक्षकारों की सम्मित से होगा और ऐसे विघटन पर्यवासान/रददकरण विलेख, ऐसे विघटन पर्यवसान/रददकरण की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर सचिव को संसूचित किया जाएगा।
- 16. दोनो पक्षकारों के मध्य, इस करार के अधीन अधिकारों और बाध्यताओं या किसी दावे, मुद्रा संम्बन्धी या अन्यथा एक पक्षकार का दूसरे पक्षकार के विरुद्ध या इस करार के किन्ही निबन्धनों और षतों के प्रभाव और व्याख्या के सम्बन्ध में, कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होने पर, विवाद या मतभेद को राज्य सरकार द्वारा इस बाबत, इस प्रयोजन हेतू गठित माध्यस्थम प्राधिकारी को निर्दिश्ट किया जाएगा।
- 17. इस करार के किसी पक्षकार के पते में परिवर्तन होने की दशा में उसकी सूचना दूसरे पक्षकार के साथ—साथ सचिव को भी दी जाएगी।
- 18. इस करार के अधीन अपने उत्रदायित्वों की अनुपालना में इसका प्रत्येक पक्षकार, दूसरे पक्षकार के साथ सद्भावपूर्वक, तत्परतापूर्वक और ईमानदारी से कार्य करेगा और दूसरे के हित को जोखिम (संकट) में नहीं डालेगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

1	
2	
की उपस्थिति में इसमें नामित प्रथम पक्षकार ने हस्ताक्षर किए, मोहर (मुद्रा) लगाई और परिदान किया।	हस्ताक्षर
1	
2	

की उपस्थिति में इसमें नामित द्वितीय पक्षकार ने हस्ताक्षर किए, मोहर (मुद्रा) लगाई और परिदान किया।

हस्ताक्षर

अनुसूची

ग्रेड विनिर्देश, मात्रा और कीमत चार्ट

ग्रेड	विनिर्देश	मात्रा	कीमत / दर
ग्रेड 1 या क (ए)	आकार, रंग, सुगंध (एरोमा) आदि		
ग्रेड 1 या ख (बी)			

आदेश द्वारा, हस्ता / . प्रधान सचिव

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 2nd August, 2007

No. Agr. A (3)-3/2003-L.— Whereas the draft Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (General) Rules, 2006 were published in the Rajpatra Himachal Pradesh (Extra ordinary) dated 27.6.06 vide this Government notification of even number dated 20.6.06 as required under section-83 (1) of Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2005 for the information of general public and the objection(s)/suggestion(s) from persons likely to be affected thereby were called for within 30 days of the publication of the said notification in the Rajpatra;

And whereas some objection(s)/suggestion(s) were received during the prescribed period and out of them only three were found justified and accepted as well as incorporated in the rules ibid:

Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of powers vested in him under section-83 (1) of the Act ibit is pleased to make the following rules namely:—

Rules

CHAPTER-I

PRELIMINARY

- **1.** *Short title.*—These rules may be called The Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (General) Rules, 2006.
- **2.** Definitions.—(1) In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context.—
 - (a) 'Act' means The Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2005 (Act No. 20 of 2005);
 - (b) 'Assessing Authority' means the Secretary of the Committee;
 - (c) 'Deputy Commissioner' means the Deputy Commissioner of the district having jurisdiction over the notified market area or, if such area is situated in more than one district, the Deputy Commissioner of one of those districts, as may be designated by the State Government in this behalf; and save as otherwise provided includes any person authorized by him to act on his behalf;
 - (d) **'Form'** means a form appended to these rules;
 - (e) 'Forwarding Agent' means a person or a group of persons or local grower-cumtrader or a transporter who, in consideration of commission, consolidates the agricultural produce from the producers in the market area and makes transport arrangement to forward the consolidated produce to commission agents, buyers, traders in the markets within or outside the State for sale;

- (f) 'Incidental charges' means the charges payable by the seller in lieu of the services rendered in connection with the handling of agricultural produce prior to the finalization of the bid at the auction, such as unloading, stacking, cleaning and dressing charges and shall also include remuneration for weighing of agricultural produce before the finalization of bids at the auction or negotiation;
- (g) 'Licensing Authority' means the authority to which an application for grant and/ or renewal of licence is made under section 25 of the Act;
- (h) 'Managing Director' means the person appointed by the State Government under section 9 of the Act as Managing Director of the Himachal Pradesh State Agricultural Marketing Board;
- (i) 'Registration authority' means an authority competent under section 40 of the Act to register market functionaries;
- (j) 'Registration holder' means a person holding a registration certificate issued under these rules; and
- (k) 'Secretary' means the Secretary of an Agricultural Produce Market Committee.
- (2) Words and expressions used in the Act and not defined in these rules shall have the meaning assigned to them in the Act.

CHAPTER-II

MEETING OF BOARD AND THE ESTABLISHMENT OF PRIVATE YARD, CONSUMER OR FARMER MARKET

- **3.** Meeting of the Board.— (1) Notice of a meeting shall be communicated by the Member Secretary to all the members ordinarily seven days in advance alongwith an intimation of the agenda of the business proposed to be transacted in the said meeting.
- (2) Proceedings of every meeting shall be recorded in the minutes book, which shall be authenticated by the Chairman and the Managing Director, and a copy of the same as soon as practicable shall be supplied to every member after the meeting. The minutes book shall be permanently preserved, and, unless otherwise provided, shall remain in the custody of the Member-Secretary.
- (3) If a member gives notice in writing seeking alteration in the minutes on the ground that the record is not in conformity with the decision taken in the meeting, the matter shall be placed before the Board in its next meeting and the decision thereupon shall be conclusive and final.
- **4.** Powers of the Managing Director.—Subject to the provisions of section 12 of the Act, the Managing Director shall be responsible for the smooth and efficient working of the Board, and shall, in that context, exercise all such administrative, financial and powers of general nature as are vested in him under this Act or these rules and such as may be delegated to him by the Board from time to time.

- 5. Establishment of Private yard, Consumer or Farmer Market.—Any person desiring to establish a private yard or to provide infrastructural facilities in any market area under section 22 of the Act or to establish a consumer or farmer market under section 23 of the Act shall make an application in Form 'A' alongwith a non refundable processing fee of rupees ten thousand in the shape of Demand draft in favour of Managing Director payable at Shimla in any branch of a Bank, at Shimla and the Managing Director with prior approval of the Board after making such inquiry as he may deem necessary, for reasons to be recorded in writing, either refuse or grant the permission on such conditions as be stipulated therein.
 - **6. Grant/ or Renewal of Licenses**.—(1) Any person who desires to—
 - (i) establish a private market yard for the purchase of agricultural produce direct from the agriculturists or producers, or
 - (ii) provide infrastructural facilities in any market area for-
 - (a) the processing of the notified agricultural produce,
 - (b) the trade of notified agricultural produce of particular specification,
 - (c) the export of notified agricultural produce and
 - (d) the grading, packing and transaction in any other way by value addition of notified agricultural produce, or
 - (iii) establish consumer or farmer market in one or more than one market area, shall as provided under section 25 of the Act, make an application in duplicate in Form 'B' to the Managing Director through the Secretary of the concerned Committee(s), enclosing therewith a Demand Draft favouring the Managing Director, payable at Shimla branch of any Bank of the value of requisite amount of fee according to the scale shown in the Table below:

Table

(i) Establishment of private market yard for the purchase of agricultural produce direct from the agriculturists or producers;

Rs. 20,000

(ii) providing infrastructural facilities in any market area for (a) the processing of the notified agricultural produce, (b) the trade of notified agricultural produce of particular specification, (c) the export of notified agricultural produce, and (d) grading, packing and transaction in any other way by value addition of notified agricultural produce; and

Rs. 10,000

- (iii) establishment of consumer or farmer market: Rs. 20,000
- (2) The application on receipt, shall be scrutinized by the Secretary, and after being satisfied he shall enter it in the register maintained in Form 'C' and forward the same in original, to the Managing Director at the earliest but positively within thirty days of its receipt.

- (3) The Managing Director, thereupon, after satisfying himself, that the application is in order in all respects shall issue the licence in the Form, 'D'.
- (4) In case an application is rejected, the Managing Director shall inform the applicant through the Secretary concerned, clearly pointing out the reasons of rejection, who shall make appropriate entry in the relevant register in Form 'C'.
- (5) In case of rejection of application under sub-rule (4) the fee accompanied with the application shall be refunded to the applicant.
- 7. Renewal of licence and issue of duplicate licence.—(1) A licence granted under section 25 of the Act, shall be valid for the period for which it is issued and shall, subject to any order passed under section 26 of the Act, be renewable on application, made in Form 'E', to the authority granting it on payment of fee as prescribed in rule 6.
- (2) An application for renewal of a licence shall be made at least thirty days before the date on which the licence is due to expire:

Provided that the authority competent to renew a licence may, on the payment of a penalty of **rupees five thousand** by the applicant entertain an application for renewal made after the expiry of the licence.

Note.—Every renewal of a licence granted under this rule shall be deemed to have come into effect from the day following the date on which the licence expired.

- 8. Suspension or cancellation of a licence.— (1) If the Managing Director, on receipt of a report from a Committee, or otherwise, is satisfied that a licensee is prima-facie in breach of any of the conditions subject to which the licence has been granted or renewed, or lacks in any of the grounds enlisted in clauses (a) to (f) of section 26 of the Act, he may issue a notice to the defaulting licensee asking him to show cause by a given date, not earlier than fourteen days, as to why the licence granted to him or renewed in his name be not suspended or cancelled.
- (2) After affording a reasonable opportunity of being heard to the licensee, the Managing Director, if satisfied that there is no substance in the allegation may drop the proceedings or in either case he may suspend or cancel the licence.
- **9.** Change in membership and in name and style.—(1) Any change in the membership of a licensee firm, company or association or a group of individuals, whether incorporated or not, otherwise than through inheritance, shall amount to creation of a new firm necessitating issue of a fresh licence:

Provided that in the case of a Hindu joint family, any addition in membership because of birth of a new member, shall not constitute change in membership.

(2) When a change, save in the circumstances covered under proviso to sub-rule (1) takes place in the membership or in name or style even without any change in the original membership of the licensee firm or company, it shall bring this fact to the notice of the Secretary of the Committee concerned positively within fifteen days. The Secretary after satisfying himself as to the correctness of the facts stated in the application, shall forward it, in original, to the Managing Director, with observations, for consideration.

- (3) In the event an application is allowed, the Managing Director shall cause a suitable endorsement made in the original licence as also the change recorded in the relevant registers maintained by the Committee and the Board.
- (4) Failure to make the report, as in sub-rule (2) above, within the prescribed time limit, shall amount to termination of the existing licence.
- **10.** Change in the purposes of business.—A licensee may apply to competent licensing authority for making any addition to or deletion in the particulars of business for which a licence has been issued to him, by paying a fee of **rupees two thousand** and the licensing authority may, by an order, allow the application whereupon the licence shall be amended accordingly.
- 11. Procedure for Appeals.—(1) An appeal preferred against an order passed under sections 25 or 26 or 40 of the Act accompanied with a fee of rupees fifty only in the shape of a Demand draft drawn in favour of the Managing Director payable at Shimla in any branch of a Bank, or in favour of the Secretary of the concerned Committee, as the case may be, shall be presented to the specified appellate authority under the Act in the form of a memorandum couched in respectful, decorous and temperate language setting forth precisely and concisely the grounds of appeal. An authenticated copy of the impugned order shall invariably be annexed to the memorandum of appeal.
- (2) No appeal filed under this rule shall be entertained unless it has been preferred within a period of thirty days from the date on which a copy of the order or the order passed in appeal is delivered to the appellant.
- (3) Having regard to the facts, the circumstances and the record of the case and after considering the comments of the authority passing the order appealed against and after making such further enquiry, as it may consider desirable, the appellate authority shall after affording a reasonable opportunity of being heard to the applicant, pass an order confirming or setting aside the order under appeal or remit the matter for reconsideration.

CHAPTER-III

FUNCTIONING OF THE COMMITTEE

- **12.** Election of Chairman.—(1) Soon after a Committee is constituted and non-official members are nominated thereon, the Managing Director shall request the Deputy Commissioner concerned to call meeting of the Committee to be held on a date, at an hour and place appointed by him, for the purpose of electing the Chairman from amongst the producer members and further to authorize, if necessary, some other officer subordinate to him to preside over it.
- 13. Quorum for the election of Chairman.—(1) The quorum to constitute a sitting of a Committee, shall be one third of the total number of members with the exception of the sitting held to elect Chairman or to consider a motion of no-confidence against the Chairman, wherein there shall not be present less than two-third of the total members of the Committee.
- (2) If at any time fixed for a sitting or if at any time during the sitting there is no quorum, the presiding-member shall either suspend the meeting until there is quorum or adjourn it to some future day.

- (3) The votes may be taken by voices or by show of hands. Only if any non- official member insists, the presiding member shall resort to secret ballot. For the conduct of secret voting the presiding member may adopt any procedure he considers fair, flawless and appropriate in the circumstances. In any case, of the details of the methodology the members shall first be duly advised.
- **14.** Election petition.— (1) In case the election to the office of Chairman of a Committee is disputed by any other non-official member of the Committee, he may file an appeal to the State Government within 30 days reckoned from the day on which the election result was declared, putting forth as briefly as possible, the grounds of challenge.
- (2) The State Government, after making such enquiry as it may consider appropriate, pronounce its judgment preferably within three months, and such decision shall be final and binding.
- **15.** Meeting of the Committee.—(1) Except for the meetings convened pursuant to the provisions of sections 35 & 37 of the Act, and rule 12 a Committee may meet so often as be considered expedient considering the quantum of business before it:
- (2) Notice of every meeting accompanied by list of business or agenda proposed to be transacted at such meeting shall be communicated by the Secretary to every member of the Committee as well as to the Managing Director sufficiently in advance of the date fixed by the Chairman including a member functioning as such in terms of sub-section (2) of section 36 of the Act, or in his absence by the vice- Chairman of the Committee.
 - (3) The Committee shall ordinarily meet within the premises of its office.
- (4) Save as otherwise provided in these rules, the quorum to constitute a sitting shall be five non-official members:

Provided that sittings convened specifically to consider and pass the annual budget estimates shall require special majority of not lesser than seven non-official members:

Provided further that the quorum in a Sub-Committee meeting shall be equal to one third of its membership.

- (5) If at any time fixed for a sitting, or if at any time during a sitting, there is no quorum, the Chairman shall either suspend the sitting until there is quorum during the day or adjourn the sitting to some future day.
- (6) When a sitting has been adjourned in pursuance of sub-rule (5) on two successive dates fixed for the sitting of the Committee, no quorum shall be necessary third time to transact the same business.
- (7) Unless otherwise provided by these rules, all questions at any sitting of the Committee, shall be determined by a majority of votes of the members present and voting. In case of equality of votes on any matter, the Chairman shall have a second or casting vote.
- (8) (a) Proceedings of every meeting shall be recorded in the minutes book, which shall be authenticated by the Chairman and the Secretary, of which a copy shall be supplied to every member after the meeting as soon as practicable. The minutes book shall be permanently preserved

and shall remain in the personal custody of the Secretary, and at all reasonable hours shall be open to inspection by the Chairman and the Managing Director of the Board.

- (b) If a member gives notice in writing seeking alteration in the minutes on the ground that the record is not in conformity with the decision taken, the matter shall be placed before the Committee in its next meeting for decision, and the decision thereupon shall be final and conclusive.
- **16.** Persons entitled to attend meeting of the Committee.—(1) The Managing Director shall be entitled to attend, speak in, and otherwise to take part in the proceedings of a sitting of the Committee but shall not have the right to vote.
- 17. Member not entitled to take part in certain proceedings.—No member who has a personal, pecuniary or direct interest of such an intimate character that it may prejudicially affect the consideration of any of the matters to be considered in any meeting of the Committee or by any Sub-Committee, shall be present at or participate or vote in the said meeting of the Committee or Sub-Committee.

Explanation.- A member shall be deemed to be interested in the matter in which he or any of his relations mentioned below, has, directly or indirectly, any personal or pecuniary interest:—

- (a) wife/ husband or children, (b) father or mother, (c) brothers, sisters, their wives/husbands or children.
- **18.** Authority to call a special meeting.—On requisition by at least one half of the members of the Committee, or, on his own motion, the Chairman of the Committee may, if he is satisfied about exceptional circumstances, call a special meeting of the Committee to consider matters of immediate importance.

CHAPTER-IV

FUNCTIONING OF MARKET/PRIVATE OR CONSUMER OR FARMER MARKET

- 19. Development of infrastructure for providing amenities, facilities and comforts in the private/ consumer or farmer markets.—The owner of a private market yard shall provide minimum common amenities and facilities in the yard such as; auction platforms, shops, godowns, canteen, drinking water, latrine, urinals, compost pits, street lights, etc. in the interest and for the convenience and comfort of producers as well as other individuals using the market. The owner of a private market yard may provide such other amenities and facilities therein as are requisite of a modern market such as, warehouses, precooling, cold storage (including controlled atmosphere cold storage), ripening chambers, pack houses having grading lines, kisan bhawns, loading and unloading sites, electronic auctioning, electronic display of market rates of different commodities, etc., and in particular such as are normally provided in an 'Apni Mandi', 'Kisan Haat', or 'Raitu Bazar', including stalls for the farmers/ growers, as also shops for ancillary services i.e., booths for sale of seeds, fertilizers, organic fruits & vegetables, milk, fruit and vegetables, etc.etc.
- **20.** Maintenance of record, circulation and display of rates.—(1) The Committee shall maintain and circulate from time to time, a record of the arrivals as well as maximum, minimum and average rates of various items of agricultural produce brought into the market for sale on daily, weekly, monthly and yearly basis and further, shall display current sale rates on a particular day for each commodity on the notice board installed at a conspicuous place in the market.

- (2) In so far as it may be applicable and practicable, the Committee shall maintain and place at the disposal of those using the markets, information in respect of the prices of the agricultural produce prevailing at the principal marketing yards of the adjoining regions of the States; and ports serving the State and also similar information regarding stock of commodities held by mills and the like;
- (3) The daily rates of all important agricultural commodities authenticated and allowed for computer entry by the Secretary, shall be exhibited in Hindi/English at conspicuous places; or through electronic digital/touch screen, if installed, with copies endorsed to the Board and the concerned organizations.
- (4) The daily price bulletin shall be compiled into monthly bulletin, and at the end of the year, month-wise bulletins shall be compiled, analyzed, commodity-wise, alongwith arrivals. The printed annual price (rates) bulletin shall be kept on record besides being circulated amongst all concerned organizations including the Board.
- **21.** *Grant/renewal of Registration.*—(1) Every person who desires to enter into trading activities,—
 - (i) with a view to setting up, establishing or continuing any place for the purchase, sale, storage of agricultural produce or purchasing, selling, storing and/ or processing or forwarding the agricultural produce; or
 - (ii) as a seller or buyer or both buyer and seller; or
 - (iii) as a contract farming sponsor entering into an agreement with the contract farming producer, shall register himself with the Committee and for this purpose he shall apply in Form 'F' to the Secretary and shall deposit a sum of **rupees three hundred** in cash with the Committee concerned as the annual registration fee. If the same person applies for registration under clauses (i) and (ii) of this sub-rule, no additional fee shall be charged.
- (2) Application for renewal of registration shall be made by the registration holder in Form 'I' at least 30 days before the expiry of registration and the applicant shall deposit a sum of rupees **one hundred** as renewal fee annually with the Committee:

Provided that if the renewal is not applied for within the stipulated time, the application shall be considered only after payment of a penalty of Rs. 5/- for each day after the day on which registration or earlier renewal expired, but in no case the penalty shall exceed rupees one hundred:

Provided further that no application for renewal of registration shall be entertained after the expiry of 30 days from the date of expiry of registration or renewal and it shall be treated as a fresh application for registration.

(3) Every person desirous to trade or transact or deal, as the case may be, in any notified agricultural produce in more than one market area, shall apply for registration to the Managing Director in Form 'F' and shall deposit an amount of **rupees five hundred** only with the Board as annual registration fee or attach Demand Draft drawn in favour of the Managing Director payable at Shimla in any branch of a bank.

- (4) An application for registration or renewal under sub rule (1) and (2) above, if found complete in accordance with the relevant provisions of the Act and these rules, the Committee may consider and approve the same and the Secretary shall issue registration certificate in Form 'G' indicating the terms and conditions for issuance. The Secretary shall keep proper record of all the certificates issued in the register maintained in Form 'H'.
- (5) An application for registration or renewal made under sub-rule (3) shall be considered by the Managing Director and on being satisfied, he may issue or renew the registration in Form 'G'. The Managing Director shall cause to maintain the record of all the registration certificates issued in Form 'H'.
 - **22.** Exemption from registration.—(1) Nothing in rule 21 shall apply to,—

(i) a producer who himself sells the agricultural produce to any person for his domestic consumption at any one time upto the following limits:—

Item	Quantity		
Cereals	100	kg.	
Pulses	50	kg.	
Oil seeds	20	kg.	
Fruits (other than dry fruits) and			
Vegetables	100	kg.	
Dry fruits	2	kg.	
Animal products such as	10	kg.	
fish, ghee milk, etc,		_	
Spices	2	kg:	
	Cereals Pulses Oil seeds Fruits (other than dry fruits) and Vegetables Dry fruits Animal products such as fish, ghee milk, etc,	Cereals 100 Pulses 50 Oil seeds 20 Fruits (other than dry fruits) and Vegetables 100 Dry fruits 2 Animal products such as 10 fish, ghee milk, etc,	

(h) Timber (Imarti lakri) for 4 cubic meter Construction/ repair of self house.

Provided that a producer shall not bring more than 5 quintals of his produce to the consumer's/farmers market, on any single day:

(ii) a petty trader or a hawker doing a retail trade of fruits or vegetables in quantity not exceeding five quintals on any single day:

Provided that the petty trader or a hawker selling fruits or vegetables in retail shall sell the agricultural produce only purchased from the whole sale market.

Explanation.—For the purpose of this clause a trader whose turn over of agricultural produce does not exceed Rs. 30,000/- (Rupees Thirty Thousand) per month or Rs. 3,60,000/- (Rupees Three Lakhs Sixty Thousand) per year shall be treated as petty trader.

- (iii) a person buying any agricultural produce in a market yard/ sub-market yard on daytoday basis for domestic use within the same limits as are detailed under clause (i).
- (2) In addition, the following too shall be exempted from registration:—
 - (i) confectioners and other purveyors of parched, fried or cooked food;
 - (ii) oil presses using indigenous machines called 'kohlus';

- (iii) an authorized fair price shop dealer making purchase from the Food Corporation of India, the State Commodities Trading Corporation or any other agency or institution authorized by the State Government for distribution of essential commodities through the public distribution system;
- (iv) officials of the Government and/ or the Central Government when making sales on behalf of the State Government and/ or the Union Government;
- (3) Not-with-standing the provisions in sub-rules (1) and (2) above, the exempted classes shall otherwise be bound to comply with all the provisions of the Act, these rules and the bye-laws made thereunder.
- 23. Issue of duplicate registration.—If a registration certificate issued under section 40 of the Act, or renewed under sub-rules (2) and (3) of rule 21 is lost, destroyed or mutilated a duplicate certificate shall be issued by the authority which issued the original, on payment of a fee of **rupees fifty.**
- **24. Refusal and cancellation of registration.**—(1) The Secretary or the Managing Director, as the case may be, on being satisfied that there has been a breach of any of the conditions specified in the registration certificate, Act, these rules and bye-laws framed thereunder shall by an order in writing cancel or suspend such registration and may also direct that such registration shall not be renewed for a period not exceeding six months for the first breach; not exceeding nine months for the second breach and not exceeding one year for every subsequent breach:

Provided that no such order shall be made without giving an opportunity to the registration holder to show cause as to why such an order should not be made.

- (2) An order passed under sub-rule (1) of rule 24 of these rules by the Secretary concerned or the Managing Director shall forthwith be communicated in writing to the registration holder.
- (3) The substance of the order shall also be noted in the appropriate column of the register maintained for the purpose in the Committee and the Managing Director's office.
- 25. Change in name and style of the firm.—(1) Where a registration holder under section 40 of the Act is a firm, any change occurring in the membership of such firm, otherwise than through inheritance, shall mean the constitution of a new firm and shall necessitate fresh registration.
- (2) Where a change, not necessitating a fresh registration under section 40, takes place in the membership or the firm changes its name without any change in membership thereof, an intimation thereof, shall, within two weeks from the date of change, be given by the authorized person of the firm to the Secretary of the Committee concerned, who shall order necessary corrections to be made in the registration certificate as also in the register maintained in the office of the Committee.
- (3) If in a case covered by sub-rule (2) above, the firm fails to give necessary intimation to the Secretary of the Committee within the time specified under sub rule (2), the change in the membership or in the name of the firm, as the case may be, shall be deemed to result in the constitution of a new firm necessitating fresh registration.

- (4) The registration holder may apply to the Secretary of the Committee for making any addition to or deletion in the purposes of the business for which registration certificate has been issued to him, by paying a fee of **rupees fifty**. The Secretary shall by an order allow such an addition or deletion whereupon the registration certificate and register shall be amended accordingly.
- **26.** Registration of brokers, weighmen, measurers, surveyors, godown keepers, hamali and other market functionaries.—(1) A person desirous to function in a market area as a broker, weighman, measurer, surveyor, godownkeeper, hamali or in any other capacity as a market functionary shall obtain a registration certificate and this he may secure by making an application in Form 'J' addressed and delivered to the Secretary of the Committee of the notified market area concerned alongwith the requisite registration fee mentioned under sub rule (4);
- (2) After making an enquiry regarding the conduct and business of the applicant as he may think necessary, the Secretary, may, subject to the approval of the Committee issue registration certificate in Form 'K' subject to terms and conditions mentioned therein or otherwise specified from time to time.
- (3) The Committee shall maintain a record of all the registrations in Form 'H'. The scale of fee for registration made under this rule shall be as follows:—

Category		Registration fee Per annum. (Rs.)
(a)	Weighman or measurer or surveyor	50.00
(b)	Broker	100.00
(c)	Godown keeper	150.00
(d)	Hamali	30.00
(e)	others not specifically (as fixed by the	
	mentioned above. Committee from	
	time to time.)	

- **27.** Change in style and membership of firm.—(1) Where the registration holder under section 40 of the Act is a firm, any change occurring in the membership of such firm otherwise than through inheritance shall mean the constitution of a new firm and shall necessitate fresh registration.
- (2) Where a change, not necessitating a fresh registration under section 40, takes place in the membership or the firm changes its name without any change in membership thereof, an intimation thereof, shall, within two weeks from the date of such change, be given by the authorized person of the firm to the Secretary of the Committee concerned, who shall order an enquiry as he may consider necessary, correction to be made in the registration certificate as also in the register maintained in the office of the Committee.
- (3) If in a case covered by sub-rule (2) above, the firm fails to give necessary intimation to the Secretary within the time specified under sub rule (2) the change in the membership or in the name of the firm, as the case may be, shall be deemed to result in the constitution of a new firm necessitating fresh registration.

28. Renewal of registration and issue of duplicate certificate.—(1) A registration made under rule 26 shall be valid for a period of one year from the date of issue and, may be renewed on application made in (Form 'L') on payment of annual fee as follows:

Category of registration

Renewal fee (Rs.)

(a)	Weighman or measurer or	30.00
	surveyor	
(b)	Broker	60.00
(c)	Godown keeper	90.00
(d)	Hamal	20.00
(e)	others not specifically	(as fixed by the
	mentioned	Committee from
		time to time.)

- (2) If any area is excluded from any notified area and included in another area, the registration valid for the area so excluded shall be deemed to have been done by the Committee of the notified market area in which the area is included.
- (3) If a registration granted under section 40 of the Act, or renewed under sub-rule (1) of rule 28 is lost, a duplicate registration may be issued by the authority which issued the original on payment of **rupees ten.**
- **29.** Prohibition against traders to hold certain registration under sections 40.—(1) Except as hereinafter provided, no person shall at the same time, hold more than one registration [(under sections 40 and 39 (2) (vii)] which enables him to act as a functionary in more than one capacity.
- (2) Nothing in sub-rule (1) shall, however be construed to prohibit a person registered as weighman or surveyor or measurer to act simultaneously in all these three capacities.
- **30.** Transparency in sale transactions in the market.—(1) No person shall be bound to employ a broker in any transaction, or be required to pay for a broker employed by any other party to the transaction, or to pay brokerage when no broker has been employed.
- (2) Where any person enters into any transaction for the purchase or sale of any agricultural produce through a commission agent, and the commission agent without written authority from the principal trader, employs a broker in connection with such transaction, the broker's commission shall be payable by the commission agent and the same may be paid out of the remuneration due to the commission agent.
- (3) The same person shall not act as a broker both for the buyer and the seller in the same transaction.
- (4) All agricultural produce brought into the market for sale shall be sold either by open auction or through negotiation in the principal or sub-market yard:

Provided that, with the permission of the Managing Director or any other authorized officer in this behalf, agricultural produce may also be bought or sold through a bilateral transaction either within the market area, or at the place of business of a registration holder located outside the principal or sub-market yard, on such terms and conditions, as may be specified by the Board of

such transactions the buyer shall maintain record in Form 'M' and furnish information about it to the Committee in Form 'N' side-by-side with the return in Form 'O':

Provided further that if a producer or seller sells his produce online through electronic media, National Commodity Exchange, or any other commodity exchange or by any other means, not specified in these rules, he shall maintain a record of such transactions in Form 'M' and furnish information about it to the Committee in Form 'N' alongwith return in form 'O'.

- (5) Nothing in sub-rule (4) shall apply to the retail sale of the nature described in rule 22.
- (6) The Committee shall fix timings for the start and closing of the auction in respect of each specified agricultural produce.
- (7) The price of agricultural produce shall not be settled by secret signs or secret bids or secret negotiations and no deduction shall be made from the agreed price of the consignment.
- (8) The auction shall not be conducted by any person other than the person engaged by the Committee:

Provided that under exceptional circumstances, the Committee may make or permit any alternative arrangement.

- (9) The highest bid offered by a buyer at an auction, and the price at which the seller of the produce gives his consent to sell his produce, shall be the sale price of the produce, and the buyer shall be deemed to have purchased the produce at that price.
- (10) The buyer shall be deemed to have thoroughly inspected the agricultural produce for which he has made the bid and he shall have no right to retract from it.
- (11) As soon as an auction for a consignment is over, the auctioneer shall fill in relevant particulars in a book to be maintained by him in Form 'P' and shall secure the signatures of both the buyer and the seller or their respective representatives, whoever may be present on the spot.
- (12) The buyer shall be responsible to get the agricultural produce weighed immediately after the auction and the seller shall not be liable for any damage, loss or deterioration, in the produce after auction.
- (13) A person engaged by a producer to sell agricultural produce on his behalf shall not act as a buyer for himself or on behalf of another person in respect of such produce:

Provided that the cooperative marketing societies shall be exempted from the provision of this sub-rule.

- (14) After the weighment is over, the commission agent shall, without any unnecessary delay, make the payment to the seller after making deduction on account of incidental charges, if any, specified in these rules, or the bye-laws made under the Act.
- (15) Every commission agent, on delivery of agricultural produce to a buyer shall, execute a memorandum in Form 'Q' and deliver the same to the buyer on the same day or in no case later than the following day, mentioning therein the sale-proceeds and the market charges retaining the counterfoil in his possession:

Provided that nothing in this sub-rule shall apply where an agricultural produce does not exceed five quintals in weight.

- (16) In the absence of a written agreement to the contrary the sale price of agricultural produce purchased under these rules shall be paid promptly by the buyer to the seller after the Form 'Q' is delivered to him.
- (17) The delivery of agricultural produce sold shall not be made or taken, unless the commission agent, or, if the seller does not employ a commission agent, the buyer has given to the seller, a sale voucher in Form 'R', the counterfoil of which shall be retained by the commission agent or the buyer, as the case may be; with duplicate delivered to the Committee.
- (18) No deduction shall be made from the agreed price of the consignment, except on account of deviation from the standard, where purchase is made by reference to a known standard or on account of difference between the actual and the standard weight(s) or measure(s):

Provided that if any dispute arises, the Secretary of the Committee concerned shall decide the issue on the spot; and his decision shall be final and binding on the parties to the dispute.

- **31.** Transparency in the sale of agricultural produce in private market.—(1) All agricultural produce brought into a private market for sale shall be sold by an open auction or negotiation.
- (2) The proprietor of the private market yard shall fix timings for the start and close of the auction in respect of each specified agricultural produce.
- (3) The price of agricultural produce shall not be settled by secret signs or secret negotiations and no deduction shall be made from the agreed price of the consignment.
- (4) The auction shall not be conducted by any person other than the person engaged by the proprietor of the private market yard.
- (5) The highest bid offered by a buyer at an auction, and the price at which the seller of the produce gives his consent to sell his produce shall be the sale price of the produce, and the buyer shall be deemed to have purchased the produce at that price.
- (6) The buyer shall be deemed to have thoroughly inspected the agricultural produce for which he has made the bid and he shall have no right to retract from it.
- (7) Soon after an auction for a consignment is over, the auctioneer shall fill in the relevant particulars in a book maintained by him in Form 'S' and shall secure the signatures of both the buyer and the seller or their respective representatives, whoever may be present at the spot.
- (8) The buyer shall be responsible to get the agricultural produce weighed immediately after the auction on the same day the produce is purchased by him and the seller shall not be liable for any damage, loss or deterioration in the produce after auction.
- (9) The buyer shall make payment to the seller immediately after the weighment after deducting the service charges, if any, fixed by the proprietor of the private market yard and approved by the Board.

32. Agreement to be executed between buyer and seller.—As soon as any transaction is effected, every buyer of agricultural produce shall sign an agreement (in triplicate) in favour of the seller in Form 'T'; one copy each for the buyer and the seller, or his agent, and the third for record of the Committee:

Provided that nothing in this sub-rule shall apply to a person who purchases any specified agricultural produce for his domestic consumption, which purchase, shall be subject to such conditions as may be specified in the bye-laws of the Committee.

- 33. Weighment within the notified market.—(1) The standard of net weight of agricultural produce to be filled in a packing unit, such as a bag, a half-bag or a box, etc. normally maintained uniformly in all the markets, shall be such as is determined by the Agricultural Produce Marketing Standards Bureau established by the Board as per the provision of section 11 (2) (xiii) of the Act, and no person shall fill or cause to be filled any agricultural produce except in strict compliance with the prescribed standard and further, all transactions in a market or a private market in terms of packing units shall be deemed to have been entered into in accordance with these standards.
- (2) Immediately on the completion of weighment of a lot of an agricultural produce, either party to the contract may, if it so chooses cause a test weighment to be carried out, upto ten percent of the total or minimum box packing units in a lot. The test weighment shall be carried out at the site of weighment and where the test weighment is not held at that site, the produce shall be deemed to have been weighed correctly.
- (3) Test weighment under sub-rule (2) shall be carried out in the presence of both the parties to the contract. In case any party disputes the correctness of the test weighment or evades presence, the other party may make a report in writing to any officer of the Committee, not below the rank of a Market Supervisor, who, shall cause the test weighment to be made in his presence. The result of test weighment so carried out shall be final, conclusive and binding on both the parties.
- (4) Before any agricultural produce weighed in pursuance of a contract of sale or purchase is removed from the place of weighment, the Secretary, may at any time with the previous notice to the parties, have the weighment checked by means of standard weights and the like instruments maintained by the Committee, in order to confirm that not only the weighment is true and correct but it also conforms to the standards defined in sub-rule (1):

Provided that so far as feasible, the test check shall be carried out in the presence of the contracting parties or their agents, failing, which the same shall be carried out in the presence of two independent witnesses, who shall be requested to authenticate the result.

- (5) In case, the weighment checked under sub-rule (4) is found to be defective, the Secretary or the authorized employee not below the rank of a market supervisor shall have the entire lot re-weighded. The re-weighment shall be made at the cost of the weighman and if the units are found not packed as per the standards prescribed under sub-rule (1), the cost of repacking shall be borne by the seller. Without prejudice to any action, the Committee may consider, call for, the seller or the weighman, as the case may be, who shall be liable to pay the cost involved immediately.
- **34.** Use of weighing equipments, weights and measures, inspection and seizure.—(1) Only such weighing instruments and such weights and measures which satisfy the requirements prescribed under the Himachal Pradesh Weights and Measures Act, 1968, or any other law for the

time being in force, shall be used for weighing or measuring agricultural produce in a notified market area:

Provided that in the transaction of sale and purchase of agricultural produce in the principal market yard or sub-market yard(s) of a notified market area, the electronic balances or the beamscale (*Kanda*) or platform scale or any latest weighing balances approved by the Secretary concerned shall only be used.

- (2) Every Committee shall keep in every market yard/ sub-market yard at least one weighing instrument of the capacity of one quintal and two sets of weights or electronic balances, and two sets of measures, duly verified and stamped in accordance with the provisions of the Himachal Pradesh Weights and Measures Act, 1968 or any other law for the time being in force, on the subject, which shall be caused to be tested and certified periodically during each year through the agency appointed under such law, and the record of inspections shall be maintained by the Committee.
- (3) The Secretary shall allow any person to check, free of charge, any weight(s) or measure(s) in his possession against the weight(s) and measure(s) maintained by the Committee.
- (4) Weighing instruments, weights and measures shall be kept open at all reasonable times for examination and inspection by the Managing Director or any other officer of the Board authorized in this behalf, and the Committee shall be duty bound to comply with any direction issued by the inspecting officer.
- (5) The Managing Director or the Secretary or any other person authorized in this behalf, may at any time and without notice, inspect, examine and test the weighing instrument, weights or measures used, kept or possessed by a trader or a registration holder operating within a notified area, and every such trader or registration holder in possession of any such weighing instrument, weights or measures shall, when required, be bound to produce the same before the person entitled to inspect, examine and test them.
- (6) Any person authorized to inspect, examine and test any weighing or measuring instrument, weights or measures under sub-rule (5) shall, while so acting, have all the powers of an Inspector, Weights and Measures, appointed under the Himachal Pradesh Weights and Measures Act, 1968 or any other law for the time being in force.

CHAPTER-V

LEVY AND COLLECTION OF MARKET FEE, ETC.

- **35.** Levy and collection of market fees on the sale and purchase of agricultural produce.—
 (1) A Committee shall levy and collect market fee on the agricultural produce bought or sold in a notified market area at the rate of one rupee for every one hundred rupees value of the notified agricultural produce.
- (2) The market fee payable under this provision shall be realized in following manner, namely:—

- (i) if the notified agricultural produce is sold through a commission agent, the commission agent shall realize the market fee from the purchaser and deposit it in full with the Committee;
- (ii) if the notified agricultural produce is sold by an importer, the importer shall realize the market fee from the purchaser and deposit the entire collection with the Committee;
- (iii) if the agricultural produce is purchased directly by a trader from a producer, the trader shall be liable to pay the market fee to the Committee;
- (iv) if the agricultural produce is purchased by a trader from another trader, the trader selling the agricultural produce shall realize it from the purchasing trader and shall deposit whole of it with the Committee;
- (v) in any other case of sale the purchaser shall be liable to pay the market fee to the Committee;
- (vi) if agricultural produce is sold directly by a producer to a buyer, who is not registered with the Committee, through e-trading or commodity exchange, the responsibility of collecting the market fee from the purchaser and paying to the Committee shall be that of the producer;
- (vii) in a case where buyer is not registered with the Committee but has involved himself in a deemed sale and purchase of agricultural produce, the seller shall collect and pay the market fee to the Committee;
- (viii) If the buyer of a notified agricultural produce is not possible of identification, the fee shall be payable by the person who may have sold or brought the produce for sale in the market area.
- (3) The market fee payable by the buyer of the notified agricultural produce shall not be deducted from the price payable to the seller.
- (4) A receipt in Form 'U' shall be issued to the person making payment of market fee showing therein the amount received.
- (5) Every officer of the Committee or agent authorized by it to receive payments shall render account of all receipts to the Secretary on day to day basis, which shall be accounted for in the Committee books, and reflected in that particular day's transactions.
- (6) Every officer of the Committee or agent authorized by it for collection of fee, at all hours of duty, shall bear the badge/or carry identity card on his person.
- (7) Every Committee shall take such security as it deems necessary, from every employee, handling the cash.
- **36.** Power to lease the job of collection of fee.—(1) A Committee, subject to the previous approval of the Managing Director, may lease out on contract the job of collection of fees levied in a notified market area, on such terms and conditions, as may be specified, under the byelaws for any period not exceeding one year at a time. The contractor and any other person employed by him for the management and collection of fee, shall—

- (i) be bound by the provisions of the Act, these rules and bye-laws made under the Act and any other order passed by the Committee for the guidance and in regard to faithful performance of duty;
- (ii) have such powers exercisable by the employee of a Committee as the Committee may by order confer upon them from time to time; and
- (iii) be entitled to the same remedy and be subject to the same responsibility as if they were employed by the Committee for the purpose of management and collection of market fees.
- **37.** Accounts of transactions and of fees to be maintained.—(1) Every trader dealing with an agricultural produce, exempted such as are exempted under rule 22 of these rules shall maintain a record of sale and purchase in Form 'O', exhibiting inter-alia, items, quantity and value representing each and every transaction on day-to-day basis and submit the annual account in Form 'V' as required under the provisions of section 39 (2) (xvi) and sub-section (1) of section 60 of the Act:

Provided that a Commission agent who has submitted a report in Form 'T' shall be exempted from maintaining record of sale and purchase which the buyer alone shall be liable to comply with.

- (2) The Committee shall maintain a register in Form 'W' showing total purchases and sales made by the traders and the market fee levied and recovered.
- (3) An assessing authority shall determine the rate of fee to be levied by the Committee under section 44 of the Act on the basis of information furnished under sub-rule (1) and the related documents, returns, and data available with it.
- (4) If any trader fails to submit a return as specified in sub-rule (1) or the assessing authority has reason to believe that any information furnished is incorrect, it shall, after issuing a notice to the trader concerned in Form 'X' and after holding such enquiry as it may consider necessary, proceed to assess the amount of market fee from his total transacted business during the period in question.
- (5) If a trader habitually, defaults in the submission of the returns or if in the opinion of the assessing authority, he is in the habit of submitting false or incorrect returns, the Secretary may inspect his accounts.
- (6) If an inspection is to be conducted under sub-rule (5) the assessing authority shall inform the trader of the date and place fixed for the inspection:

Provided that if the trader so desires and pays such fee as the Committee or the Secretary on its behalf may fix, the inspection shall be carried out at the trader's premises.

(7) The assessing authority may after inspection prepare a fresh return or may amend the return already furnished, on the basis of transactions appearing in the trader's account books and may on that basis determine additional fee leviable under section 44 of the Act:

Provided that if the trader fails to provide full and accurate material necessary to prepare a corrected or fresh return or if no books are either maintained or produced by him, the assessing

authority, may proceed to assess the trader's turn-over on the basis of its best judgment, and shall determine the amount of fee leviable on the basis of such assessment.

- (8) Without prejudice to any other penal action as permissible under the law, the assessing authority, may impose a penalty five times of the fee/additional fee found recoverable on the basis of assessment done under sub-rule (7).
- (9) Habitual default in the submission of returns or deliberate furnishing of false or incorrect returns shall constitute sufficient ground for suspension or cancellation of or refusal to renew registration and the provisions of this sub rule shall apply in addition to and not in derogation of any other law, penal or otherwise, applicable to non-compliance, or defective or intentional faulty compliance with any duty cast upon a trader under the Act or by these rules or the bye- laws or an order of the Committee.
- (10) (i) An assessment order made as per provisions of sub-rule (7) and order of penalty imposed under sub-rule (8) shall be communicated to the trader by means of a Demand Notice in Form 'Y'.
- (ii) On application, a copy certified to be true by the assessing authority shall be supplied to the trader, indicating thereon the date of (a) receipt of application, (b) preparation of true copy and
- (c) delivery to the applicant, which endorsement shall be conclusive evidence in this regard.
- 11. (i) Against an assessment order made under sub-rules (7) or (8), an appeal shall lie to a bench duly constituted by the Committee having at least two official members, under sub-section (3) of section 60 of the Act in the form of a memorandum and accompanied by a fee of rupees three hundred in the shape of a Demand draft drawn in favour of Secretary concerned payable in a branch of bank in the area of the Committee.
- (ii) The appellate authority may for reasons to be recorded in writing, condone the delay and entertain the appeal, if the delay to its satisfaction was for reasons beyond the control of the appellant.

Explanation.—In computing the period of limitation for filing an appeal, the period consumed in obtaining a certified copy of the assessment order shall be excluded.

- (iii) No appeal shall be entertained unless the appellant has deposited with the Committee concerned the amount of fee or additional fee assessed, as well as the amount of penalty imposed.
- (iv) The Bench after hearing the appellant and after ascertaining the views of the assessing authority and taking into consideration the record of the case, may pass an order upholding the assessment, or revising it or may remit the case to the same or any other assessing authority for de-novo consideration.
- **38.** Annual accounts by licensees.—The proprietor of a private or consumer/farmers market yard carrying the business of notified agricultural produce shall before the 30th June of every year submit to the Secretary of the Committee concerned a statement of transactions undertaken by or through him in the concerned market and/yard during the previous financial year ending on the 31st March, in Form 'z'.

CHAPTER-VI

CONTRACT FARMING

- **39.** Registration of Contract Farming Sponsor.—(1) A Contract Farming Sponsor shall register himself with the Committee according to the procedure laid down in rule 21 of these rules.
- (2) A Contract Farming Sponsor shall enter into an agreement in Form 'ZA' with a Contract Farming Producer. The agreement so entered into shall be got registered with Managing Director who shall cause the same to be entered in a register and pasted in a book maintained for the purpose and a copy of the said agreement shall also be supplied to the Secretary of the concerned Committees.
- **40.** Sale of agricultural produce outside the market yard.—The agricultural produce covered under a Contract Farming Agreement may be sold to the Contract Farming Sponsor outside the market yard, and in such a case, the market fee charges shall be leviable at rates as are specified under the bye-laws made under the Act by the Board from time to time.
- **41. Annual Accounts.**—A Contract Farming Sponsor shall submit annual accounts in Form 'Z', before 30th June every year, to the Secretary concerned in respect of all transactions undertaken by him during the previous financial year.

CHAPTER-VII

MARKETING STANDARD BUREAU

- **42.** Establishment of Agricultural Produce Marketing Standards Bureau.— (1) The Board shall establish and set up an Agricultural Produce Marketing Standards Bureau; with professionally qualified personnels and shall provide it with associative facilities including one or more laboratories fully equipped with necessary qualified staff and apparatus.
- (2) The Bureau shall be subject to the provisions of the Act and these rules. It shall function under the superintendence and control of the Board and shall perform the following functions:
 - (a) to evolve and define standard grades of various notified agricultural produce of different species, kinds and varieties as are commonly grown or produced and are offered for sale in the established markets in Himachal Pradesh;
 - (b) to supply information of each standardized commodity to every Committee whether established for a notified area or is owned and managed by a private party or by consumer's or farmer's body;
 - (c) to make all possible efforts to prevent and eradicate the malpractices of adulteration in an agricultural produce brought for sale and purchase in any notified market area;
 - (d) to conduct and carry out inspections, tests including laboratory tests in order to detect cases of adulteration in any agricultural produce within any market –private yard, consumer's and farmer's market or one managed by a Committee.

- (e) to test and issue phytosanitary certificate in respect of any agricultural produce sought to be exported as also a certificate to the effect whether a particular agricultural produce has been grown in organic ambience;
- (f) to standardize the packaging material and weights to be packed in a particular packaging material for each agricultural produce to be brought for sale in a market.
- (g) any such function of like nature, as may be entrusted by the Board from time to time.
- (3) The Bureau shall be competent to levy and collect charges in lieu of services it renders on requisition in the course of performance of any of its practices, at such rates as the Board may fix from time to time.
- **43.** *Repeal and savings.*—(1) The Himachal Pradesh Agricultural Produce Market Rules, 1971 are hereby repealed:
- (2) Notwithstanding such repeal any-thing done or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been done or taken under these rules and shall continue to be enforced unless and until superseded by anything done or action taken under these rules.

FORMS

'A' to 'Z'

and

'ZA'

APPENDIX

FORM 'A'

[See rule 5]

APPLICATION FOR NO OBJECTION CERTIFICATE FOR ESTABLISHMENT OF PRIVATE OR CONSUMER OR FARMERS MARKET YARD

To

The Managing Director Himachal Pradesh State Agricultural Marketing Board, Shimla-171002

- 1. I/we want to establish a private or Farmer or Consumer market yard at ______district falling in the notified market area of Himachal Pradesh.
- 2. I/we have got acres of land already in my/our possession at village district falling in the Notified Market area of Himachal Pradesh free from all encumbrances.

OR

I/ we request the State Government to grant me/us acres of land on lease in village district falling in the Notified Market area of Himachal Pradesh.

- 3. We are a registered company, registered under Companies Act, 1956 with headquarter at or other organization (please specify)
- 4. I/we have carefully gone through the various provisions of the Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development & Regulation) Act, 2005 and Rules and Bye-laws framed thereunder and shall comply with the provisions of this Act, rules & bye-laws and instructions issued from time to time.
- 6. I/we, therefore, request you to kindly issue us 'NO objection certificate' so that I/we could proceed further in the matter.

Signature of the Aapplicant/ authorized agent. Address

FORM 'B'

[*See* rule 6 (1)]

Application for Licence under section 25 (1)

To

The Licensing Authority, Himachal Pradesh State Agricultural Marketing Board, Shimla.

Through: The Secretary, Agricultural Produce Market Committee

Sir,

- I/ we (i) have established a private market yard/ consumer or farmer market yard at falling in the market area to purchase agricultural produce directly from the agriculturists or the producers of the area/ villages_____
- (ii) have set up post harvest management infrastructures at for purchase of agricultural produce directly for the export/ processing from area .The particulars of my business are given below:—

 - (2) Place of business for which licence is applied for (give the name or number of the building and name of street or other description sufficient to identity the premises).
 - (3) Area available for the construction of market yard______(alongwith revenue papers).

- (4) Investment made/ to be made and infrastructure raised/ proposed to be raised in the market yard_____
- (5) If the applicant is a firm, is it a Hindu Joint family Firm or the persons constituting the firm are the members of different families?
- (6) Has it been registered or not?
- (7) If Hindu Joint Family firm, the particulars of registration (supported with documentary proof)
- 8. If firm, the name of all the person(s) constituting the firm with parentage, residence and address:

Sr.No	Name	Father's/Husband's name	Full address
1	2	3	4

- (9) If the applicant is a Company, full particulars of the Company including documentary proof.
 - (10) Name of the Managing Proprietor or Manager of the firm
 - (11) Name and style under which the applicant will work
 - (12) Particulars of the business for which the licence is required:—
 - (1) For a private market yard.
 - (2) For a consumer or farmer market yard.
 - (3) For providing infrastructure facilities in any market area like grading, packing and transaction in other way by value addition of notified agricultural produce.
 - (4) For the processing of notified agricultural produce.
 - (5) For the export of notified agricultural produce.

Certified that,—

- (1) the facts set out in the application are true to the best of my knowledge.
- (2) I shall abide by the provisions of the Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development & Regulation) Act, 2005 and rules and bye-laws made thereunder.
- (3) I shall be responsible for all acts of my employees.

It is requested that a licence under section 25 (1) of the Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2005 (Act No. 20 of 2005), may kindly be granted to me/ us.

VERIFICATION

market purpos	Certified that I have personally inspected the business premises/ infrastructures available for ting of agricultural produce at
Parpos	Secretary
	Agricultural Produce Market Committee
	— Strike out whichever is not applicable. NoDated
Board,	Forwarded to the Managing Director of the Himachal Pradesh State Agricultural Marketing, Shimla-171002 alongwith Demand Draft No
dated	amounting to RsThe particulars of the applicant(s) have rerified and found correct, therefore licence, may be issued to the applicant.
	Secretary Agricultural Produce Market Committee
	FORM 'C'
	[See rule 6 (2) and 6 (4)]
	Register of licences issued under section 25
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Notified market area Name of the firm/applicant. Full address of the market yard Name of the Managing proprietor or the Manager with parentage Licence No. Particulars of licence Name of the partners.
Sr. No	Name Father's name Address
8. 9. 10. 11. 12. 13.	Date from which the licence will take effect. Date from which the licence shall expire. Licence fee received. Demand Draft No. and date. Signature of issuing authority with designation. Remarks. FORM 'D' [See rule 6 (3)] LICENCE FORM UNDER SECTION 25
	This licence is granted to Mr./M/s et to conditions prescribed in hereunder:— ed market area

Liconac Mo

1.	LICE	nce no
2.	Nam	e of the Managing proprietor or the Manager of the firm with parentage
3.	Date	from which the licence shall take effect
4.	Date	on which the licence shall expire
5.	Parti	culars of the purpose for which the licence is valid:—
	(i)	For a private market yard.
	(ii)	For a consumer/ Farmer market yard.
	(iii)	For providing infrastructure facilities in market arealike grading, packing, precooling, cold storage and transaction in other way by value addition of notified agricultural produce.
	(iv)	
	(v)	For the export of notified agricultural produce.
6. P	lace of	f market yard /infrastructure raised
		Managing Director
		Himachal Pradesh State Agricultural
		Marketing Board, Shimla-171002
Place		·············
Date		

CONDITIONS OF LICENCE

- 1. The licencee shall comply with the provisions of the Himachal Pradesh Agricultural and Horticulture Produce Marketing (Development and Regulation Act, 2005 (Act No. 20 of 2005), rules and bye-laws framed thereunder and instructions issued from time to time.
- 2. The licensee shall not permit evasion of fee or infringement of any of the provisions of the Act, the rules and bye-laws made thereunder by any trader, market functionaries using the market yard and shall report in writing to the Agricultural Produce Market Committee any evasion of fee or any infringement/ breach which comes to his knowledge.
- 3. The licensee shall surrender his licence on demand to the Managing Director of the Board or the Secretary of the Committee concerned against receipt to be given to the licencee in this connection.
- 4. The licensee shall run the functioning of market yard honestly and properly according to the principles of fair dealings.
- 5. The licensee shall keep the premises clean and in a suitable condition for storage of agricultural produce.
- 6. The licensee shall not indulge in activities and practices which are detrimental to the interest of the trade and proper functioning of his market yard.
- 7. The licensee shall be responsible for the safe custody and protection of agricultural produce brought to his market yard for sale or storage.

- 8. The licensee shall not allow the exploitation of agriculturist or other producer who will be bringing his produce for sale or storage to his market yard.
- 9. The licensee shall levy market charges/ incidental charges as approved by the Board from time to time.
- 10. The licensee shall get his business premises insured against fire or other natural calamities.
- 11. The licensee shall maintain all those books and records which have been prescribed under these rules and submit to the authorities prescribed therein regularly.
- 12. The licensee shall provide all those infrastructures in the market yard which have been prescribed in the rules.
- 13. The licensee shall, on the expiry or sooner on the termination of the licence, surrender the same to the Board.
- 14. The licensee shall, when desired by the Licensing Authority or officer authorized or the Secretary of the committee concerned furnish correct information on the matters pertaining to his business/ market yard.
- 15. The licensee shall maintain and display daily rates and arrivals of all agricultural produce arriving in the market yard/ business place and exhibit the same in Hindi or English at a conspicuous place through trade portal network.

Note.—Strike out whichever is not applicable.

FORM 'E'

[*See* rule 7 (1)]

APPLICATION FORM FOR THE RENEWAL OF LICENCE UNDER SECTION 25.

To

The Licensing Authority, Himachal Pradesh State Agricultural Marketing Board, Shimla-171002.

Through: The Secretary, Agricultural Produce Market Committee

Subject: Renewal of licence.

Sir.

I request for the renewal of my licence. The necessary particulars are given below:—

1. Particulars of the private/consumer market yard/ other marketing infrastructure for which the licence has been issued.....

		[See rules 21 (1) (iii PPLICATION FORM FOR REGIST:	and 21 (3)]
		FORM 'l	_
Date .		Signature of the Managing Director.	
	Orde	s of the Managing Director	
Date			
	Repo	t by the office of the Board	
Endst.	No.		Dated:
			Agricultural Produce Market Committee.
Forwa Shiml	irded a-171	o the Managing Director, Himachal F	radesh State Agricultural Marketing Boarddated Secretary,
Conte	nts of	pplication verified.	
Dated			Signature of the Applicant.
	(1) (2)	(d) defaulter of not paying the dues to a lam enclosing a demand draft No. dated	he committee/ Boardamounting to Rs. on account of renewal fee. ad correct to the best of my knowledge and
		(b) convicted of any offence involving or	morel turpitude. If so the date of conviction;
		(a) granted any licence in any other m or cancelled. If so, when, where, fo or	arket area and his licence has been suspended r what period and for what reasons;
	7. 8.	• •	nt is a firm, has any member thereof singly or ,-
	<i>6</i> .		
	4. 5.		
	3.	No. of licence	
	2.	11	ars of the place of market yard)

То

The Secretary
Agricultural Produce Market Committee

~				
6	1		٠	
١,	1	1		_

[

The particulars of my business are given below:—

- 1. Name of the applicant or authorized person with full address (alongwith passport size photo and residential proof like; Ration card, Electricity bill,etc._____
- 2. Place of business for which registration is required (give the name or number of the building, or other description sufficient to identify the premises, or area alongwith name of crop and villages, number of farmers, etc. where contract farming shall be done)
 - 3. The applicant is a firm or it is a Hindu-joint family firm______
- 4. If the applicant is a Hindu Joint Family firm, the particulars of registration supported with documentary proof_____
- 5. If the applicant is a firm, give the names of all persons constituting the firm with parentage, residence and address:

Sr.No.	Name 2.	Father's/ Husband's name 3.	Full address. 4.
6.	Name of the Mar	aging proprietor or the Manager of the	firm

- 7. Name and style under which the applicant will work _____
- 8. Has the applicant or, where the applicant is a firm has any member thereof, singly or in collaboration with any body else, been granted registration in any other market area in the State and has such registration been suspended or cancelled? If so, when, for what period and for what reasons?
 - 9. Particulars of the business for which the registration is required:—
 - (i) Commission Agent
 - (ii) Contract farming sponsor
 - (iii) Buyer or seller or both
 - (iv) Storage
 - (v) Processing.
 - (vi) Forwarding agent.

Certified that,—

- (i) The facts set out in the application are true to the best of my knowledge. I under take to abide by the provisions of the Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2005 and the rules and bye-laws made there under.
 - (ii) I shall be responsible for all acts of my employees.

It is therefore, requested that registration certificate under section 40 of the Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development & Regulation) Act, 2005 (Act No. 20 of 2005) may kindly be granted to me/us.

Signature of the Applicant with Stamp.

Market Committee.

To be filled	d in by th	ne office of the Committee	
Registratio	on	No and date	Page of cash
		of receipt	book where
	Verified: Secretary) Vote.—Strike out whichever is not applicable [See rul REGISTRATION I This registration certificate is issued condition given hereunder:— Market area 1. Registration No	<u> </u>	entry made
1		2	3
Verified:			
(Secretary))		[Accountant]
Note.—Str	ike out w	hichever is not applicable	
		FORM 'G'	
		[See rule 21 (4) and 21	(5)]
		REGISTRATION FORM UNDER	R SECTION 40
		ation certificate is issued to Mr/ M/s eunder:—	subject to the
Market are	a		
1.	Regist	ration No	
		of applicant with parentage	
3.	Date f	rom which the registration shall take effe	ect
4.	Date o	n which the registration shall expire	
5.	Partic	ulars of the Business for which the registr	ration is valid:-
	(i) (Commission Agent	
		· ·	
	, ,	•	
		•	
	(vi) ł	forwarding agent	
6.	Place	of business or area of contract farming al	ongwith name of crop
Place			Secretary,
1 1acc	• • • • • • • • •	•••	Agricultural Produce

CONDITIONS OF REGISTRATION

Date

- 1. The registration holder shall comply with the provisions of the Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development & Regulation) Act, 2005 Act No. 20 of 2005) and rules and bye-laws framed there under and instructions issued from time to time.
- 2. Registration holder shall not permit evasion or infringement of any of the provisions of the Act, the rules and bye-laws made there under and shall report in writing to the Committee about evasion or breach which comes to his knowledge.

- 3. Registration holder shall surrender his registration on demand to the Secretary against a receipt to be given to the registration holder in this connection.
- 4. Registration holder shall conduct his business honestly and properly according to the principles of fair dealings.
- 5. Registration holder shall keep his business premises clean and in a suitable condition for storage of agricultural produce.
- 6. Registration holder shall not indulge in activities and practices which are detrimental to the interest of the trade and proper functioning of the market.
- 7. Registration holder shall be responsible for the safe custody and protection of the agricultural produce brought to his shop for sale or storage.
- 8. Registration holder shall get his business premises insured against fire.
- 9. Registration holder shall not form a pool or combination with other buyers for eliminating competition and shall not make or abet an attempt to do so in order to deprive the seller of a fair price of his produce.
- 10. Registration holder shall not treat any agricultural produce with any such chemicals which are hazardous to human health.
- 11. Registration holder shall regularly and promptly attend personally or through an approved representative of auctions held in the market.
- 12. Registration holder shall, on the expiry or sooner termination of the registration, surrender the same to the committee.
- 13. Registration holder shall, when desired by the Secretary of the Committee or any officer authorized by it furnish correct information on the matters pertaining to his business.
- 14. Registration holder shall not take or continue in his service any registered broker, weighmen, measurers, surveyor, hammal (Palledar).
- 15. Registration holder shall not boycott or encourage boycott of any other registration holder.
- 16. The registration is valid for one market year i.e., from to

FORM 'H'

[See rules 21 (4) and 21 (5)]

REGISTER OF REGISTRATION ISSUED UNDER SECTION 40

1.	Notified market area
2.	Name of the firm/ applicant

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3.	Address of the premises		
4.	Area of contract farming		
	(alongwith acreage and nur	mber of Farmers).	
5.	Name of the Managing pro	prietor or manager with pare	ntage
6.	Registration No		
7.	Description of Registration	n	
8.	Name of partners:		
Sr. No.	. Name	Father's name	Address
1	2	3	4
Date of entry	f Date from which registration	Date on which the registration	Registration fee received
Chu y	takes effect	expires	received
5	6	7	8
Receip	t	Signature of	Remarks.
No. &		issuing authority	
date 9		with designation 10	11
		10	11

FORM 'I'

[See rule 21 (2)]

APPLICATION FORM FOR THE RENEWAL OF REGISTRATION **UNDER SECTION 40**

To The Secretary, Agricultural Produce Market Committee,

Sir,

I request for the renewal of my registration. The necessary particulars are given here below:—

- Name of the market area for which registration has been issued
- Name of the applicant (with full particulars of the place of business) 2.
- Name of the Managing proprietor or the Manager of the firm, if any _____ 3.
- Registration No.________

 Date on which the registration shall expire ________ 4.
- 5.
- Period for which registration is requested _____ 6.
- Fee paid Rs. _____ 7.
- Penalty paid, if any, Rs. 8.

9		Has the applicant or where the applicant is a firm, has any member thereof singly or in collaboration with any-body else been:—				
	(a)	granted a trader's registration been suspe for what reasons; or	nded or cancelled if	so, when, where, fo		
	(b)	convicted on an offer	nce affecting the sa	aid person's integr	ity as a man of	
	(c)	business. If so the date declared as an undischa				
	(d)	Has the applicant clear	ed all the dues as ma	rket fee, lease rent, o	etc.	
1	0. Ce	rtified that the facts set ou	t in the application a	re true to my knowle	edge.	
Date				Signature	of the Applicant	
To be fill	led in b	y the office of the Commi	ttee.			
	newal ation fe	Penalty received, e if any	No. and date of receipt	Page of cash book where entry made	Remarks	
1		2	3	4	5	
No				Date		
Content	of appli	cation verified			Accountant Committee.	
Orders o	f the Re	egistration Authority				
Date				Signature	with designation	
			FORM 'J' [See rule 26 (1)]			
То		e Secretary, ricultural Produce Market	Committee			
Sir,						
Т	he part	iculars of my business are	given below:—			
1	. Na	me of the applicant with p	parentage, residence a	and address in full		
2	$\overline{\text{If t}}$	he applicant is a firm, is i	t a Hindu Joint Famil	ly Firm, or otherwis	e constituted	
3	. Ha	s it been registered or not	?			

4. If the applicant is a firm, give the names of all persons constituting it with parentage, residence and address, in full of each:

Sr. No.	Name	Fathers/Husband's name
1	2	3

- 5. Name of the Managing proprietor or the Manager who will actually conduct the business
- 6. Name or style under which the applicant will conduct his business ___
- 7. Does the applicant wish to be registered as a broker/ weighman/ measurer/ surveyor/ godown keeper/ hamal (Palledar)_____
- 8. Has the registration, if any, made previously to the applicant, or if the applicant is a firm, to any member thereof, singly or in collaboration with anybody else, for working as a broker, weighman, measurer, surveyor, godown keeper or hamal (Palledar) in any notified market area been cancelled. If so, where, when, for what period and for what reason?

Certified that :-

- (i) the facts set out in application are true to the best of my knowledge.
- (ii) I under take to abide by provisions of the Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2005 (Act No. 20 of 2005) and rules and bye- laws made there-under,
- (iii) I shall be responsible for all acts of my employees.

It is, therefore, requested that the registration certificate under section 40 of the Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development & Regulation) Act, 2005 may kindly be issued to me.

Dated.....

Signature of the Applicant

Notes,—

- (1) Registration to work as a weighman, a measurer or a surveyor shall only be issued to individuals and not to a firm.
- (2) In case the application is made by a firm, it may be signed by the Managing proprietor only.

	To be filled in by o	office	
Registration fee	No and date	Page of cash book	
received	of receipt	where entry made.	
1	2	3	

Conte	nts of	application verified.	
	_	ervisor, arket Area/ Market yard.	Accountant Committee
		Orders of Registration Authority	
Date:			Signature with Designation.
	e of p	FORM 'K' [See rule 26 (2)] Registration Form under section 40 Registration is issued to Mr./M/serson or firm with full address) for doing his business as a eper/ hamal (Palledar) or Surveyor in the market area	broker/ weighman/ measurer/
	1.	Sr. No. of registration	
	2.	Name of the Managing proprietor/ Applicant	
	3.	Date from which the registration shall take effect	
	4.	Date on which the registration shall expire	
	5.	Place of business	
Place.			
Date	••••••		Signature of the Registration

CONDITIONS OF REGISTRATION:

1. The registration holder shall comply with the provisions of the Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2005 (Act No. 20 of 2005) and the rules and bye-laws framed there-under and instructions issued from time to time.

Authority.

- 2. The registration holder shall not permit evasion or infringement of any of the provisions of the rules and bye-laws mentioned under condition No.1 and shall report in writing to the Committee any evasion or breach which comes to his notice.
- 3. The registration holder shall surrender his registration certificate on demand by the Secretary in writing in this behalf.
- 4. The registration holder shall conduct his business honestly and properly according to the principles of fair dealings.
- 5. The registration holder shall not boycott or encourage boycott of any other registration holder.
- 6. The registration holder shall not indulge in activities and practices which are detrimental to the interest of the trade and proper functioning of the market.

- 7. The registration holder, except the godown keeper, shall not accept any service under the trader.
- 8. If the registration holder is a weighman, measurer, or surveyor, or hamal (Palledar), he shall abide by such arrangements, which may be made by the Committee with a view to ensuring the availability of their services as and when required. The registration holder shall bear the badges provided to him by the Committee, during the hours of his business.
- 9. If the registration holder is a godown keeper, he shall keep his godown neat, clean and tidy to the satisfaction of the Committee.

FORM 'L'

[See rule 28 (1)]

APPLICATION FORM FOR THE RENEWAL OF A REGISTRATION UNDER SECTIONS 39 (2) (vii) AND 40.

		`	JI DEK BECITOI	(2) (VII) III (D 4)	,
То		The Secretary, Agricultural Pro Committee	oduce Market		
Sir,					
	I re	quest for the renev	wal of my registration	on. The necessary part	iculars are given below:—
	1. 2. 3. N 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Name of the appliame of the Mana Registration No Date on which the Period for which Fee paid Rs Penalty paid, if Has the application any members the registration for or hamal (Palles suspended) or	plicant (with full parging proprietor or the content of the registration shall the renewal is required any, Rs	expireedease of a godown keep collaboration with an weighman, measurer t area in the state an	per the applicant is a firm, has ny-body else, been granted a, surveyor or godown keeper d has such registration been what period and for what
Certif	fied th	at all the facts set	out in the application	on are true to the best	of my knowledge.
Date .					Signature of Aapplicant
To be	fillea	l in by the office of	of the Committee		
		egistration	Penalty	No. and date	Page of cash

3

entry made

If any

2

Contents of application verified

Accountant Agricultural Produce Market Committee.

Market Supervisor, Agricultural Produce Market Committee,		
	Report of the office of the Committee	
	Order of the Registering Authority	
Date:		Signature of Secretary
		
	FORM 'M'	

REGISTER TO BE MAINTAINED BY THE BUYER

[See rule 30 (4)]

Name of registration holder _____ Registration No. Date of Sr. Name & Name of Approx weight Rate of address of of agricultural the No. transaction the agricultural agricultural the producer produce produce produce 2 4 1 3 6

Mode of transportation with type of vehicle & number	Actual weight seller/seller	Signature of the producer	Remarks
7	8	9	10

FORM 'N'

[See rule 30 (4)]

INFORMATION TO BE SUPPLIED BY THE BUYER TO THE COMMITTEE

Name	of Registration f	Registration No					
Sr. No.	Name of the producer/seller	Name of the agricultural produce	Actual weight	Rate	Value	Amo of mark fee paya	ket
1	2	3	4	5	6	7	8
	I hereby certify tof my knowledg		mentioned	information	_	ture of reg	true & correct to eistration holder) Name of the firm.
		[Se	FORI	M 'O' 4) and 37 (1)]		
		Return		urchase and ER FOIL	sales		
Agricu	ltural Produce Ma	arket Committ			••••	Date	
	Name of trader F fee paid with rec						
			Purc	hased			
	te of Name action commo	dity selle wl	ne of r from nom hased	Weight	Rate	Value	Whether fee is leviable, if not, why?
	1 2	-	3	4	5	6	7
Amour	nt of fee e						
	(a) from buyer						
	(b) from produ	cer					
	(c) Total						

8.

SC	OLD				
Name of	Weight	Rate	value	Whether fee	Amount of fee leviable
Buyer to				is leviable,	(a) from buyer (b)
whom sold				if not, why?	from producers (C) Total
9	10	11	12	13	14
Remark	es				
Total					TotalSignature of trader

FORM 'P' [See rule 30 (11)] AUCTION REGISTER

Date	Name of Commission Agent	Name and address of the seller	Description of produce of Seller	Approximate quantity.
1	2	3	4	5
the agric	e at which ultural produce	Name of buyer	Signature of Commission agent	Signature of Buyer
has been sold 6		7	8	9

FORM 'Q' [See rule 30 (15) and (16)] Bill of Commission agent Counter foil

	O	
Book No		
Sr.No		
Name of Market		
Name of Commission agent/		
Name of Buyer	Dated	

Name of commodity	Weight	Rate (in Rs.)	Total amount (in Rs.)	Market charges. (in Rs.)	Grand Total (in Rs.)
				(i) Commission (ii) Brokerage (iii) Palledari (iv) Filling & Sewing Charges (v) Other charges (vi) (please specify Total:	

FORM 'R'

[See rule 30 (17)]

Sale voucher for the Seller. Counter foil

Book No.		Serial No					
		Date of Auction					
	nission agent/						
	•						
Name of Commodity	Name of Buyer	Weight	Rate (Rs.)	Total value	Incidental charges	Net amount Paid	
1	2	3	4	(Rs.) 5	(Rs.) 6	(Rs.) 7	
Signature of sel his representati				Signa	ture of Comm	ission Agent	
		[.Se	Form'S'	7)1			
AUC	CTION REGIST			IN PRIVATE M	IARKET YA	RD	
Date	Name and addres of seller	of agricu	ıltural	Approximate quantity	agricultur	Rate at which the agricultural produce has	
1	2	produce		4	been sold		
1	<u> </u>	3		4		5	
	Name and addres	28		Remarks			
-	of buyer	55		Remarks			
	6			7			
Signature of Se	ller				Signo	ature of Buyer	
				_			
			FORM 'T See rule 32				
			OF AGRE				
Book No							
Sr. No							
Name of	•	Name of		Name of the	Nar	ne of	
seller wit	h c	commission		buyer or his	agric	ultural	
full addres	ss a	gent if any,	;	agent and address	s. produ	ce sold	
	1	registration				grades,	
		number			if	any	
		address					
1		2		3		4	

Approximate	Rate at which	Total amount to be
quantity Producer.	sold grade-wise	paid to the seller or producer.
5	6	7

I hereby agree to take delivery of the above agricultural produce at the rate specified against it in column No. 6 and have no right to retract from this rate. I further agree to abide by the provisions of sub rule 10 and 12 of rule 48 of the Himachal Pradesh Agricultural & Horticultural Produce Marketing (Development and Regulation) Rules, 2007.

(Signature of producer or his agent).		(Signature of buyer or his agent).
Witnesses:—		
(1) (2)		
	FORM 'U' [See rule 35 (4	··)]
Agricultural Produce Market C	Committee	
	RECEIPT	
		Date
		on account of
Signature of the Accountant Agricultural Produce Market (Committee 	Secretary Agricultural Produce Market Committee
Annu	FORM 'V' [See rule 37 (1 al return of sale and pur	
	_	Date
Name of trader		
Last date when market fee paid		
Receipt No. & date		
Total quantity of agricultural produce purchased or sold	Value of agri- cultural produce (in Rs.)	Total market fee payable
(in quintals)	2	3

Market fee	Receipt No.	Balance market	Remarks.
already paid	& Date	fee to be paid,	
		if any	
4	5	6	7

(Signature of licencee or trader)

FORM 'W'

[See rule 37 (2)]

Register of	f sale and pur	chase	-	ultural	` '	-	nainta	nined by th	e Committee	
Agricultural F	Produce Marke	t Con	nmittee			ye:	ar	mo	nth	
Date	Description of the agricultural produce sold		agricultural produce sold num regis		e with ne per of ration of ler.	agricultural produce sold		Rate	Value of agricultural produce.	
	As		As							
1	seller 2	t	ouyer 3		1	5		6	7	
Monthly Tota			3		<u>r</u>	<u> </u>		0	,	
Whether fee i leviable, if no why?	viable, if not chargeable		Fee reco	the		of		llance of ee to be covered	Date of recovery of balance.	
8	9		10				12		13	
Monthly Tota	1:									
Secretary, Committee.								gnature of t the Commi	he Accountant ttee.	
То				FORI See rule SSMEI	e 37 (4)					
M/s										
Whereas										
Ţ	oroduce		and	d regist	ered o	r not regi	istered	d under see	in agricultural ction 40 of the Development &	

Regulation) Act, 2005, of the Market area, have not furnished return/correct return in Form 'M' for the period from to .

(b) You, a trader having registration No. (if any) and registered under section 40 of the Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2005 of the Market area, have habitually made default in the submission of return for the period from to and it appears to the Committee that you willfully failed to furnish such return in respect of the above mentioned period.

And it appears to be necessary to make assessment under rule 37 of the Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development & Regulation) Rules, 2005, in respect of the above mentioned period.

You are hereby directed to attend in person or by an authorized agent at (place)______ on (date) at (time) and produce, or cause there to be produced at the said time and place the accounts and documents specified below for the purpose of such assessment, together with the objections which you may wish to prefer and any evidence you may wish to adduce in support thereof and to show cause why in addition to the market fee levied on the basis of assessment a penality prescribed under rule 37 (8) of the said rules should not be imposed upon you.

penal	ity pre	scribed under rule 37 (8) of the said rules should not be imposed upon you.
Name	e of Do	ocuments
	(2)	
	(3)	
Dated	1:	Assessing authority Agricultura Produce Market Committee.
No. I	D ate	Form 'Y' [See rule 37 (10) (i)] Demand Notice
Agric	ultura	Produce Market Committee
То		
		Shri/ M/s
to		are hereby informed that your business during the period from
	(a)	Assessed value of business
	(b)	Market fee chargeable_
	(c)	Market fee already paid, if any
	(d)	Net payable (b-c)
	(e)	Penality
	(f)	Total (d+c)

You are hereby directed to pay a sum of Rs. to the Agricultural Produce Market Committee at its office at (place) on or before (date) failing which the said sum shall be recoverable from you as an arrear of land revenue.

Assessing Authority Agricultural Produce Market Committee

Form 'Z' [See rule 38 and 41] Annual return of sale and purchase

			Date:
Name of Private Market	yard/		
Contract Farming Spons	or		
paid, if any.			
•			
Kind of agricultural	Total quantity of	Value of agricultural	Total Market fee
produce	agricultural produce	produce purchased or	payable if any
1	purchased or sold	sold (range)	1 3
	purchases or some	Solo (rungo)	
1	2	3	4
Market fee alreadey	Receipt No. & date	Balance market fee to	Remarks
paid	•	be paid, if any	
1			
5	6	7	8
		Signature of Licer	nsee/Registration holder
	[rule]	M 'ZA' 39 (2)] for Contract Farming	
	Specimen 11g1 comene	Tor contract rurning	
shall unless repugnant t administrators and assig	200 age	at residing at lled the party of the First g thereof means and included the party of t	part (which expression des his heirs, executors, party of the Second part

WHEREAS the party of the First part is the owner/ cultivator of the agricultural land bearing the following particulars:

Village	Gut No./Khasra No.	Area in Hectare	Tehsil & Distt.	State.

AND WHEREAS, the party of the Second part is trading in agricultural produce and also providing technical know-how in respect of land preparation, nursery, fertilization, pest management, irrigation, harvesting and alike things;

AND WHEREAS the party of the Second part is interested in the items of the agricultural produce more particularly mentioned in Schedule-I hereto annexed and at the request of the party of the Second part, party of the First part has agreed to cultivate and produce the items of agricultural produce mentioned in the schedule-I hereto annexed; and

AND WHEREAS the parties hereto have agreed to reduce in writing the terms and conditions in the manner hereinafter appearing.

THIS AGREEMENT WITNESSTH:

NOW,

- 1. That the party of the first part agrees to cultivate and produce and deliver to the party of the Second part and the party of the Second part agrees to buy from the party of the first part the items of the agricultural produces particulars of the items, quality, quantity and price of the items are more particularly mentioned in the schedule I hereto annexed.
- 2. That the agricultural produce particulars of which are mentioned in the schedule-I hereto will be supplied by the party of the First part to the party of the Second part within the period of months/years from the date hereof.

OR

It is expressly agreed between the parties hereto that this agreement is for agricultural produce particulars of which are described in schedule-I hereto and for a period of months/ years and after the expiration of said period, this agreement will automatically come to an end.

- 3. That the party of the First part agrees to cultivate, produce and supply quantity mentioned in the Schedule hereto annexed to the party of the Second part.
- 4. That the party of the First part agrees to supply the quantity contracted according to the quality specifications stipulated in Schedule I. If the agricultural produce is not as per the agreed quality standards, the party of the Second part will be entitled to refuse to take the delivery of the agricultural produce only on this count. Then
 - (a) The party of the First part shall be free to sell the produce to the party of the Second part at a mutually renegotiated price.

(b) In open market (to bulk Buyer viz. exporter/ processor/ manufacturer etc.) and if he gets a price less than the price contracted, he will pay to the party of the Second part, for his investment proportionately less.

OR

- (c) In the market yard and if the price obtained by him is less than contracted price, then he will return proportionately less for the party of the Second partinvestment.
- (d) In the event the party of the Second part refuses/ fails to take the delivery of the contracted produce for his own reasons then the party of the First part will be free to sell the produce in the open market and if the price received is lower than the contracted price the difference will be on account of the party of the Second part and the party of the second part shall pay the said difference to the party of the First part within a period of days from asserting the said difference.
- 5. That the party of the First part agrees to adopt instructions/ practices in respect of land preparation, nursery, fertilization, pest management, irrigation, harvesting and any other, as suggested by the party of the Second part from time to time and cultivate and produce the items as per specifications mentioned in the schedule-I hereto.
- 6. That it is expressly agreed by and between the parties hereto that buying will be as per the following terms and buying slips will be issued immediately after the purchase.

Date	Delivery Point	Cost of Delivery

It is further agreed that it will be the responsibility of the party of the Second part to take into possession of the contracted produce at the delivery point agreed after it is offered for delivery and if he fails to take delivery within period then the party of the First part will be free to sell the agriculture produce contracted as under: produce.—

- (a) In the open market (bulk buyer viz. exporter/ processor/ manufacturer etc.), and if he gets a price less than the price contracted, he shall pay to the party of the Second part for his investment proportionately less.
- (b) In the market yard, and if the price obtained is less than the contracted price then he shall return proportionately less to the party of the Second part for his investment.
 - It is further agreed that the quality maintenance in transit shall be the responsibility of the party of the Second part and the party of the First part shall not be responsible or liable for the same.
- 7. That the party of the Second part shall pay to the party of the First part the price/rate mentioned in Scheduled when his crop has been harvested and delivered to the party of the Second part after deducting all outstanding advances given to the party of the First part by the party of the Second part. The following schedule shall be followed for the payment.

Date	Mode of payment	Place of payment

- 8. That the parties hereto shall insure the contracted produce mentioned in Schedule-I hereto, for the period of...... against the risk of losses due to acts of God, destruction of specified assets, loan default and production and income loss and all other acts or events beyond the control of the parties, such as very low production caused by the serious outbreak of a disease, epidemic or by abnormal weather condition, floods, drought, hailstorm. cyclones, earthquakes, fire or other catastrophes, war, acts of Government, action existing on or after the effective date of this agreement which prevent totally or partially the fulfillment of the obligation of the first party. Upon request, the party of the First part invoking such acts shall provide to the party of Second Part confirmation of the existence of facts. Such evidence shall consist of a statement of certificate of the appropriate Governmental Department. If such a statement or certificate cannot reasonably be obtained, the party of the First part claiming such acts may as substitute, thereof, make a notarial statement describing in details the facts claimed and the reasons why such a certificate or statement confirming the existence of such facts. Alternatively, subject to the mutual agreement between the two parties. The party of the First part may fill his quota of the produce through other sources and the loss suffered by it thereby due to price difference, shall be shared equally between the parties, after taking into account the amount recovered from the insurance company, The insurance premium shall be shared equally by both the parties.
- 9. That the party of the Second part hereby agrees to provide following services to the party of the First part during the period of cultivation and post harvest management, particulars of which are as follows:—
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
- 10. That the party of the Second part or it's representatives agrees to have regular interactions with the farmers forum set up/ named by the party of the First part during the period of contract.
- 11. That the party of the Second part or its representatives at its own costs shall have the right to enter the premises/fields of the party of the First part to monitor farming practices adopted and the quality of the produce from time to time.
- 12. That the party of the Second part confirms that he has registered himself with the Registering Authority i.e. Secretary on and shall pay the fees in accordance with the law prevailing in this regard to the Registration Authority which has jurisdiction to regulate the marketing of agriculture produce which is cultivated on the land described hereinbefore.

OR

The party of the Second part has registered himself on with the registration Authority namely, Secretary. The fees levied by the respective Registration Authority shall be borne by the

party of the Second part exclusively and shall not be deducted in any manner, whatsoever, from the amounts paid to the party of the First part.

- 13. That the party of the Second part shall have no rights whatsoever as to the Title, Ownership, Possession of the land/property of the party of the First part nor will it in any way alienate the party of the First part from the land/property particularly mortgage, lease, sublease or transfer the land/property of the party of the First part in any way to any other person/institution during the continues of this agreement.
- 14. That the party of the Second part shall submit true copy of this agreement signed by both the parties and registered with the Secretary within a period of 15 days from the date of execution of this agreement with the Secretary as required under the Act.
- 15. That dissolution, termination/ cancellation of the Contract shall be with consent of both the parties, and such dissolution or termination/cancellation deed shall be communicated to the Secretary within 15 days of such dissolution, termination/cancellation.
- 16. That in the event of any dispute or difference arising between the parties hereto or as to the rights and obligations under this agreement or as to any claim, monetary or otherwise of one party against the other or as to the interpretation and effect of any terms and conditions of this agreement, the dispute or difference shall be referred to arbitration authority constituted for the purpose by the State Government in this regard.
- 17. That in case of change of address of any party to this agreement, the same shall be intimated to the other party as well as to the Secretary.
- 18. That each party hereto shall act in good faith diligently and honestly with the other in the performance of their responsibilities under this agreement and nothing shall be done to jeopardize the interest of the other.

In witness whereof the parties have signed this agreement on the day month and year first above mentioned.

SIGNED, SEALED AND DELIVERED BY THE)
Withinnamed 'PARTY OF THE FIRST PART')
in the presence of)
1)
2)
SIGNED, SEALED AND DELIVERED BY THE)
Withinnamed 'PARTY OF THE SECOND PART')
in the presence of)
1)
2)

Schedule 1 Grade, Specification, Quantity and Price Chart

Grade	Specification	Quantity	Price/Rate
Grade 1 or A	Size, Colour, Aroma etc.		
Grade 1 or B			

By order, Sd/-Pr. Secretary.

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 27 अगस्त, 2007

सख्या सिंचाई 11—108/2006—सोलन.— यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव काथला तहसील कसौली जिला सोलन में उठाउ पेयजल योजना के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

- 2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा—6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू—अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग कसौली, जिला सोलन को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश किया जाता है।
- 3. भूमि का रेखांक भू—अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग शिमला हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जाता है।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	क्षेत्र / बीघे में
सोलन	कसौली	काथला	67 / 1	0—18

आदेश द्वारा, हस्ता / – प्रधान सचिव।

कार्मिक विभाग(नियुक्ति–।।)

अधिसूचना

शिमला–2, 22 अगस्त, 2007

स0ं पर(एपी—बी)बी(2)—7/99.— हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के सविधान के अनुच्छेद 309के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसचूना, तारीख 13—02—2001 द्वारा अधिसचित, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बींड, चालक, वर्ग—।।। (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नित नियम, 2001 में और सशीधन करने के लिए निम्निलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन र्बोड चालक, वर्ग—।।। (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नित (प्रथम संशोधन) नियम, 2007 है ।
 - (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
- 2. उपाबन्ध "क" का सशोधन.— (1) हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, चालक, वर्ग—।।। (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2001 के, उपाबन्ध "क" में, :—

- (i) स्तम्भ संख्या—10 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—
 " शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर, ऐसा न होने पर स्थानांतरण द्धारा सैकेण्डमैंट आधार पर।"
- (ii) स्तम्भ संख्या 11 (i) के सामने विद्यमान मुख्य उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—
- "(i) हिमाचल प्रदेश सचिवालय / हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय / अन्य सरकारी विभागों में इस पद के समतुल्य वेतनमान में कार्यरत इस पद के पदधारियों में से स्थानांतरण द्धारा सैकेण्डमैंट आधार पर ।" और
 - (iii) स्तम्भ संख्या 15 के सामने विद्यमान उपबन्ध के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात :--

"15 "क" संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन ।

- (i) संकल्पना.— (क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड में चालक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्ष के लिए बढाया जा सकेगा।
- (ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्रेत्र में आना .— अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, रिक्त पदों के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और विहित अर्हताओं और इन नियमों में यथाविहित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवदेन आमन्त्रित करेगा ।
- (ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तो तथा 28—01—2004 को अधिसू चित तथा समय—समय पर यथासंशाधित हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के "प्रक्रिया एवं संचालन नियम" के अनुसार किया जाएगा।
- (घ) इन नियमों के अधीन इस प्रकार चयनित संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सरकारी सेवा (जॉब) में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- (ii) संविदात्मक उपलिख्याँ.— संविदा के आधार पर नियुक्त चालक को 4995— / रूपए की दर से समेकित नियत रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए उपलिख्यों में 110 / रूपए की वार्षिक वृद्धि अनुज्ञात की जाएगी।
- (iii) नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारी.— अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।
- (iv) चयन प्रिकेग्ना .—संविदा पर नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर / पाठ्यक्रम आदि भर्ती प्राधिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्धारा इन नियमों और 28—01—2004 द्धारा अधिसचित, समय—समय

पर यथासंशाधित हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के "प्रक्रिया एवं संचालन नियमों " के अधीन अवधारित किया जाएगा ।

- (v) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति .— जैसी भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा समय—समय पर गटित की जाए ।
- (vi) करार .— अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध—"ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
- (vii) निबन्धन और शर्तें.— (क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 4995 / रूपए की दर से नियत संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में 110 / —रूपए की दर से वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा तथा अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ / चयन वेतनमान आदि प्रदान नहीं किया जाएगा ।
- (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।
- (ग) संविदा पर नियुक्ति, पदधारी को किसी भी दशा में, सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
- (घ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक सूचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञेय नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।
- (ड) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनिधकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) को जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अविध के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
- (च) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण, किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
- (छ) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
- (ज) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यनूतम पर लागू है ,यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा।
- (viii) नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार.— इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर लगाए गए अभ्यर्थी को, किसी भी दशा में विभाग में चालक के रूप में नियमितिकरण / स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

आदेश द्वारा, रवि ढींगरा, मुख्य सचिव।

उपाबन्ध "क"

	चालक	और	हिमाचल	प्रदेश	सरकार	के	मध्य	अघ्यक्ष,	हिमाचल	प्रद्रेश	अधीनस्थ	सेवाएं	चयन	बोड,
हमीरपुर	के माध	ध्यम से	निष्पादित	त की	जाने वार्ल	ी र	ांविदा /	/ करार	का प्ररूप।					

यह करार श्री / श्रीमति			पत्र / पत्	त्री श्री				
निवासी [′]								
पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल								
चयन बोर्ड, हमीरपुर (जिसे इसमें इसके	पश्चात् 'द्विर्त	ोय पक्षकार	' कहा ग	ाया है)	के माध्य	म से व	आज तारीर	ॼ
को किया गया।	,							

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने चालक के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है.—

- 1. यह कि प्रथम पक्षकार चालक के रूप में.से प्रारम्भ हाने और.... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात्......................... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझीं जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।
- 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ४९९५ / रूपए प्रतिमास होगी ।
- 3. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।
- 4. संविदा पर नियुक्ति, किसी भी दशा में सेवा में नियमितिकरण के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करगी।
- 5. संविदा पर नियुक्त चालक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकिस्मक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त चालक, वर्ग—।।। (अराजपत्रित) को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा।
- 6. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त चालक, कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अविध के लिए वेतन लेने का हकदार नहीं होगा।
- 7. चयनित अभ्यर्थी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमीरपुर से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। प्रसव के पश्चात, महिला अभ्यर्थी की ऐसी नियुक्ति पूर्व, उसको मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमीरपुर द्धारा अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।
- 8. संविदात्मक चालक का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित कर्मचारी को वेतनमान के न्यनू तम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगे।
- 9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ—साथ इ0 पी०एफ० / जी०पी०एफ० भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने—अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षी की उपस्थिति में 1	
(नाम व पूरा पता)	
2	
(नाम व पूरा पता)	(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)
साक्षी की उपस्थिति में 1	
(नाम व पूरा पता)	
2	
(नाम व पूरा पता)	(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Per(AP.B)B(2)-7/99 dated 22-08-2007 as required under clause (3) of Article 348 of Constitution of India]

PERSONNEL (AP.II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 22nd August 2007

- **No. Per(AP.B) B(2)-7/99 Driver.** In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Driver, Class.III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2001 notified vide this Department Notification of even number dated 13-02- 2001, namely.—
 - 1. Short title and Commencement.— (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Driver, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2007.
 - (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
- **2.** Amendment of Annexure "A" (1) In Annexure "A" to the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Driver, Class-III(Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2001--

- (i) For the existing provision against column No. 10, the following shall be substituted, namely.—
 - " 100 % by direct recruitment or on contract basis failing which on secondment basis by transfer.";
- (ii) For the main existing provision against column No. 11 (i), the following shall be substituted, namely.—
- "(i) On secondment basis by transfer from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scale of this post from the H.P Secretariat / office of the H.P. Public Service Commission / other Government Departments."; and
- (iii) After the existing provision of Col No. 15, the following shall be added, namely.—

"15-A Selection for appointment to the post by contract appointment

- (I) CONCEPT.— (a) Under this policy, the Driver in the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for two more years on year to year basis.
- (b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF THE HPSSSB; The Chairman, Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will advertise the detail of the vacant posts in atleast two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.
- (c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules and in the "Rules of Business and Procedure" of Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board notified on 28-01-2004, as amended from time to time.
- (d) Contract appointee so selected under these Rules will not have any right to claim regularization or permanent absorption in Government job.
- (II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS .—The Driver appointed on contract basis will be paid consolidated fixed amount @ 4995/- per month. An amount of Rs. 110/- as per annum increase in emoluments for the second and third years, respectively, will be allowed if contract is extended beyond one year.
- (III) APPOINTING / DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Chairman, Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur will be the appointing and disciplinary authority.
- (IV) SELECTION PROCESS.— Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment recruitment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the recruitment agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board prescribed under these Rules and in the "Rules of Business and Procedure" of Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board notified on 28-01-2004, as amended from time to time.

- (V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL.— As may be constituted by the recruitment agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board from time to time.
- (VI) AGREEMENT.— After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per **Annexure-"B"** appended to these Rules.
- (VII) TERMS AND CONDITIONS.— (a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ 4995/- per month. The Contract Appointee will be entitled for annual increment in contractual amount @ 110/- per annum for second and third years respectively and no other allied benefits such as senior / selection scales etc. shall be given.
- (b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
- (c) Contract appointment shall not confer any right to incumbent for the regularization in service at any stage.
- (d) Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. only Maternity Leave will be given as per rules.
- (e) Unauthorized absence from the duties without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
- (f) Transfer of contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.
- (g) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government / Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
- (h) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of pay scale.
- (VIII) RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT.— The candidate engaged on contract basis under these rules shall have no right to claim for regularization/permanent absorption as Driver in Department at any stage."

By order, RAVI DHINGRA, Chief Secretary .

Annexure – B

Form of contract agreement to be executed between the Driver and the Government of Himachal Pradesh through the Chairman, Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

This agreement is made on this	day	of	in the
yearbetween Sh/Smt			S/o/D/o
ShriR/o,	contract	appointee	(hereinafter
called the FIRST PARTY),			

AND the Governor, Himachal Pradesh through the Chairman, Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur (here-in-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a **Driver** on contract basis on the following terms & conditions.—

- 2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be **Rs. 4995/-** per month.
- 3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the work and conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
- 4. The contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regular service at any stage.
- 5. Contractual **Driver** will be entitled for one-day casual leave after putting one-month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind except maternity leave as per rules will be admissible to the contractual **Driver**, Class-III (Non-Gazetted). He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc.
- 6. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual **Driver** will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
- 7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from Chief Medical Officer, Hamirpur. In case of female candidate(s), the pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till her confinement is over. After the confinement, the women candidate will require to submit a fitness certificate issued by Chief Medical Officer, Hamirpur before her joining as such.
- 8. Contract **Driver** shall be entitled to TA/DA if ordered to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular official (Driver) at the minimum of the pay scale.
- 9. The Employees Provident Fund, General Provident Fund and Employees Group Insurance Scheme will not be applicable to the contractual appointee (s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:	
1	
(Name and Full Address)	(Signature of the FIRST PARTY)
2	
(Name and Full Address)	IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1	
(Name and Full Address)	(Signature of the SECOND PARTY)
2	(2-6
(Name and Full Address)	

PERSONNEL DEPARTMENT Appointment-IV

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 6th August, 2007

No.Per(A-IV)-F(11)-2/94-IV.— In continuation of this Department's Notification of even number dated 20th June, 2002, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to order that the Himachal Pradesh Administrative Service Officers, while posted in the H.P. Secretariat/H.P. Public Service Commission, on completion of 18 years, shall be designated as under:-

- (I) Special Secretaries to the Government of Himachal Pradesh/H.P.Public Service Commission, on completion of 18th year of Service in the Himachal Pradesh Administrative Service.
- 2. Consequent upon the aforesaid designation, no additional financial benefit will be permissible to the concerned Officer.
- 3. This issues with the prior concurrence of the Finance Department obtained vide their Dy. No.50307219 dated 16.12.2006.

By order, RAVI DHINGRA, Chief Secretary. [Authoritative English Text of this Department Notification No.Per(AP-B)B(2)-4/99 Dated 30.08.2007 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PERSONNEL (AP-II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 30 August 2007

No.Per(AP-B)B(2)-4/99.— In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 read with Article 318 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Public Service Commission, Section Officer, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2000, notified vide this Department Notification of even number dated 24.08.2000 namely:-

- **1.** Short title and commencement .—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Public Service Commission, Section Officer, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2007.
- (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
- **2.** Amendment of Short title.— For the existing title of the Himachal Pradesh Public Service Commission, Section Officer, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rule,2000 (hereinafter referred to as the "said rules") the following shall be substituted, namely:-

"TheHimachal Pradesh Public Service Commission, Section Officer/Assistant Registrar, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2000."

- 3. Amendment of Annexure "A".—In Annexure "A" to the "said rules";
- (i) In column No.1 for the words "Section Officer" the words and sign "Section Officer/Assistant Registrar" shall be substituted; and
- (ii) In column No.2 for the existing figures sign and word "7 (seven)" the figure sign and word "11 (eleven) Section Officer=7 and Assistant Registrar=4 (total 11)"shall be substituted.

By order, RAVI DHINGRA, Chief Secretary.

कार्मिक विभाग(नि0-।।)

अधिसूचना

शिमला-171002, 30 अगस्त, 2007

संख्याः पर(एपी—बी)बी(2)—4/99.— हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के साथ पिठत अनच्छेद 309 के परन्तकु द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयागे करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयागे के परार्मश से इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 24—08—2000 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में अनुभाग अधिकारी, वर्ग—I, (राजपित्रत) भर्ती एवं प्रोन्नित नियम, 2000 में और संशोधन करने के लिए निम्निलिखत नियम बनाते है, अर्थात :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, अनुभाग अधिकारी, वर्ग—I, (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नित (प्रथम संशोधन) नियम, 2007 है ।
 - (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत होंगे ।
- 2. संक्षिप्त नाम का संशोधन.— हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग अनुभाग अधिकारी वर्ग—I (राजपत्रित) भर्ती व प्रोन्नित नियम, 2000 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात श्उक्त नियम'' कहा गया है) के विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्निलिखत रखा जायेगा अर्थात:-
 - " हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग अनुभाग अधिकारी / सहायक पर्ज ीयक वर्ग— I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नित नियम, 2000"।
 - 3. उपाबन्ध "क" का संशोधन "उक्त नियमों" के उपाबन्ध 'क' में :
- (i) स्तम्भ संख्या—1 में, 'अनुभाग अधिकारी' शब्दों के स्थान पर 'अनुभाग अधिकारी / सहायक पंजीयक' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ; और
- (ii) स्तम्भ संख्या—2 में विद्यमान अंकों, चिन्हों और शब्दों "7(सात) के स्थान पर "11 (ग्यारह) अनुभाग अधिकारी=7 और सहायक पंजीयक =4 (चार)" (कुल 11) अंक, चिन्ह और शब्द रखे जाएगें । आदेश द्वारा,

रवि ढींगरा, मुख्य सचिव।

PERSONNEL(A-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 31st August, 2007

No.Per(A-I)P)B(2)-4/89-II.— The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to order that the Deputy Commissioner, Kullu, Himachal Pradesh shall also hold the additional charge of the post of Director of Mountaineering & Allied Sports, Manali, with effect from 01.09.2007, in public interest, till further orders.

By order, RAVI DHINGRA Chief Secretary.

STATE ELECTION COMMISSION

NOTIFICATION

Shimla, the 3rd September, 2007

No.SEC.13-85/2006.—In exercise of the powers vested in it under section 281 of Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 and rule 22 and 69 of the Himachal Municipal (Election) Rules 1994, the State Election Commission Himachal Pradesh hereby notifies the election programme for the conduct of bye-election to fill up the vacant seat of ward No. 5 of Nagar Panchayat Nadaun District Hamirpur in Himachal Pradesh as under:—

- 1. Nomination papers to be filed.—On 10th, 11th and 12th September, 2007 (between 2 AM to 3 PM) Nomination papers shall be filled at fee place, and before the officer appointed by the Returning Officer (Deputy Commissioner).
 - 2. Scrutiny of nomination papers.—On 13th September, 2007.
 - **3.** *Withdrawal of candidature.*—On 15th September, 2007 (between 10 AM to 3 PM).
- **4.** The list of contesting candidates.—On 15th September, 2007 immediately after the time of withdrawal is over. The list of contesting candidates will show the name of symbol allotted to them.
- **5.** *Polling Stations.*—The list of polling stations shall be made public and pasted on or before 10th September, 2007.
 - **6.** *Date of Poll, if necessary.*—On 30 the September, 2007 between 7 AM to 8 PM.
- 7. Counting of votes, in the event of poll.—On 30th September, 2007 between 7 AM to 8 PM.
 - **8.** *Declaration of election result.*—Immediately after counting is over.

By order, RAJENDER BHATTACHARYA, State Election Commissioner.